राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क २] द्वितीय विधान सभा के द्वितीय सत्र, १९५७ का १९ वां दिवस [संख्या ११

मंगलवार, १९ नवम्बर, १९५७

विधान सभा की बैठक म० पू० ११-१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई

[श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन]

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह ।

जुलाई, १९५७ से सिरोही डिप्टी इन्सपेक्टर द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण

३१०. श्री तेजाराम (श्री मोहब्बतसिंह की अनुपस्थिति में):

Will the Education Minister be pleased to state :--

(a) How many transfers of teachers have been made by the Deputy Inspector of Schools, Sirohi District, since July, 1957 ?

(b) What is the total strength of teachers working under the Deputy Inspector of Schools, Sirohi District ?

(c) Is it a fact that transfer of teachers in Sirohi District has been more frequent in comparison to Pali and Jalore ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) ११३

(ख) ४९७

(ग) जी हां, जालोर तथा पाली जिलों के मुकाबले में अवश्य अधिक हैं लेकिन इस जिले की आवश्यकता को देखते हुए ये तबादले बहुत कम तथा आवश्यक थे ।

चक १५ इ० इ० ए० का मुरब्बा नं० १६ का काश्त करने वाला व्यक्ति

३११. श्रीमती सतवन्त कौर (करनपुर): क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(क) चक १५ इ० इ० ए० का मुरब्बा नं० १६ (२५ बीघा) किस काश्त में है ?

(ख) क्या यह सच है कि मुरब्बा नं० १६ किसी व्यक्ति के नाम से लेकर श्री तासराम लाडूवाली अनधिकृत रूप से काश्त कर रहा है ?

(ग) क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(क) सूरजा के लड़के मोलू की काश्त में है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या ३१२

श्री अध्यक्ष: श्री तनसिंह ।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

गत ५ वर्षों में केन्दीय सरकार से प्राप्त धन-राशि का उपयोग (व्यय)

३१३. श्री भीमसेन (लूनकरनसर) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

पिछले ५ वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा किन किन योजनाओं के लिए कितनी कितनी धन–राशि राजस्थान राज्य के लिए सहायता एवं ऋण के रूप में स्वीकृत की गई तथा उसमें से कितनी धनराशि का सरकार द्वारा उपयोग किया गया एवं कितनी धनराशि शेष रही ?

उप विकास मंत्री (श्री रिखबचंद धारीवाल) : भिन्न भिन्न योजनाओं के लिए गत पांच वर्षों में भारत सरकार द्वारा जो धनराशि सहायता एवं ऋण के रूप में स्वीकृत की गई उसकी सूची सदन के मेज पर रख दी गई है । जो धन राशि उपयोग में लाई गई है उसका विवरण मांगा गया है और अभी उपलब्ध नहीं हुआ । उपलब्ध होने के बाद में प्रस्तुत किया जायगा ।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

प्रश्न संख्या ३१४

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ३१५

श्री प्रभुलाल पुरोहित ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

सीकर रावराजा द्वारा व्यक्तिगत सम्पति के तौर पर कुछ तोपों की मांग

३१६ श्री गिरधारीलाल (नोखा) :– क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या सीकर रावराजा ने सरकार से कुछ तोपें यह कहकर मांगी थीं कि वे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हैं ?

(२) ये तोपें कहां रखी थीं व किसके अधिकार में थीं ?

(३) ये तोपें सीकर रावराजा की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे बनीं ?

(४) क्या रावराजा की मांग स्वीकार कर ली गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में)

(१) जी हां ।

(२) जहां जहां तोपें रक्खी हुई थीं उनकी सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

पुलिस लाइन्स की तोपें ग्यारह को छोड़कर शेष सब तोपों पर ठिकाने के खालसा होने से पहले से ही रावराजा सीकर का अधिकार था ।

(३) तोपें चल सम्पत्ति होने के कारण जागीरदार की निजि सम्पत्ति थी जिनको जागीर पुनर्ग्रहण एक्ट के तहत नहीं लिया जा सकता था ।

(४) जी हां ।

श्री गिरधारीलाल : अब ये तोपें किस काम में आ सकती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ये तोपें अब डेकोरेशन के काम में आ सकती हैं।

श्री गिरधारीलाल : ये कुल कितनी तोपें थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रावराजा सीकर की कुल कितनी तोपें थीं, ऐसी सूची तो नहीं है। मगर हां, तोपों की सूची जो विभिन्न स्थानों पर थीं इस प्रकार है :—

पुलिस लाइन्स सीकर में	११ तोपें
कल्याण निवास में	२ ,,
देवीपुरा पैलेस में	६ ,,
रामगढ़ फोर्ट में	२ ,,
फतहपुर फोर्ट में	७ ,,
लक्ष्मणगढ़ फोर्ट में	४ ,,
देवगढ़ फोर्ट में	२ ,,
रामगढ़ फोर्ट में	१ ,,
नेछवा फोर्ट में	१ ,,
रींगस फोर्ट में	१ ,,
सिंगरावट फोर्ट में	१ ,,
भीवली फोर्ट में	३ ,,
गिरनो फोर्ट में	२ ,,
रूगनाथगढ़ गांव में	१ ,,
गुरडा	१ ,,

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या माननीय मंत्रीजी इन तोपों को मेरे मकान पर रखवा देंगे, मुझे जरूरत है ?

(हंसी)

श्री गिरधारीलाल : जिस समय रावराजा सीकर और जयपुर में झगड़ा हुआ था उस समय सारी तोपें जयपुर महाराज ने अपने कब्जे में कर ली थीं। क्या ऐसी जानकारी सरकार के पास है।

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी जानकारी हमारे पास नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : कुल ११ तोपें रावराजा सीकर की सम्पत्ति बताई गईं, उसका क्या कारण था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसलिए है कि यह मूवेबल प्रोपर्टी हैं और यह जागीर रिजम्शन एक्ट के तहत आती थीं।

श्री लक्ष्मीचंद : क्या यह व्यक्तिगत सम्पत्ति की लिस्ट में आती हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : लिस्ट का पता नहीं। यह तोपें जागीर रिजम्शन एक्ट के तहत नहीं ली जा सकती थीं, इसलिए नहीं ली गईं।

श्री गिरधारीलाल : क्या यह सही है कि जिस समय रावराजा सीकर ने अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति बताई उस समय इन्सपेक्टर आँफ पुलिस ने यह कह कर दरख्वास्त नामंजूर कर दी कि यह तोपें आपकी सम्पत्ति नहीं हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो इन्सपेक्टर की बात है, मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गिरधारीलाल : आपने जो सदन की मेज पर सूची बताई वह सूची नहीं पहुंची है। यह जो तोपें थीं यह एडमिनिस्ट्रेशन के काम आती थीं या व्यक्तिगत काम में आती थीं ?

Page No.4

श्री दामोदरलाल व्यास : तोपें कई वर्षों से किसी काम नहीं आई। माननीय सदस्य तो बहुत लायक वकील हैं। सब बातें जानते हैं।

श्री अध्यक्ष : तभी तो ऐसा तर्क करते हैं।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह तोपें सेरीमोनियल्स के काम में भी आती थीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां।

विभिन्न जिलों की हांसिल की दरें

३१७. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या हर जिले में हासिल की रद एक ही है या अलग अलग ?

(२) अगर अलग अलग हैं तो क्यों ?

(३) भरतपुर जिले में अच्छी उपजाऊ जमीन होने पर भी भूमि कर (लगान) कम क्यों है तथा जयपुर जिले की कम उपजाऊ भूमि पर लगान अधिक क्यों है ?

(४) क्या इस भेद को दूर करने का सरकार विचार रखती है ?

(५) यदि हां, तो कब तक ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) अलग अलग।

(२) यह भिन्नता विशेष रूप से जमीन की किस्म, पानी की उपलब्धि, पैदावार व आवागमन के साधनों में भिन्नता होने के कारण है।

(३) भरतपुर जिले में भूतपूर्व भरतपुर राज्य के नियमों के अनुसार सेटिलमेन्ट सन् १६३१ में किया गया था जिसके अनुसार भूमिकर जो विस्वेदार राज्य को देता था उस पर दरें कायम की गईं और जयपुर के आस-पास के भागों में जो लगान काश्तकार राज्य को देता था उस आधार पर दरें कायम की गईं ?

(४) दरें हर जगह एक सी नहीं हो सकतीं। हर जगह की पैदावार आंटा, भाव जमीन, पानी आदि के ऊपर वहां की दरें निर्भर होती हैं।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रभुलाल पुरोहित : भरतपुर रियासत के जमाने में जो सैटलमेन्ट हुआ था उसकी दरें अभी तक चालू हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कहीं खत्म हो गईं, कहीं बाकी हैं। जहां खत्म हो गईं उनको बढ़ाया जा रहा है, कहीं री—सैटलमेन्ट किया जा रहा है।

रूपवास तहसील के कुछ गांवों में गम्भीरी नदी की बाढ़ से भूमि की क्षति

३१८. **श्री श्रीभान सिंह** (बयाना) : Will the Revenue Minister be pleased to state :-

(a) How much land acreage has been made uncultivable by the inundating water of the Gambeer River and its channel in Rupbas Tehsil, especially of the villages Chenkora, Sukkurpur, Mertha etc. and Rupbas Town ?

(b) How many people and villages have been affected and

Page No.5

(श्री श्रीमानसिंह)

did the Tehsildar Rupbas or any authority bring this matter before the Government ? If so, when ?

(c) What relief in food, clothing takkavi, besides Revenue remission has the Government given or is prepared to give ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (a) The inundating water not having dried up, there is apprehension that the following areas may remain uncultivated this year :

Name of village.	Area in acreage
Samersa	80 acres.
Ghatoli	160 acres.
Rupbas	8 acres.
Jaswant Nagar	60 acres
Chankora	160 acres.
Ibrahimpur	160 acres.
Mertha	40 acres.

(b) About 150 people in seven villages were affected. Government was informed on 13.8.1957.

(c) The following relief was given :-

(1) Rs. 3,500/- for purchase of bullocks out of ordinary Taccavi.

(2) Rs. 144 maunds wheat seed by Agriculture Department.

(3) Necessary help to cattle by **Veterinary Department.**

(4) D.D.T. powder was sprayed to check the spread of Malaria.

प्रश्न संख्या ३१६

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२०

डा० चन्द्रकला ।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह क्वेश्चन जरूरी है और इसका जवाब दे दिया जाय तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष : वह शायद आ जायेंगी तो बाद में ले लेंगे ।

सन् १६५४ से १६५७ तक भरतपुर में लघु उद्योगों हेतु दिया गया शासकीय ऋण

३२१. श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Industries and Commerce be pleased to state :-

(a) To how many people did the Government give loan for starting small scale Industries in Bharatpur District in the years 1954, 1955, 1956, aud 1957 ? Please give their names and amount and the nature of industry for which loan was given ?

(b) How many of them have utilised the sum for the purpose for which it was sanctioned, and how ?

Page No.6

उप उद्योग मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल)

(a) The information is given in the statement which has been placed on the table of the House.

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

(b) It is understood that all of them except 5 parties (marked asterisk) have utilised the loan for the purpose for which it was granted. The five parties have not started their industries as yet.

The loan has been untilised mainly for purchase of raw material and small tools and implements required for the industries for which the loan is sanctioned. Most of the loan is granted to parties who have already been running an industry and who have already invested their part of the share. Others are also reported to have invested their part of the share.

प्रश्न संख्या ३२२

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द कोठारी ।

(अनुपस्थित)

जिला भीलवाड़ा में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक भवनों हेतु व्यय होने वाली धनराशि

३२३. श्री तेजमल बापना (बनेड़ा) : Will the Chief Minister be pleased to state :-

(1) What administrative buildings are proposed to be constructed in the next financial year in the Bhilwara District ?

(2) Is it a fact that tehsil building at Kotadi, accommodates the Tehsil staff, residence of the Tehsildar, police station and the police lock-up ?

(3) Is it also a fact that the District Development Board has recommended the construction of a new building ?

(4) If so, is it proposed to get it constructed next year ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(1) In order to chalk out a programme for construction of administrative buildings during the next year a Committee has been appointed by the Government. The Divisional Commissioners have been asked to send their proposals and as soon as the same have been received, the programme will be chalked out by the Committee. The Collector, Bhilwara, has recommended for construction of a new Tehsil Building at Kotri.

(2) Yes.

(3) No such recommendation has been received from District Development Committee.

(4) The matter will be decided by the Government on receipt of report from the Committee.

श्री तेजमल बापना : When is that report to be submitted to the Government ?

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : As soon as all the recommendations from the Commissioners and Collectors are received and the Committee has considered them.

श्री तेजमल बापना : Is it possible before the next financial year ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Much earlier I think.

श्री अध्यक्ष : Next, Shri Tan Singh.

भारत सरकार से ऋण रूप प्राप्त रुपये की अदायगी

३२४ **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या वित्त-मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सरकार ने भारत सरकार से कुल कितना रुपया कर्जा लिया तथा उसमें से अब तक कितना देय हो चुका है ?

(२) देय रकम से कितना सरकार ने चुका दिया है और अब कितना मूलधन व ब्याज बाकी देना रहा है ?

उप वित्त मन्त्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) दिनांक ३०-६-५७ तक भारत सरकार से कुल ५६७६.६१ लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया गया। इसमें ४४५.५० लाख विस्थापितों के लिए प्राप्त ऋण एवं १८८६.४१ लाख रुपये भाखरा नांगल सम्मिलित (पंजाब एवं राजस्थान) कार्यों के लिए प्राप्त ऋण भी सम्मिलित हैं।

(२) विस्थापितों के पुनःस्थापन कार्य के हेतु प्राप्त किये गये ऋणों के अतिरिक्त अन्य ऋणों पर कुल ३७४,६८ लाख रुपया देय हुआ। इसके अतिरिक्त २७६.४५ लाख रुपया ब्याज का भी देय हुआ।

मूलधन की देय राशि में से ३०-६-५७ तक २८४.६६ लाख रुपया चुकाया जा चुका है तथा ८६.७२ लाख जिसमें ७५.०० लाख वेज़ एन्ड मीन्स एडवान्स का तथा १४.७२ लाख रुपया एमोनियम सल्फेट के लिए लिया गया ऋण है, अभी चुकाया जाना शेष है। दोनों ही राशियों की चुकाने की शर्तों में ढिलाई करने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार जारी है।

तारीख ३०-६-५७ तक ब्याज का भी २७६.४५ लाख रुपया देय हो चुका है और इसमें से २३७.६४ लाख रुपया चुकाया जा चुका है। भाकरा के सम्मिलित कार्यों के हेतु प्राप्त ऋण का ब्याज अभी चुकाना नहीं है। भारत सरकार ने इस ब्याज को चुकाने के हेतु ऋण देना तय कर दिया है और इसका सिर्फ दाखिला ही होना है।

विस्थापित पुनःसंस्थापन कार्यों के हेतु प्राप्त ऋण चुकाने के प्रति राजस्थान सरकार की नीति है कि जितना रुपया विस्थापितों से मूलधन या ब्याज का पुनः प्राप्त हो उतना भारत सरकार को मूलधन या ब्याज के पेटे दे दिया जाये। इस नीति के अनुसार तारीख ३०-६-५७ तक ५६.०१ लाख रुपया मूलधन के पेटे एवं ७.७३ लाख रुपया ब्याज के पेटे चुकाया जा चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार ने विस्थापितों के लिये और भाखरा नांगल बांध के अतिरिक्त और भी कोई कर्जा भारत सरकार से नहीं लिया ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया, सरकार ने ५६ करोड़ ८६ लाख

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

६१ हजार रुपया कर्जे के तौर पर लिया उसका चेक अब भी मेरे पास है, अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

चक ३६ आर. बी. (त. पदमपुर) में सन् १६५४ से कृषकों में जमा शासकीय धनराशि

३२५. श्रीमती सतवन्तकौर (करनपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(क) चक ३६ आर. बी. तहसील पदमपुर, जिला गंगानगर में सन् १६५४ और बाद की कितनी सरकारी रकम (आबयाना, मालगुजारी आदि) काश्तकारों के जुम्मे है ?

(ख) क्या यह सच है कि इस चक में १६५४ में रकम न देने के कारण एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी ?

(ग) बकाया बाकीदारों के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) ६७४ रुपये १५ आने ६ पाई।

(ख) एक व्यक्ति की गिरफतारी आबयाना आन्दोलन के सम्बन्ध में हुई थी।

(ग) बकाया बाकीदार बाहर चले गये थे। वसूली की कार्यवाही जारी है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या जिस व्यक्ति को गिरफतार किया गया उसको डिमान्ड शीट दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जरूर दी गई होगी।

श्री मूलचन्द डागा : आप डेफिनिट बताइये कि दी गई या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये अलग से प्रश्न पूछिये।

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या यह सच है कि रामचन्द्र नम्बरदार है, उसने इस चक से वसूली करके रूपया ले लिया और सरकार में जमा नहीं कराया ? उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो आप सूचना दे रहे हैं इसके बारे में आप अलग से प्रश्न पूछिये।

श्री धर्मपाल पंवार : क्या जो सूचना प्रश्नकर्ता ने दी है, उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर डिटेल्स में आप लिखकर देंगे, क्या गड़बड़ी की गई, कैसे की गई तो मैं उसकी जानकारी अवश्य करूंगा ?

प्रश्न संख्या ३२६

श्री अध्यक्ष : श्री रिद्धिचन्द।

(अनुपस्थित)

भू-धारण विधेयक की धारा १६ के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र

३२७. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

Page No.9

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(क) टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ के अन्तर्गत कितने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये ?

(ख) नीम का थाना सब डिविजन से कितने प्रार्थना–पत्र पेश हुए तथा कितने प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये गये ?

(ग) कितने प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये गये और वे क्यों ?

(घ) अब कितने प्रार्थना–पत्र कब से विचाराधीन हैं व क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) राजस्थान में ११,२४३ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये ।

(ख) ४६७ । एक भी नहीं ।

(ग) २६२ दरख्वास्तें अदम पैरवी में खारिज की गई ।

(घ) २०५ । दफा २१ के अन्तर्गत पूर्ण कार्यवाही होने पर इन दर्ख्वास्तों में आगामी कार्यवाही हो सकेगी ।

प्रश्न संख्या ३२८

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२६

श्री अध्यक्ष : डॉ॰ चन्द्रकला ।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३०

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामचन्द्र ।

प्रथम पंच वर्षीय योजना में झालावाड़ जिले के विकास में व्यय की गई धनराशि

३३१. **श्री रामचन्द्र** (डग) : क्या विकास मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) प्रथम पंच वर्षीय योजना में झालावाड़ जिले के विकास के लिये कितना धन व्यय किया गया तथा इसमें से कितना सड़क निर्माण तथा कितना सिंचाई योजना पर लगाया गया ?

(ख) उपरोक्त राशि से कौन कौन सी मुख्य सड़कों का निर्माण तथा छोटी सिंचाई योजनायें सम्पन्न हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ जिले में विकास के लिये ५४,०६,५४६ रु० की धन राशि व्यय की गई ।

(ख) इसमें से १५,६०,६१२ की धन राशि सड़क निर्माण एवं १६,६०,००० रु० की धन-राशि सिंचाई योजनाओं पर व्यय की गई ।

(ग) इस धन-राशि से सम्पन्न मुख्य सड़कों तथा सिंचाई योजनाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

Page No.10

श्री रामचन्द्र : क्या मंत्री महोदय यह बतलायेंगे कि कुल कितनी मील लंबी सड़कें बनी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंन्ट के मिनिस्टर महोदय से प्रश्न करेंगे तो वे बता सकेंगे।

प्रश्न संख्या ३३२

श्री अध्यक्ष : डॉ० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन इत्यादि अवसरों पर दिये गये भाषणों पर व्यय

३३३. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

मुख्य मंत्री द्वारा कितनी नई संस्थाओं का शिलान्यास और कितनी नई संस्थाओं का उद्घाटन किया गया तथा किन किन समारोहों पर उद्घाटन भाषण दिये गये और उनमें सरकार का कितना खर्चा हुआ ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : मुख्य मंत्री महोदय ने किन किन नई संस्थाओं का उद्घाटन इत्यादि किया इसका कोई रिकार्ड नहीं रक्खा गया है तथापि यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि केवल इन्हीं कार्यों पर सरकारी खर्चा नहीं किया गया, ये काम अन्य सरकारी कार्य करते हुए किये गये थे।

कुछ जगह के लिये ऐसा भी संभव हो सकता है, निमन्त्रण देने वालों ने किया हो।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इस प्रकार का रेकार्ड रक्खा नहीं जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टूर्स का रेकार्ड मिल सकता है, फाउन्डेशन आदि का नहीं।

श्री भैरोंसिंह : क्या इस संबन्ध में डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स से जानकारी मिल सकती है कि किन किन जगहों पर उद्घाटन किया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बहुत मुश्किल है केवल इसी कार्य के लिये गये हों, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जब से वे मुख्य मंत्री बने हैं उन तीन सालों में कहां कहां नयी संस्थाओं का उद्घाटन किया गया, क्या इसका रिकार्ड आपके पास नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने जैसा कि अर्ज किया इस प्रकार का रिकार्ड रखना मुश्किल है और वह रखा भी नहीं जाता कि कौन सा उद्घाटन कहां कहां किया गया !

रावराजा श्री सरदारसिंह : इम्पोर्टेन्ट स्थान ही बता दीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी जानकारी के लिये कह दूं उणियारा में तो नहीं किया गया।

श्री मूलचन्द डागा : क्या इस प्रकार की संस्थाओं के उद्घाटन के लिये जाना जरूरी था ?

श्री दामोदरलाल व्यास : केवल उद्घाटन करने के लिये ही जाते हों, यह बात नहीं, इसके अलावा अन्य सरकारी काम भी होता है वे भी किये जाते हैं।

जागीर कलेक्टर्स द्वारा जागीरदारों को तंग करने की शिकायतें

३३४. **श्री अनूपसिंह** (बलोतरा) : क्या जागीर पुनर्ग्रहण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या जागीरदारों को जागीर कलेक्टर्स द्वारा तंग करने की शिकायतें कहीं से प्राप्त हुई हैं ?

(२) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मंत्री की अनुपस्थिति में) : (१) कुछ डिप्टी कलेक्टरों के खिलाफ शिकायतें आई थीं।

(२) शिकायतें जनरल और वेग थीं, अतः उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री अनूपसिंह : क्या बाड़मेर के डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कोई शिकायत आयी थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, १८—१६ डिप्टी कलेक्टर्स हैं हमारे यहां। अगर माननीय सदस्य बाडमेर के कलेक्टर के बारे में ही जानना चाहते तो स्पेसिफिक सवाल इसीलिये पूछ सकते थे ताकि इसकी इन्फोर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते।

श्री अनूपसिंह : कुछ तो बताइये।

श्री दामोदरलाल व्यास : बाडमेर के डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ कोई शिकायत आयी हो, ऐसी मुझे जानाकारी नहीं है।

श्री अनूपसिंह : आपने प्रश्न के उत्तर में बताया कि कुछ शिकायतें आयी थीं जो जनरल और वेग थीं; इसकी डेफीनिशन क्या है कि यह शिकायत तो जनरल थी और यह वेग ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जनरल और वेग शिकायतें आने का मैंने इसलिये कहा कि कुछ डिप्टी कलेक्टरों के बारे में ऐसी शिकायतें आयी हैं कि वे जागीरदारों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, लेकिन किसी ने भी यह नहीं बताया वे कौन जागीरदार हैं, कैसा बुरा बर्ताव किया; जब तक इन बातों को नहीं बताया जाता तो यह हमारे लिये नामुमकिन है कि हम इन्क्वायरी करते। कम से कम कुछ इन्डीकेशन दिया जाय तो हम पता लगा सकते हैं।

श्री तनसिंह : यह जो आपके पास शिकायतें आयी हैं, कुछ जागीरदारों के साथ बुरा बर्ताव करने की वे शिकायतें किन कलेक्टर्स के खिलाफ आयी हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जागीरदारों के साथ ठीक से बर्ताव न करने के बारे में श्री ताराचन्द डिप्टी कलेक्टर, जयपुर की शिकायत आयी। और भी बहुत सी जगह से आयी हैं; उनको मेरे लिये यहां बताना कठिन है, ऐसी कई शिकायतें हैं।

श्री तनसिंह : ऐसी कई शिकायतों से आपका क्या मतलब है एक दो या सो दो सौ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : दो, चार, पांच है।

श्रीमती सतवन्तकौर : गंगानगर से ऐसी कोई शिकायत आयी है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह अलग से पूछिये।

श्री तनसिंह : अभी जो माननीय मंत्री महोदय ने फरमाया कि चार पांच हैं तो उसमें बाड़मेर के डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ भी कोई शिकायत है क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डिटेल्स इस वक्त मेरे पास नहीं हैं, लेकिन मैं आपको सूचनार्थ निवेदन कर दूं कि कुछ डिप्टी कलेक्टर्स के खिलाफ शिकायतें आयी थीं वे वेग और जनरल थीं इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

अगर आप बाडमेर के खिलाफ जानना चाहते हैं तो उसके डिटेल्स दीजिये, जानकारी करके मैं बता सकता हूं ।

श्री तनसिंह : हमने महरबानी करके आपकी सेवा में दरख्वास्तें दीं, प्रश्न पूछे, लेकिन आपकी महरबानी का पता नहीं लग रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मुझे अफसोस है कि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उन्होंने दरखास्तें दीं और उन पर कार्यवाही नहीं की गई । मैंने अभी निवेदन किया, ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी ।

श्री अध्यक्ष : आप यह बता दीजिये शिकायतें की हैं या नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : वास्तव में डिप्टी कलेक्टर जागीर के खिलाफ कुछ शिकायतें जरूर आयी थीं, लेकिन यह बात नहीं आई थी कि वे जागीरदारों के साथ ठीक से बर्ताव नहीं करते ।

श्री अनूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, बाडमेर के डिप्टी कलेक्टर का जो रवैया जागीरदारों के साथ है उसको देखते हुए जागीरदार लोग मुआवजा तक लेने जाने के लिये अपनी बेइज्जती समझते हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी जानकारी में यह शिकायत नहीं है, आप जो फरमा रहे हैं तो मैं इस बारे में आप से जानकारी लूंगा और उसके अनुसार कार्यवाही करूंगा ।

प्रश्न संख्या ३३५

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ।

(अनुपस्थित)

[प्रश्न इस प्रकार है :

क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ तहसील के भाखडा क्षेत्र में सरकार ने सूरतगढ़ कृषि फार्म, जागीरदारों, एक्स-मिलिटरी सर्विसमेन, गाडिया लुहारों, राजनैतिक पीड़ितों, जंगलात, बागान, माडियों और घोडे पालने के लिये कितनी भूमि अब तक रिजर्व की है और कितनी भुमि और रिजर्व करने का विचार है ?

तालिका मेज पर रखने का कष्ट करें ।]

श्री धर्मपाल : माननीय अध्यक्ष, यह प्रश्न हमारे गंगानगर जिले से ताल्लुक रखता है और बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे उन्होंने ओथोरिटी भी दे दी थी पर वह पत्र गुम हो गया है, (हंसी) इसलिये प्रार्थना है कि इसका उत्तर दिलवाया जाए तो अच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष : ये प्रश्न सारे ले लें, इसके बाद इसको ले लेंगे ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उपमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त नहीं हो पाया है इसलिये अगले हफ्ते में इसका उत्तर दे सकूंगा ।

Page No.13

श्री तनसिंह : यह बहुत ही मामूली सा प्रश्न है। इसके पहले भी इस तरह के कई प्रश्न आ चुके हैं और उनका आपने जवाब दिया है; तो इसका जवाब तो आपको देना चाहिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : If he wants a written reply as the Hon'ble members know, that it will be opened according to our resources looking to all the needs, etc. etc., I could give, but we have sought details for this school and I think the Hon'ble member should wait for some time, so that we may give better particulars.

श्री अध्यक्ष : This concerns general policy, what policy Government has got to convert in to multi-purpose schools.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : Government has decided that all the high schools shall be converted into Higher secondary schools & Multi-purpose schools. But Multi-purpose schools shall not be opened for some time, because we want to know whether the multi-purpose schools which we have opened are really successful or not, so that we shall be opening multi-purpose schools.

श्री तनसिंह : इसका मतलब यह है कि अब जो चल रहे हैं उन मल्टी पर्पज़ स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में बदला जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : (मुख्य मन्त्री) हायर सेकन्डरी के आधार पर ही होते हैं।

श्री तनसिंह : अब यदि हायर सेकन्डरी के आधार पर होते हैं तो मल्टी पर्पज़ और हायर सेकन्डरी अलग अलग क्यों हैं ? इनमें फिर क्या भेद है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सब्जेक्ट्स का भेद है।

श्री तनसिंह : यदि सब्जेक्ट्स का भेद है तो क्या यह भेद मिटाकर एक कर दिया जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसकी आवश्यकता नहीं है। अलग अलग विषय रह सकते हैं अलग अलग संस्थाओं के। इनमें से कुछ विषय एक जगह रखे जाते हैं, दूसरी जगह बाकी के विषय रखे जाते हैं। सभी एक जगह नहीं रक्खे जाते। अब मल्टी पर्पज़ में जो विषय पढ़ाये जाते हैं उनमें अर्थ भी अधिक लगता है और प्रयत्न भी अधिक करने पड़ते हैं इसलिये ये ज्यादा नहीं खोल रहे हैं इस वक्त। यह सोच रहे हैं कि हायर सेकन्डरी स्कूलों को हाई स्कूलों में तब्दील किया जावे।

श्री तनसिंह : अभी बताया गया कि हायर सेकन्डरी स्कूलों को हाई स्कूलों में तब्दील किया जावेगा तो कहीं इसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि मल्टी पर्पज़ स्कूल भी एक ही हैं और वे सभी एक ही ढंग से चलेंगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने निवेदन किया कि हायर सेकन्डरी स्कूल और मल्टी पर्पज़ स्कूल का आधार एक है इसलिये तब्दील करने का प्रश्न नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

Page No.14

रिफ्यूजी वैलफेयर कमेटी, गंगापुर द्वारा भूमि का अलॉटमेन्ट न करने के कारण

३३७. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर): क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) क्या गंगापुर में रिफ्यूजी वैलफेयर कमेटी द्वारा तीन साल से मकानों के लिये बार-बार प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर भी अभी तक भूमि अलॉट नहीं की गई है ?

(ख) यदि हां, तो क्यों और अब कब तक अलॉट कर दी जावेगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) गंगापुर में विस्थापितों को मकान बनाने हेतु भूमि देने का प्रश्न वहां की नगर विकास योजना से सम्बन्धित है। वहां की नगर विकास योजना अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है। ज्यों ही वह योजना पूर्ण हो जावेगी, विस्थापितों को भूमि देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(ख) प्रश्न पैदा नहीं होता।

सन् १६५० व अब ट्रेन्ड मिडिल अध्यापकों की संख्या

३३८. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर): क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) १-४-५० को ट्रेन्ड मिडिल अध्यापकों की संख्या कितनी थी व वर्तमान में कितनी है ?

(ख) उपरोक्त अध्यापकों की रेशनलाइज़्ड पे स्केल क्यों नहीं नियत की गई ?

उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): इसका उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिये अगले हफ्ते में दिया जावेगा।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: अगले हफ्ते तो विधान सभा ही नहीं चलेगी।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिये ऑब्जेक्शन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि कल से उपशिक्षा मन्त्री महोदय ने कुछ ऐसा रवैया बना रखा है कि जो प्रश्न उनके उत्तर को रखा जाता है उसी पर जान बूझकर वे ऐसा कहते हैं कि इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जबकि प्रेक्टिस ऐसी है कि अगर कभी-कदास किसी प्रश्न का किसी कारणवश उत्तर समय में प्राप्त न हो तो सबसे पहले वे इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय को भेजें और हमें अध्यक्ष महोदय के द्वारा यह सूचना मिलनी चाहिये। इसलिये इस प्रकार का जो रवैया कल से अपनाया जा रहा है यह सदन की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल है। इसलिये आपको ऐसा आदेश उपमन्त्री महोदय को देना चाहिये कि इस प्रकार की प्रेक्टिस भविष्य में माननीय उपमन्त्री बन्द करें और अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता तो इसकी सूचना आपको वे पहले दें और आप से हमें यह सूचना मिले।

श्री तनसिंह: अध्यक्ष महोदय, एक बात और भी है। एक विशेष प्रश्न के लिये अगर उनकी तैयारी न हो तो समझ में आने वाली बात है, पर कल से नियमित रूप से वे प्रश्नों के उत्तर देने से टाल रहे हैं। सम्भवतः, मालूम पड़ता है, वे उद्घाटनों में व्यस्त थे। चाहिये तो यह था कि प्रश्न आते ही वे सदन में पूरे तैयार होकर आते। एकाध कभी हो सकता है जिसका उत्तर न मिले।

Page No.15

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : मेरे पूरे कार्यकाल में कल और आज के ही दो दिन ऐसे रहे हैं कि मैं उत्तर नहीं दे पाया हूँ, वैसे बराबर उत्तर देता रहा हूं ।

यह प्रश्न ऐसा है जो बहुत लम्बा चौड़ा है जैसे १–४–५० को ट्रेन्ड मिडिल अध्यापकों की संख्या कितनी थी व वर्तमान में कितनी है, हायर सेकन्डरी स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा कहां है, गर्ल्स की संख्या सबसे ज्यादा कहां है । २७५ हायर सेकन्डरी स्कूलें चलती हैं । सब जगह से इस तरह की सूचनाएं आने में देर हो सकती है । इसलिये कहा जा रहा है । इसमें जानबूझ कर न कहने का प्रश्न ही नहीं आता; न मैंने ऐसा कभी किया है न करूंगा। जहां तक अध्यक्ष महोदय को सूचना देने का सवाल था मैंने आते ही जबानी कह दिया था ।

श्री मदनसिंह : तो क्या ये सूचनाएं पहले रखते नहीं हैं अपने पास ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आपको यह मुगालता है ।

श्री अध्यक्ष : The better course would be in case of such long answers that you inform us and we would not put them in the list.

श्री मदनसिंह : पहले से ही ऐसा रिकार्ड क्यों नहीं रख लेते हैं जब कि आप जानते हैं कि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं ।

श्री सरदारसिंह : अतारांकित भले ही कर दिये जाएं पर ऐसा नहीं कि जवाब नहीं देंगे ।

सन् १९५६–५७ में जिला सवाई-माधोपुर में स्थापित प्राइमरी स्कूल्स

३३६. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : (श्री बिजेन्द्रपाल की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला सवाई-माधोपुर में १९५६–५७ में कितने प्राइमरी स्कूल स्थापित करने की स्वीकृति दी गई तथा उनमें से कितने स्कूल किन किन स्थानों पर स्थापित किये गये ?

उपशिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : सन् १९५६–५७ में २५ प्राइमरी स्कूल्स स्थापित करने की स्वीकृति दी गई थी जो निम्न लिखित स्थानों पर खोल दी गई हैं :

१. डिडायच, २. नोनटा, ३. अजनोटी, ४. सोनकच्छ, ५. कुरेडी, ६. धीलन्डा, ७. पीपलवाडा, ८. नोरंगवाड़ा, ९. धौलखेरा, १०. डिलोना, ११. अलेमपुरा, १२. शिभानमकेरा, १३. आंधियाखेडा, १४. लेहावद, १५. खेडहरी, १६. नागतलाई, १७. नोगांव, १८. मैंडी, १९. अरूदा, २०. बूलवास, २१. डेबर, २२. अगरी, २३. तरेटी मोधपुर, २४. खानपुर, २५. घोरेटा ।

श्री भैरोंसिंह : २५ प्राइमरी स्कूलें खोली गई हैं या नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह उत्तर दे दिया गया है । ध्यान से सुना नहीं मालूम होता है । ये २५ खोल दिये गये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : सेटिस्फाइड ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

एक विभाग के एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को विभिन्न वेतन

३४०. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या किसी एक विभाग के एक श्रेणी के कर्मचारियों को सारे प्रान्त में समान वेतन मिलता है ?

(ख) यदि नहीं मिलता है तो क्यों नहीं और यह भेद क्या दूर किया जावेगा ? यदि हां, तो कब ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास, मुख्य मन्त्री की अनुपस्थिति में) : यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

(प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में विलम्ब होने पर और श्री दामोदरलाल व्यास द्वारा उत्तर देने के लिये खडे होने पर)

श्री तनसिंह : आपका नहीं है, मुख्य मन्त्रीजी का है ।

श्री अध्यक्ष : (श्री दामोदरलाल व्यास से) आपके पास उत्तर की कापी नहीं है तो आपको मैं दे दूं ।

श्री तनसिंह : हां दे दीजियेगा साहब ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा उत्तर की प्रति देने पर)

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भैरोंसिंह : आप तो जुबानी ही बता दीजिये ।

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : प्रश्न इस प्रकार है, because the reply will be with reference to the contents of the question.

श्री अध्यक्ष : You may also understand, what you are answering.

(हंसी)

श्री दामोदरलाल व्यास : (क) क्या किसी एक विभाग के एक श्रेणी के कर्मचारियों को सारे प्रान्त में समान वेतन मिलता है ? यह प्रश्न स्पष्ट नहीं है ।

समान वेतन से अगर आपका आशय समान वेतनश्रृंखला से है तो कतिपय ऐसे कर्मचारियों को छोड़कर जो कन्ट्रेक्ट सर्विस में हैं या जिनके साथ उनकी ड्यूटीज़ आदि को ध्यान में रखकर स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ अपॉइन्टमेन्ट मन्जूर की गई हैं, किसी एक विभाग के प्रान्त व्यापी सभी एक श्रेणी के कर्मचारियों की वेतनश्रृंखला सारे प्रान्त में एक ही हैं । वर्तमान वेतनश्रृंखला रेशनेलाइज़्ड पे स्केल रूल्स एन्ड सिड्यूल्स में वर्णित है । राज्य पुनर्गठन (रिआर्गेनाइज़ेशन ऑफ स्टेट्स) के बाद फॉर्मर अजमेर राज्य के कर्मचारियों को उनकी सब्स्टेन्टिव पे व डीयरनैस पै कतिपय शर्तों के साथ प्रोटेक्ट की गई है । ऐसे कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों को पे रेशनलाइज़्ड पे स्केल में ही दी जाती हैं ।

(ख) प्रश्न ही नही उठता ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या राजस्थान के और अजमेर के पटवारियों का एक ही ग्रेड है ?

Page No.17

श्री दामोदरलाल व्यास : अजमेर के पटवारियों को वहां की ग्रेड और पे मिल रही है और राजस्थान की रेशनेलाइज़्ड पे स्केल्स हैं उसको मिलान कर दिया जायगा ।

श्री सरदारसिंह : क्या उनके अनुसार की जावेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी नहीं, मैंने यह नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष : श्री ब्रिजेन्द्रपाल ।

हरीशिरोमनजी, वृन्दावन के मंदिर के के कर्मचारियों को वेतन

३४१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री बृजेन्द्रपाल की अनुपस्थिति में) : क्या मंत्री, देवस्थान विभाग, निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या हरीशिरोमनजी, वृन्दावन, के मंदिर के कर्मचारियों को वेतन अन्य मन्दिरों के कर्मचारियों के अनुसार मिल रहा है ?

(ब) यदि नहीं, तो क्यों ?

देवस्थान मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (अ) जी नहीं ।

(ब) यह मंदिर सेल्फ सपोर्टिंग है और ऐसे मंदिरों के खर्च व उनकी आय पर निर्भर होते हैं ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मंदिरों की क्या २ आमदनी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कौन से मंदिर के लिए पूछ रहे हैं ?

रावराजा श्री सरदारसिंह : वृन्दावन के लिए किया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह ।

सन् १६५०-५१ से अबतक माइनिंग लोन प्राप्त व्यक्ति

३१२. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १६५०-५१ से अब तक किस किस को कितना २ माइनिंग लोन दिया गया ?

(२) इसमें से कितना वसूल हो चुका है और कितना अभी तक देय नहीं हुआ है ?

उप खनिज मंत्री (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) किसी को नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री तनसिंह : मैं समझता हूं कि यह तो स्पष्ट रूप से मालूम है, फाइनेन्स की रिपोर्ट्स और पी० ए० सी० की रिपोर्ट को मैंने देखी है और यह मुझे निश्चित तौर पर मालूम है कि लोगों को माइनिंग लोन दिया गया है, जब कि यह कहा गया है कि अब तक किसी को माइनिंग लोन नही दिया गया ।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आपको अगर कोई गलतफहमी मालूम हुई है तो यह मुझे मालूम नहीं है । कहीं आपने इन्डस्ट्रियल लोन को समझ लिया होगा ।

श्री तनसिंह : मेरी गलतफहमी के लिए तो माननीय मंत्रीजी के पास कोई इलाज नहीं है लेकिन उनकी गलतफहमी के लिए मेरे पास इलाज जरूर है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि फिर वह इसका सोच-समझ कर ही उत्तर दें ।

Page No.18

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैं निवेदन करूं कि न तो कोई ऐसा सेपरेट माइनिंग फन्ड है और न किसी को माइनिंग लोन दिया गया है, यह आपको केवल गलतफहमी हो गई है।

श्री तनसिंह : इन्डस्ट्रीज़ को दिया है तो क्या माइनिंग लोन उसमें है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन्डस्ट्रियल लोन है और उसके तहत दिया जाता है। कोई ऐसा सेपरेट फन्ड नहीं है कि जिसमें से माइनिंग लोन दिया जाता हो।

श्री तनसिंह : यहां माइनिंग लोन लिखा हुआ है, उसकी सूझ पर ही यह जबाब हो तो यह बात दूसरी है, लेकिन जो खान खोदते हैं, उनके इम्प्रूवमेन्ट के लिए लोन दिया गया है या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि आपका प्रश्न साफ है। जो आपने समझा वही आपने लिखा और उसका जबाब भी उसी प्रकार आपको मिला कि कोई माइनिंग लोन नहीं दिया गया। अगर कोई ठेका करता है, कोई खनिज पदार्थ का उत्पादन करता है तो उसके लिए उसको कोई लोन दिया है तो यह आप बतायें कि फलां फलां को लोन दिया या नहीं ? खनिज में तो बहुत सी खानें हैं, छोटी भी हैं, मोटी भी हैं। मेजर मिनरल्स भी बहुत हैं।

एक माननीय सदस्य : सवाल तो साफ है लेकिन जबाब टेढ़ा था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री का कहना यह है कि माइनिंग डिपार्टमेन्ट से कोई लोन नहीं दिया गया, अगर इन्डस्ट्रीज़ से दिया हो तो उनको पता नहीं।

श्री तनसिंह : इन्डस्ट्रीज़ भी तो आपका ही विभाग है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री तनसिंह।

उतरलाई (त० बाड़मेर) हवाई मैदान के लिए अभिगृहीत भूमि

३१४. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाड़मेर तहसील में उतरलाई के हवाई मैदान के लिए भूमि किस वर्ष एक्वायर की गई थी ?

(ख) कितने दावेदारों के और किस अंश तक मुआवजे के दावे सरकार ने स्वीकार किये ?

(ग) इसमें से कितने दावेदारों को अब तक उनके मुआवजे का भुगतान नहीं दिया गया और क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) अक्टूबर सन् १९५२ में।

(ख) श्री मदनकिशोर का ६०० रुपये के मुआवजे का दावा स्वीकार किया गया।

(ग) केवल श्री मदनकिशोर ही दावेदार था। उसको मुआवजे का पेमेन्ट नहीं हुआ है क्योंकि इस मुआवजे की रकम अभी मिलीटरी एस्टेट ऑफिसर, देहली सर्किल, देहली केन्टोनमेन्ट से प्राप्त नहीं हुई है।

श्री तनसिंह : आपके टाइपिंग गलती तो नहीं हो गई है। आप अक्टूबर १९५२ में कह रहे हैं जब कि मैंने पूछा है कि उतरलाई के हवाई मैदान के लिए भूमि किस वर्ष एक्वायर की गई। मेरा खयाल है कि सन् ४२ में एक्वायर की गई।

Page No.19

श्री दामोदरलाल व्यास : बाड़मेर तहसील में हवाई मैदान के लिए भूमि अक्टूबर १६५२ में एक्वायर की गई थी, यह मैं पहले ही बता चुका हूं।

श्री अध्यक्ष : फाइनल ऑर्डर सन् ५२ में हुए हों।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपका सवाल क्लिअर है।

श्री तनसिंह : आप हमारे सवाल की भाषा का पूरा फायदा उठा लें। आप यह बता दें कि सन् ५२ से ५७ तक मुआवजा नहीं चुकाया है, इसका क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपसे निवेदन किया कि श्री मदनकिशोर ही दावेदार था। उसको मुआवजे का पेमेन्ट नहीं हुआ है क्योंकि इस मुआवजे की रकम अभी मिलीटरी एस्टेट ऑफिसर, देहली सर्किल, देहली केन्टोनमेन्ट से प्राप्त नहीं हुई है। जब तक वहां से रकम प्राप्त न हो जाय पेमेन्ट कैसे हो सकता है ?

श्री तनसिंह : आप उसको पेमेन्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं क्या ?

एक माननीय सदस्य : ब्याज भी देगी क्या सरकार ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कानून के अनुसार अगर ब्याज हुआ तो ब्याज भी मिलेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह एक्वायर जो किया गया है तो मिलिटरी केन्टोनमेन्ट द्वारा किया गया या राजस्थान सरकार द्वारा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जिस जगह की भूमि होती है वह वहां के नियमों के अनुसार सरकार एक्वायर करती है और जिसके लिए वह पेमेन्ट वहां से होता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या पेमेन्ट की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टर्म्स ऑफ एक्वीजिशन के अन्दर अगर यह है कि वे करेंगे तो उनसे किया जायगा।

एक माननीय सदस्य : कब किया जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से पूछिये।

श्री० मदनसिंह : राजस्थान गवर्नमेन्ट उनको तो पेमेन्ट कर दे और जो वहां से पेमेन्ट आवे वह रख ले।

श्री दामोदरलाल व्यास : जो नियम हैं उनके अनुसार ही कार्यवाही करनी पड़ती है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रभुलाल पुरोहित।

हाई स्कूल, लालसोट में अधिक छात्रों हेतु अधिक अध्यापकों की आवश्यकता

३१५. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) छात्रों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए अध्यापकों की संख्या हाई स्कूल, लालसोट में सरकार कब तक बढ़ायेगी ?

(२) हाईस्कूल में साइन्स व गणित के अध्यापकों की कब से मांग है और उसे क्यों नहीं पूरा किया जाता और कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द विश्नोई): (१) अध्यापकों की संख्या स्वीकृत बजट के अनुसार रहती है और जब तक बजट में संख्या न बढ़े अध्यापक नहीं बढ़ाये जा सकते।

(२) सितम्बर, १९५७ से मांग है और अध्यापक दे दिये गये हैं।

प्रश्न संख्या ३१९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचंद्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३२०

श्री अध्यक्ष : डा० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट सवाल है इसलिए इसका उत्तर दे दिया जाय।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, मैंने फेमीन पर स्टेटमेन्ट दिया उसमें सब कवर हो गया। आप फरमायें तो और दे दूं।

राजस्थान में अभाव की स्थिति एवं अभावग्रस्त घोषित ग्राम

३२०. (डा० चन्द्र कला की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के आदेश से उत्तर दिया गया)

क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कहां २ अभाव की स्थिति है तथा कितने क्षेत्र अकालग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं ?

(२) अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य सम्बन्धी सरकार की क्या योजना है ?

(३) उक्त क्षेत्रों में अब तक कितना और क्या राहत कार्य किया जा चुका है ?

राजस्व मंत्री : (श्री दामोदरलाल व्यास)

(क) अभाव की स्थिति के सम्बन्ध की सूचना निम्न प्रकार है :

जोधपुर खंड : जिला जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, सिरोही व पाली।

उदयपुर खंड : जिला बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर।

अजमेर खंड : जिला सीकर, झुंझुनू।

बीकानेर खंड : जिला बीकानेर, गंगानगर, चूरू।

अभी जिलाधीशों से गश्त गिरदावरी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के नाम घोषित किये जा सकेंगे। यह प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर कहा जा रहा है।

(२) जहां जहां अभाव की स्थिति होती है वहां सर्व प्रथम परीक्षण सहायता कार्य (टेस्ट रिलीफ वर्क्स) चालू करके यह मालूम करते हैं कि उन कार्यों पर संतोषप्रद संख्या में लोग काम पर आते हैं या नहीं और वह कार्य किया जाता है।

(३) अभी इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जिन जिन जिलों के बारे में सूचना प्राप्त हुई है तो क्या अकाल की स्थिति उन सम्पूर्ण जिलों में है या तहसील में है ?

Page No.21

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलों में और उनमें से भी कुछ गावों में।

श्री सरदारसिंह : किन किन तहसीलों में है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनियारा में तो नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : एक्वीजिशन की कार्यवाही वहां चल रही है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर अकाल ग्रस्त घोषित कर देते हैं तो स्टे हो जाती है।

श्री भीमसेन : बांसवाड़ा में कितना है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने आपको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर बता दिया। गश्त गिरदावरी की रिपोर्ट तो बाद में आवेगी और तब इसका सही रूप में पता चल सकेगा।

श्री भैरोंसिंह : यह सूचना किस आधार पर दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पहले जो इस सम्बन्ध में मैंने स्टेटमेन्ट दिया है उसमें मुफस्सिल तौर पर तहसीलें दी हैं और उसमें कह दिया कि कहीं तो पूरी तहसीलें हैं और कहीं तहसीलों के कुछ गावों में अकाल की स्थिति है।

श्री भैरोंसिंह : बिना गश्त गिरदावरी के ही सूचना कैसे मिली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने निवेदन किया कि प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के आधार पर है। गश्त गिरदावरी की रिपोर्ट में यहां तक पता लग जाता है कि कहां २ एक आना, दो आना, तीन आना की अकाल की स्थिति है। यह तो प्रिलिमिनरी सूचना है जो मैं आपको दे रहा हूं।

प्रश्न संख्या ३२२

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री मनोहर कोठारी : ३२६ का जवाब दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अभी ३२२ का नम्बर है। श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल।

सवाई-माधोपुर में डिग्री कलेज खोलने की मांग

३२६. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगानगर) : क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या सरकार को मालूम है कि सवाई-माधोपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है ? यदि हां, तो अब वहां कब तक कॉलेज खोल दिया जावेगा ?

उप शिक्षा मन्त्री : (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : इस सम्बन्ध में निश्चित तौर पर अभी कुछनहीं कहा जा सकता।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या इस सम्बन्ध में निश्चित तौर से अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि सवाई-माधोपुर में डिग्री कॉलेज है या नहीं ? आपने जो जवाब दिया है इसका मतलब यह नहीं माना जाय कि वहां पर डिग्री कॉलेज है या नहीं, इस बात का सरकार को निश्चय नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्रश्न के

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

दूसरे भाग का उत्तर है। "क्या सरकार को मालूम है कि सवाई-माधोपुर में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है? यदि हां, तो अब वहां कब तक कॉलेज खोल दिया जावेगा?" मेरा जवाब इस प्रश्न के दूसरे भाग से सम्बन्धित है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : कौन से पार्ट का यह जवाब है?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सेकन्ड पार्ट का है।

श्री अर्जुनदास : पहले का जवाब नहीं दिया और एकदम सेकन्ड पर आ गये।

श्री अध्यक्ष : डा० चन्द्रकला।

राजस्थान कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता

३२६. **श्री पी. के. चौधरी** (डा० चन्द्रकला की अनुपस्थिति में) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान कॉलेज स्थापित करने की अनिवार्यता सरकार को क्यों महसूस हुई?

(ख) क्या राजस्थान कॉलेज में अध्ययन करने वाले ५० विद्यार्थियों की व्यवस्था दूसरे कॉलेजों में नहीं हो सकती थी?

(ग) राजस्थान कॉलेज की क्या विशेषाताएं हैं?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई):

(क) प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रतिभा का सर्वांगीण विकास करने हेतु ताकि वे ऊंची परीक्षाओं तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेकर सफलता प्राप्त कर सकें जिससे उनका तथा राजस्थान का गौरव बढ़ायें इस प्रकार के कॉलेज अन्य प्रांतों में भी हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) निम्नलिखित विशेषाताएं हैं :

१. ५० प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हुए विद्यार्थियों को प्रवेश देना।

२. अच्छे से अच्छे योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना।

३. ट्यूटोरियल क्लासेज़ चलाना तथा प्रत्येक विद्यार्थी की कठिनाई को व्यक्तिगत रूप से सुलझाना।

४. अच्छे पुस्तकालय की व्यवस्था करना तथा पुस्तकालयों की किताब अधिकाधिक अध्ययन पर बल देना।

५. विद्यार्थियों के शारीरिक, साहित्यक तथा कलात्मक विकास का प्रबन्ध करना।

श्री पी० के० चौधरी : What are the subjects taught in this college?

सब्जेक्टस क्या पढ़ाते हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आर्टस के सब्जेक्ट्स पढ़ाये जाते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : आर्टस में कौन कौन से सब्जेक्टस पढ़ाते हैं?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आर्टस के सब सब्जेक्टस के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन इकॉनोमिक्स, हिस्ट्री आदि जितने सब्जेक्टस हैं वह पढ़ाये जाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कहा कि प्रत्येक विद्यार्थी की व्यक्तिगत कठिनाइयों को हल करते हैं, तो वे क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : प्युपिल टीचर का रेशो कम रखा जायगा। जब कि दूसरे कॉलेजों में विद्यार्थी ७०, ८० और १०० की संख्या में पढ़ते हैं लेकिन यहां पर रेशो इतना कम रखा जायगा कि जिससे ट्यूटोरियल क्लासेज़ हो सकें और उनमें जो कुछ भी दिक्कतें, विद्यार्थियों की डिफिकल्टीज़ होंगी वे उनको रूबरू हल की जा सकती हैं पूछताछ करके। वहां पर प्रोफेसर हर वक्त एवेलेबल रहेंगे।

श्री मनोहर कोठारी : क्या ५० से कम अंक प्राप्त करने वालों को भी भरती किया जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : जी नहीं, ऐसा उदाहरण सामने नहीं आया।

श्री पी० के० चौधरी : इन ५० विद्यार्थियों में से गरीब क्लास के कितने विद्यार्थी हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : ठीक तादाद तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ५० प्रतिशत से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले इस प्रकार के स्टूडेन्टस हैं कि उन लोगों को खास तौर से स्टीपेन्ड देकर एडमिशन दिया गया है और उनकी तादाद काफी है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय मंत्रीजी ने यह बताया कि जो इस तरह कॉलेज खोला गया है उससे राजस्थान का गौरव बढ़ेगा, तो क्या राजस्थान के जो और डिग्री कॉलेज हैं उनसे गौरव बढ़ने की बात नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं निवेदन करूंगा कि वे सब तो गौरव बढ़ाते ही हैं लेकिन इसके अन्दर विशेष रूप से प्रयत्न किया जायगा कि जिससे स्टूडेन्टस ठीक ट्रेन्ड होकर आल इंडिया कम्पीटिशन तथा राजस्थान के कम्पीटिशन में, सार्वजनिक सेवाओं में वे सब प्रकार से ज्यादे से ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकें।

श्री पी० के० चोधरी : उनसे ट्यूशन फी क्या चार्ज की जाती है ? उनसे मन्थली फी क्या चार्ज करते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसका नोटिस अलग से चाहूंगा, लेकिन इतना निवेदन कर दूं कि ट्यूशन फी के मामले में दूसरे कॉलेजेज़ में जिस प्रकार के कन्सेशन लागू हैं वे यहां पर भी लागू होते हैं।

श्री पी० के० चौधरी : कन्सेशन का सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछता हूं कि रेट क्या है ?

श्री अध्यक्ष : He has said that he has no information. Why repeat the question ?

श्री मनोहर कोठारी : प्रत्येक विद्यार्थी पर कितना खर्चा आता है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : खर्चे की तादाद तो अभी नहीं कही जा सकती है, लेकिन पहले एक प्रश्न पूछा गया था, उसके संबंध में निवेदन करना चाहता हूं कि ५३ विद्यार्थियों में से १५ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको कि स्टीपेन्ड दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि वहां पर वे गरीब वर्ग के हैं। फीस के मामले में यह बात है कि १५ रुपये ट्यूशन फीस है।

Page No.24

श्री जनार्दनराय नागर : अधिक से अधिक कितने विद्यार्थी इस कॉलेज में लिये जा सकते हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : इसके अन्दर अगले वर्ष तादाद बढ़ने वाली है और करीब १५०,२०० तक संख्या पहुंच जायगी।

रावराजा श्री सरदारसिंह : इस वक्त यह कहां चल रहा है राजस्थान कॉलेज ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : जहां पहले युनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी।

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

सरगांव (त० किशनगढ़) में कुछ कृषकों से डूब रकबे की लगान वसूली

३३०. **एक माननीय सदस्य** (श्री सतीशचन्द्र की अनुपस्थिति में) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) सरगांव, तहसील किशनगढ़ में ऐसे कौन २ से किसान हैं जिनसे डूब रकबे का पूरा लगान वसूल किया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि पर्ची बनने के बाद डूब रकबे का पूरा हांसिल इस वर्ष से पूर्व वसूल नहीं हुआ ?

(३) यदि हां, तो नये सिरे से लगान वसूल करने के आदेश किस अधिकारी ने किन कारणों से दिये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) :

(१) केवल एक किसान की जुवारब वल्द मकना गूजर।

(२) जी हां। उपरोक्त रकबा पहिले बिला नाम दर्ज था और जिस कदर रकबा काश्त होता था उसका लगान बिला नाम की रेट से वसूल किया जाता था।

(३) नये सिरे से लगान वसूल नहीं किया जा रहा है। सेटिलमेंट डिपार्टमेंट ने जो लगान पर्चे में लगाया है, उसी मुताबिक लगान वसूल किया जा रहा है।

प्रश्न संख्या ३३२

श्री अध्यक्ष : डा० चन्द्रकला।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३३५

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह।

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : माननीय अध्यक्ष, इसका जवाब मुकम्मिल आज है नहीं, इसलिए आइन्दा चान्स पर इसका जवाब दूंगा।

श्री धर्मपाल : थोड़ी सी ही जानकारी दे दें। घोड़ा बाड़ी के लिए जमीन रिज़र्व हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

एक माननीय सदस्य : दे दिया जवाब।

१२. ३६ म० प०

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा की बैठकों से उस समय तक के लिए जो कि उनके नामों के आगे निर्देशित हैं अनुपस्थित रहनी की अनुमति चाही है :

(श्री अध्यक्ष)

१. रावल श्री नरेन्द्रसिंह
१८ से २१ नवम्बर १९५७ तक।

२. श्री मोहब्बतसिंह
१८ से २० नवम्बर, १९५७ तक।

३. श्री शंकरलाल
११ से २० नवम्बर, १९५७ तक।

४. श्री दलपतसिंह
१८ नवम्बर, से सत्र के अन्त तक।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

११–५८ म. प.

राजस्थान रेवेन्यु लॉज़ (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७

श्री अध्यक्ष : Clause by clause consideration of the Rajasthan Revenue Laws (Extension) Bill, 1957.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जो मैं निवेदन कर रहा था उस बीच में माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने यह बताया कि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसका संबंध दूसरे किसी कानून से है, लेकिन मैं निवेदन करूं कि यही बात नहीं है। आप किसी धारा के अन्दर एक परिवर्तन ला रहे हैं तो उस क्लॉज़ को उस रूप में हम देखें। आपका संभवतः यह ख्याल हो कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का जो एमेंडमेंट आ रहा है और इससे १४० ए की क्लॉज़ कवर होती है, तो मेरा खयाल है कि यह बात गलत है। मैं तो यह मानता हूं कि जो 'खुदकाश्त' की डेफिनिशन राजस्थान रिज़म्पशन ऑफ जागीर्स के एक्ट में दी हुई हैं, व टीनेन्सी एक्ट में दी हुई हैं व रेवेन्यु एक्ट में दी हुई हैं, इन तीनों डेफिनिशन्स के आधार पर जो 'खुदकाश्त' के लिए जमीन देने का या जिस जमीन के विषय में 'खुदकाश्त' अधिकार निर्णीत करने की बात है, तो फिर इसमें दो बातें हैं। पहली तो यह है कि जिनके नाम से खुदकाश्त, सीर, हवाल इत्यादि दर्ज हो चुकी हैं, वह पहली है, मगर वे लोग आ जायेंगे जिनको इस कानून के अन्तर्गत भूमि एलॉट की गई है। या तो इस कानून के अन्तर्गत अर्थात् राजस्थान लैण्ड रिफॉर्म्स एन्ड जागीर्स रिज़म्पशन एक्ट के अन्तर्गत भूमि एलॉट की गई है यानी जिनके नाम से नये कानून के अन्तर्गत रेकार्ड ऑफ राइट्स में खुदकाश्त के नाम से कोई जमीन दर्ज है।

अब माननीय मंत्री महोदय खुदकाश्त की जमीन जो पहले से दर्ज की हुई है उसमें आज परिवर्तन चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इन एकॉर्डेन्स टू डेट लॉ यदि एन्ट्री है तो माना जाना चाहिए और इन एकॉर्डेन्स टू डेट लॉ नहीं हो रही है तो आज भी वह ओपन की जा सकती है। आज से २० वर्ष पहले या २५ वर्ष पहले रेकार्ड ऑफ राइट्स में एन्ट्री हुई है उस वक्त अगर वह गलत भी हो तो यह प्रिज़्यूम किया जाना चाहिए कि आपका कानून था, आपकी व्यवस्था थी और आपके कानून की व्यवस्था के अन्दर किसी ने एक गलत एन्ट्री कर ली है लेकिन कानूनन मानेंगे कि सही एन्ट्री है।

यदि कोई पार्टी एग्रीव्ड थी तो उसको अपील, रिविज़न या रिव्यू करने की गुंजा-

(श्री तनसिंह)

यश थी लेकिन यदि किसी ने अपील नहीं की, रिविजन नहीं किया या रिव्यू नहीं किया तो आप एक स्ट्रोक ऑफ पेन से जो चीज २० साल से बंद थी उसको वापिस चालू करना चाहते हैं। आप सारे रेकॉर्ड ऑफ राइट्स में परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, आप ऐसा निर्णय ले रहे हैं जिसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे हैं लेकिन वास्तव में चीज वही है। आप कहेंगे, यह हमारी मंशा नहीं है। लेकिन आपका अभिप्राय क्या है? In accordance with law for the time being in force, ऐसी अवस्था में यह जो संशोधन आया है उसके विरोध में बालोतरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

दूसरा संशोधन उन्होंने सेक्शन ५ के सब सेक्शन (८) में रखा है पर्सनल कल्टि नेशन के संबंध में। इस संबंध में पहले से ही टिनेन्सी एक्ट में रद्दोबदल हो चुका है और इसलिये इस कानून के अन्तर्गत इस डेफिनेशन में कोई तब्दीली आवश्यक नहीं है। इसके दो कारण हैं। एक तो यह कि इस कानून की दृष्टि से टेक्निकली जब टिनेन्सी एक्ट को हम लागू कर रहे हैं और जिसको हम लागू कर रहे हैं उसको हमने बदल दिया है। उसमें परिवर्तन करके टिनेन्सी एक्ट में शामिल किया है और आज हम अभी लगा रहे हैं, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। आज जो फोर्म है परिवर्तित और जो अमेन्डमेन्ट कर रहे हैं उस अमेन्डमेन्ट को पहले ही कर दिया है। टेक्निकली उसकी आवश्यकता नहीं है और साथ ही प्रिन्सिपल से भी आवश्यकता नहीं है। योजना आयोग की नीति है कि हम पर्सनल कल्टिवेशन उन्हीं लोगों को देना चाहते हैं जो निजी रूप में काश्त कर सकते हैं। मैं इस बात से संतुष्ट हो सकता यदि उनकी यही नीति होती। लेकिन उनकी नीति यह नहीं है। वे यह बताना चाहते हैं कि योजना आयोग की यह नीति है। यदि उनकी यह नीति होती तो खुदकाश्त की क्या आवश्यकता थी? यदि पर्सनल कल्टिवेशन का मतलब खुदकाश्त से नहीं है तो दूसरा मतलब न हो सकता यदि खुद काश्त की डेफिनिशन मुलाहिजा करें तो उसमें :–

" 'Khudkasht' shall mean any land cultivated persenally by a jagirdar and shall include......"

" 'Land cultivated personally' with all its grammatical variations & cognate expressions, shall mean land cultivated on one's own account—"

By one's own labour, etc. etc.

पहले तो यह था कि यदि कोई मैनेजर या एजेन्ट की देख-रेख में भी काश्त होती है तो उसको भी पर्सनल कल्टिवेशन में माना जाता है लेकिन अब योजना आयोग की तथा-कथित नीति में कम से कम राजस्थान सरकार चाहती है कि हम इसे कार्यान्वित करें। बड़े खेद की बात है कि इसे कार्यान्वित करने की आड़ में जिनका नाम खुदकाश्त में है उनको खातेदारी टिनेन्ट्स में लाना चाहते हैं। यदि लैंड पर्सनली कल्टीवेट करने की बात हो तो मैं मान सकता था, यदि खातेदार की डेफिनिशन में परिवर्तन लाते। यदि खातेदार की डेफि-नेशन में यह लिखेंगे कि यदि खातेदार स्वयं कल्टीवेशन नहीं करता है तो खातेदारी राइट

(श्री तनसिंह)

देने को तैयार नहीं हैं, लेकिन मंत्रीजी के लिये यह एक आसान चीज नहीं है, वे खाली जागीरदारों पर और लैंड ओनर्स पर इसे लादना चाहते हैं क्योंकि उनका नाम बदनाम हुआ है और उनके लिये प्रोपेगेन्डा किया गया है। उन पर चाहे जो नीति लागू कर दें। लेकिन यदि नीति ही लागू करना चाहते हैं तो डिस्क्रीपेन्सी क्यों रखना चाहते हैं? जागीरदार पर्सनल कल्टीवेशन नहीं करते हैं; मैनेजर या एजेन्ट के जरिये कराते हैं लेकिन मुझे मालूम है कि आज अनेक लोग जो जागीरदार नहीं हैं दूसरों से काश्त करवाते हैं। लेकिन अन्धेर यह है कि पोलिसी के नाम पर, योजना आयोग की पोलिसी के नाम पर संशोधन किया जा रहा है; जागीरदारों पर इसलिये कि वे प्रिविलेज्ड क्लास के हैं लेकिन दूसरे लोग जो प्रिविलेज्ड क्लास के हो रहे हैं उनकी ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखते और यदि देखते भी हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उनकी ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं है। खातेदारों के लिये भी इस प्रकार की डेफिनिशन करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि कुछ करना है तो समान रूप से खुदकाश्त और खातेदारी राइट्स इन दोनों के लिये करना चाहिये।

तीसरा संशोधन क्लॉज़ ५ के पार्ट नाइन्थ में रखा है। उसमें जो डेफिनिशन दी है उनमें पर्सन को स्पेसिफाइ किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : Have all these amendments been moved by the mover ?

श्री अध्यक्ष : Yes, Shri Anopsingh & Shri Tansingh have moved their amendments on Section 12.

श्री तनसिंह : Only my first amendment has been moved.

श्री अध्यक्ष : And your amendment on Section 12 ?

श्री तनसिंह : सेक्शन १२ तक अभी पहुंचे नहीं है। आपके एतराज हैं, १, २ और ५ पर अमेन्डमेन्ट हैं। मैं समझता हूं मूव कर दिये हैं। I can take my seat.

श्री अध्यक्ष : They have been moved on section 5.

श्री तनसिंह : Clause 12 is a different thing and section 5 is different one.

श्री अध्यक्ष : Right. All the amendments on section 5 have been taken up.

(श्री तनसिंह से) आपने मूव किया है अपना अमेन्डमेन्ट ?

श्री तनसिंह : मैंने मूव नहीं किया है। मेरी टर्न तो सब-क्लॉज १२ पर आनेवाली है।

श्री अध्यक्ष : तब आप जबाब कैसे दे रहे है ?

श्री तनसिंह : मैं तो मेरे मित्र ने जो अमेन्डमेन्ट रखे हैं उनका समर्थन कर रहा हूं। रेवेन्यु मिनिस्टर साहब बीच में खड़े हुए थे, बोलने की आवश्यकता नहीं थी इसलिये मैंने उनको उत्तर दिया।

श्री अध्यक्ष : Yes.

श्री तनसिंह : पार्ट नाइन्थ में पर्सन को आपने डिफाइन किया है, थोड़ा सा क्वालिफाइ किया है. वह यह है कि 'पर्सन' के बाद में

(श्री तनसिंह)

'In any part of thet Sate.' ये शब्द जोडे जांय। मुझे इस अमेन्डमेन्ट का रवैया समझ में नहीं आया। मंत्री यह चाहते हैं कि पर्सन वही है जो इस स्टेट के पार्ट में रहता है। तो मुझे विचित्र सी एनोलोजी समझ में आती है। "Land held in any part of the State" लगाते हैं तो मैं मान सकता हूं कि यह ठीक होगा। पहले जो डेफिनिशन थी उसके अनुसार यह था कि "In any part of the State" से यह हो सकता है कि राजस्थान में जमीन है और दूसरी जगह भी रहने वाला है तो राजस्थान में लैंड होल्ड कर सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि राजस्थान में ही रहे। पहले जो डेफिनिशन थी वह ठीक थी। अब "In any part of the State" लगाकर यह कहते हैं कि इससे ठीक रहेगा तो मैं दूसरी तरफ भी ध्यान आकर्षित करूंगा।

उसमें एक जगह "पर्सन" शब्द आया है। अब पूरे टीनेन्सी एक्ट को न उठा कर जो अमेडिंग बिल है, उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सेक्शन पांच के सब सेक्शन (४३) में जो पेज पांच पर है, यह है: "'Tenant' shall mean the person by whom rent is or, but for a contract, express or implied..."

इसमें जो शब्द पर्सन कहा है, इस पर्सन शब्द के आगे भी 'In any part of the State' नहीं लगाया है। इसका अर्थ है कि जो टिनेन्ट है वह चाहे राजस्थान के किसी पार्ट में रहे, या न रहे लेकिन लैंड होल्डर तभी माना जायेगा, जब एनी पार्ट ऑफ दी स्टेट में होगा। शब्द 'इन एनी पार्ट ऑफ दी स्टेट' रिडन्डेन्ट है और जो हमारा लॉ विभाग है यह उसके दिमाग की कसरत है, इसके सिवाय और कुछ नहीं।

चौथा अमेंडमेंट है, वह यह है कि पार्ट ११ को डिलीट कर दिया जाय।

"In clause (41) after the words 'a person' the words 'in any part of the State by whatever name designated' shall be inserted."

यह अमेंडमेंट भी पहले अमेंडमेंट की भांति है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अमेंडमेंट माननीय सदस्य ने मूव किये हैं, ये करीब करीब टेक्नीकल नेचर के हैं और माननीय मंत्री जी को स्वीकार होंगे। अगर उन्हें स्वीकार न हों, तो हाउस को इन अमेंडमेंट्स को स्वीकार करना चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ये जो अमेंडमेंट्स हैं, जिन पर बहस चल रही है, उनके लिए मैं अर्ज करूंगा कि जो माननीय सदस्य बाड़मेर से आये हुए हैं, उनको मैंने कल भी अर्ज किया था और आज भी साफ साफ अर्ज करना चाहता हूं कि उन्हें गलतफहमी में नहीं पड़ना चाहिए। खुदकाश्त की डेफीनिशन से रिकार्ड आफ राइट्स है, वह रद्द हो जायगा। यह चीज करने का इरादा नहीं है और अगर इरादा हो भी तो जो गलत एन्ट्री होगी, उनको चेंज होना चाहिए। इस इरादे से यह बिल सदन के सामने रखा है। एक और बिल लैंड रेवेन्यु बिल है, जो सदन के सामने बहस के लिए आयेगा। माननीय सदस्य ने जो दलील अभी दी है वह उस समय देते, तो मेरे ख्याल से वाजिब होता। यह तो सिर्फ डेफीनिशन का सवाल है कि खुदकाश्त क्या है, इसमें चेंज करने, ओथोरिटी

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आफ चेंज का सवाल पैदा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि रिकार्ड आफ राइट्स चेंज कर रहे हैं। आगे जब खुदकाश्त की एन्ट्री करने का मौका आयेगा, उस वक्त इस खुदकाश्त की डेफीनिशन को रेफर किया जायगा। जो एन्ट्री पहले हो गई हैं, उनको अगर चेंज करना है तो उसके लिए अलग से बिल पेश किया है, जो सदन के समक्ष विचार के लिए आयेगा। इसलिए सिर्फ यह कहना कि डेफीनिशन चेंज कर रहे हैं, इसका यह रिजल्ट हो जायेगा कि खुदकाश्त जो १०–२० साल पहले रिकार्ड हुई थीं, वह रिकार्ड ऑफ राइट्स तब्दील हो जायगा। यह सही नहीं है। मेरे ख्याल से इस डेफीनिशन को समझने में भूल करने की जरूरत नहीं है।

दूसरा पार्ट अमेंडमेंट का है, जिस पर माननीय सदस्य ने कुछ आपत्ति की है। इस सम्बन्ध में भी उनको कुछ गलत फ़हमी हो गई है, जो कि पर्सनल कल्टीवेशन के सम्बंध में है। इसके लिए वे जो अमेंडमेन्ट टिनेन्सी एक्ट में किया है उसको पढ लें और इसको पढ़ें। It is only on account of the technical legal language कि फ्रेजोलोजी बदली है। इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंचता है, या जागीरदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए कार्यवाही की गई है। आप ये दोनों पढ़ लीजिये और फिर समझाइये। मैं समझना चाहता हूं कि कौनसा कानूनी इन्टरप्रिटेशन है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी जागीरदार को नुकसान पहुंचता है। यह सिर्फ लीगल फ्रेजोलोजी को ठीक करने के लिए रखा गया है लॉ डिपार्टमेंट के सजेशन के ऊपर, इसलिए मैं कहता हूं कि इसके मायने यह नहीं हैं कि किसी वर्ग विशेष पर हमला करने की नीयत हो।

श्री तनसिंह : I can accept the challenge that it is intentionally misguiding the House.

श्री दामोदरलाल व्यास : This is your own interpretation., I am submitting what I understand.

थर्ड पाइन्ट जो है कि जहां जहां वर्ड्स : "In clause (41) after the words 'a person' the words 'in any part of the State by whatever name designated' shall be inserted" यह बहुत इन्नोसेन्ट चीज है, जिसका आपने कुछ और मतलब निकाल लिया। मैं आपको बताऊं कि मध्य भारत, बम्बई और स्टेट ऑफ अजमेर के जो लॉज़ थे, उनमें सब-टिनेन्ट को कहीं शिकमी काश्तकार कहा जाता है, कहीं पर किसी और नाम से पुकारते हैं, अजमेर में १०–१२ तरह के सब-टेनेन्ट है। इसलिए हमने यह किया है कि 'in any part of the State by whatever name designated' shall be inserted. It is a simple thing.

इसके अन्दर कोई एतराज की बात नहीं है, क्योंकि शिकमी काश्तकार को किसी और नाम से पुकारते हैं ? He will also be included in the definition of the word 'landholder' लेंड होल्डर को जागीरदार कहते हैं। बम्बई में। मध्यभारत के अन्दर और किसी नाम से पुकारते हैं, he will also be included in the term 'landholder'.

यह केवल टेक्निकल बात है, दिस इज ऑनली टेक्नीकल बात । यानि किसी

Page No.30

(श्री दामोदरलाल व्यास)

शिकमी काश्तकार, लैंड होल्डर, टिनेन्ट आदि किसी शख्स को डेफीनिशन से निकाला जाय, तो उसके लिए हमने लीगल फ्रेजोलोजी दी है: "........by whatever name designated in any part of the State" he will be a land-holder.

इसमें और कोई झगड़ा नहीं है, केवल लैंगवेज में अमेंडमेंट का है। मेरे ख्याल से इसमें गलतफहमी की गुंजाइश नहीं है क्योंकि यह एक कानूनी पॉइन्ट है। मै एक बार फिर कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो कहा है वह मुझे समझा दें कि उसमें किसी वर्ग विशेष की डिसएडवान्टेजियस पोजीशन आती है, I am prepared to withdraw my amendment but please convince me.

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप इज़ाजत दें तो मैं बोलूं।

श्री नाथूराम मिर्धा : जवाब हो गया है।

श्री तनसिंह : जवाब हो गया है, इसीलिए तो इजाजत मांगी है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बिल्कुल, I am prepared if you can convince me that he (land-holder) has been placed in the disadvantageous position from that under the Rajasthan Tenancy Act.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह कह कर रवाना हो रहे हैं, और कन्विन्स होना चाहते हैं। (विराम) खैर, कोई बात नहीं, वे आ रहे हैं।

अभी आपने इतने जोर से बात कही कि यह बिल्कुल मामूली बात है, जो चीज़ है उसमें सुधार करने के लिए रखा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, अभी चलते चलते माननीय मंत्री ने कहा था कि टिनेन्सी एक्ट में जो रद्दोबदल की है, उसी पर दुबारा विचार कर रहे हैं। मैं भी उसके विषय में कह रहा हूं, टेक्निकली मैं इसी ग्राउन्ड पर खड़ा होता हूं, कि आपने टिनेन्सी एक्ट में रद्दोबदल कर दी, उसको लागू कर रहे हैं सब जगह। यानि जो अमेंडमेंट कल कर दिया है, वही अमेंडमेंट दुबारा कर रहे हैं, इसमें क्या सेन्स है? जिस ढंग का अमेंडमेंट टिनेन्सी एक्ट में किया है, उसके मुताबिक अमेंडमेंट इसमें लागू होगा, टेनेन्सी एक्ट में जो पर्सनल कल्टीवेशन की अमेंडेड डेफीनिशन है, वही इस बिल के अन्दर दुबारा लागू की जा रहो है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अब जो टिनेन्सी बिल हमारे इस सदन में पास हुआ है, वह अभी तक सम्भवतः एक्ट के रूप में नहीं लिया गया होगा, लेकिन हमने कल-परसों जो कानून पास किया है टिनेन्सी बिल का, उसमें जो पर्सनल कल्टीवेशन को डेफीनेशन है, वही पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन इस बिल के मुताबिक लागू कर रहे है जब कि वही डेफीनिशन इसमें लाने की जरूरत नहीं है। मेरी राय में कोई हर्ज नहीं है कि यदि सारे कानून में रद्दोबदल कर दें, सारे प्रोवीज़न्स को निकाल कर रख दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैंने अर्ज किया था कि हमने लीगल फ्रेज़ोलोजी ठीक की है। जो सब्सटेन्शियल बिल है, उसमें एक बात के सम्बन्ध में जो अमेंडमेंट किया है, उसी अमेंडमेंट को दुबारा ला रहे हैं, that is a different thing altogether. I only submitted that

(श्री दामोदरलाल व्यास)

it does not affect any party. It is only on account of a proper legal phraseology.

श्री अध्यक्ष : टिनेन्सी एक्ट को एक्सटेन्ड कर रहे है, that Act is as amended uptil now.

श्री दामोदरलाल व्यास : Consequential changes हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कह रहे हैं कि क्योंकि उसमें अमेंडमेंट कर लिया, इसलिए इसमें अमेंडमेंट करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फ्रेज़ोलोज़ी ठीक करने की आवश्यकता है। ये कॉन्सीक्वेन्शियल चेंजेज़ हैं।

श्री तनसिंह : कॉन्सीक्वेन्शियल चेंजेज़ हैं ? में पढ़ कर सुना देता हूं। आप देखें, कैसे यह कॉन्सीक्वेन्शियल चेंजेज़ हैं ? पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन टिनेन्सी एक्ट में है, उसमें है कि जो मेनेजर एन्ड एजेन्ट के सुपर्विज़न में काश्त होगी, वह काश्त मानी जायगी; यह मेनेजर या एन्जेट........

श्री दामोदरलाल व्यास : अभी टिनेन्सी एक्ट में अमेंडमेंट हो गया है।

श्री तनसिंह : यह बात में कह रहा हूं। टेक्नीकली मेरी राय है कि जो अमेंडमेंट उसमें कर दिया, उसको करने की दुबारा कोई जरूरत नहीं है। प्रिन्सिपली यह दूसरी काश्त पर लागू नहीं होता है, पर्सनल कल्टीवेशन पर लागू होता है। आप मुझे बतायें कि खुद काश्त और पर्सनल कल्टीवेशन के मतलब क्या हैं, " 'Khdekasht' shall mean any land cultivated personally."

श्री दामोदरलाल व्यास : आप गलत समझ रहे है। पर्सनल कल्टीवेशन खुद काश्त पर लागू होता है, काश्तकार पर सब टिनेन्ट मुकर्रर करने के लिए रेस्ट्रिक्शन्स रखे हैं, यानि उसमें पर्सनल कल्टीवेशन नहीं रखते हैं; that will apply to everybody.

इससे क्या जागीरदार पर हमला है, it will apply to all such persons.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, में नही चाहता कि सदन का समय लूं या कन्ट्रोवर्सीज़ में पड़ूं, पर में दावे के साथ, चैलेंज के साथ मन्त्री महोदय से कह सकता हूं कि चलिये चेम्बर में अभी आपको सेटिस्फाई कर दूं। यों बीच बीच में इन्टरप्शन्स करके सदन का समय बर्बाद करना उचित नहीं। मुझे गलतफहमी हो रही है या आपको गलतफहमी हो रही है यह तो अध्यक्ष महोदय, आप निर्णय कर सकेंगे। आपने तो जो कानून भेजा है उसको देखा ही नहीं, लॉ डिपार्टमेंट ने जैसा भेजा वैसा ही कर दिया, पर हमने इसे देखा है, रातें काली की हैं, इसे स्टडी किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सफेदी आ गई है, यह काम करते करते।

श्री तनसिंह : यदि आप गलती बता दें तो हम कान पकड़ने को तैयार हैं। आप नहीं कह सकते कि पर्सनल कल्टीवेशन खातेदार पर लागू होगा, यह खुदकाश्त में लागू होगा। लैंड पर्सनली कल्टीवेटेड, इसका एक्स्प्लेनेशन टिनेन्सी एक्ट में है, उस पूरे एक्ट में पर्सनल कल्टीवेशन सिवाय खुदकाश्त के किसी पर लागू नहीं होता, तो फिर खातेदार और सब टिनेन्ट पर यह कैसे लागू होगा ?

श्री सोहनलाल भटनागर : अगर कोई अब सब टिनेन्ट नहीं रखता है तो पर्सनल कल्टीवेशन नहीं ?

Page No.32

श्री तनसिंह : जी नहीं देखिये : (25) " 'land cultivated personally' with all it's grammatical variations and cognate expressions, shall mean land cultivated on one's own account --

(i) by one's own labour, or

(ii) by the labour of any member of one's family, or

(iii) by servants on wages payable in cash or in kind or by hired labour under one's personal supervision or the personal supervision of one's family or one's manager or agent."

यहां मैनेजर और एजेंट सब हटा दिये हैं, पर्सनल कल्टीवेशन खुदकाश्त के साथ है, और किसी जगह नहीं है।

" 'Khudkasht' shall mean any land cultivated personally by a Jagirdar and shall include— so and so."

अब खातेदार की डेफिनिशन देखें तो उसमें पर्सनल कल्टीवेशन का नाम नहीं, आप चाहें कि गुमराह कर दें, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप यह कहें कि आप नहीं समझते, यह ठीक कर रहे हैं, आपके हित में कर रहे हैं, आप चाहें जैसा कर सकते हैं, आपके पास ११६ आदमी हैं, पर यह कह दें कि आप समझ नहीं रहे हैं, आपके हित में कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष, मैं बहुत ही अदब के साथ निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मैंने यह कभी नहीं कहा कि आप नासमझ हैं, मुझे इन्टरप्शन के लिये क्षमा करें, गलतफहमी एक अच्छे से अच्छे अक्लमन्द को भी हो सकती है। माफ करना गलत फहमी हो गई, मैं आपको नासमझ कहूं, ऐसी गलती मैं कभी नहीं कर सकता।

श्री तनसिंह : मैंने यह नहीं समझा, अगर नासमझ कह भी दें तो मुझे एतराज नहीं है। यहां जो समझ में नहीं आ रहा हो, वास्तव में ऐसी बात नहीं है। आप यह मान कर चल रहे हैं कि पर्सनल कल्टीवेशन का खुदकाश्त और खातेदारी से सम्बन्ध है, इस लिये टिनेन्सी बिल को अमेंड किया, कानून में पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन दी है, आपने इसको खुदकाश्त के साथ लागू किया है, खातेदार के साथ नहीं, तो इसका डायरेक्टली खुदकाश्त पर असर पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : लेकिन वह अमेंडमेंट तो हो गया है, अमेंडमेंट हो या नहीं हो, इस पर असर नहीं पड़ता, होना था सो तो हो गया इससे आपको क्या फायदा होगा ?

श्री तनसिंह : यदि हो चुका है तो अब उसको लाने की क्या आवश्यकता है ? यदि लाया जा रहा है तो इसके माने यह हैं कि हमारे एक चूंटिया और भरें और हम बोलें, यदि यह बात है तो हम बोलने के लिये तैयार हैं, हम पिछली बार बोल नहीं सके, इसलिये अब बोल रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं माननीय सदस्य से जानना चाहूंगा कि टिनेन्सी एक्ट में जो डेफिनिशन है और जो आज रखी है उसमें क्या फर्क पड़ता है ? पर्सनल कल्टीवेशन की डेफिनिशन दी हुई है।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

"As amended by this House a few days back." इसमें और आज की में कोई फर्क नहीं पड़ा।

श्री तनसिंह : यह कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं है तो फिर इसे यहां दुबारा क्यों ला रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : what he says is that mischief has already been done, the why repeat it?

श्री सोहनलाल भटनागर : आपने कहा कि पर्सनल कल्टीवेशन के सिवाय खुदकाश्त के और कहीं जिक्र नहीं है। पर क्लॉज़ १८० को देखा जाय जहां एडीशनल सब क्लॉज़ डी. में लिखा है : 180. Additional provisions for ejectment of Khudkasht or Ghair Khatedar tenants or sub-tenants".

जहां खातेदारी राइट एक्वायर करते हैं वहां :

"(d) that the land had been under the personal cultivation—"

तो यह तो पर्सनल कल्टीवेशन का डेफिनिशन खातेदार और खुदकाश्त दोनों पर लागू होती है।

श्री तनसिंह : कौनसी?

श्री सोहनलाल भटनागर : १८०, सब क्लॉज़ (डी)।

श्री दामोदरलाल व्यास : I apologise for the interpretation.

जब माननीय सदस्य का यह कहना है कि जो कुछ होना था सो तो हो चुका, why repeat it?

मैंने कहा लीगल फ्रेज़्योलोजी टीक करने के लिये किया जा रहा है तो फिर अब क्या एतराज है आपको, what is done cannot be undone. If actually mischief has been done in the words of the hon'ble member.

अब किस बात की बहस चल रही है?

श्री भैरोंसिंह : मिस्चीफ की गई है तो माननीय अध्यक्ष, अब भी उसको दुरुस्त किया जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have never said that we have done any mischief. I have only said mischief in the words of the hon'ble member.

मैंने नहीं कहा कि मिस्चीफ की गई है।

श्री भैरोंसिंह : You have conceded to it.

श्री अध्यक्ष : You were keen to be convinced.

बहस तो इसीलिये हो रही है। That is why I allowed that discussion.

श्री तनसिंह : He is keen that he is not going to be convinced.

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल अपने जो संशोधन पेश किये, इस बारे में कल काफी बातें हो चुकी हैं पर मेरा एक संशोधन था उसके जवाब में बोलने का मुझे मौका मिला है इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं। हालांकि सदन में काफी अच्छा वातावरण है, हंसी मजाक हो रही है, चेहरों पर भी रोनक है, सभी कुछ है,

(श्री अनूपसिंह)

पर यह कानून जिन पर लागू हो रहा है उनके चहरे जरूर उतर जायंगे। यह बात है कि हाउस में हंसी मजाक हो रहा है चेहरों पर रोनक है पर जिन पर यह कानून लागू हो रहा है उनको शायद रोना पड़ेगा। इसका कारण अर्ज करूं। जैसे सेक्शन ५ है, इन अकोरडेंस विथ लॉ, जो चीज इन अकोरडेंस विथ लॉ हो चुकी और उसकी एन्ट्री सेटलमेंट में, गश्तगिरदावरी के रेकॉर्ड में दर्ज हो चुकी, तो यह सब कुछ उस समय के कानून के तहत में हुआ है, तो गलती तो हुई ही नहीं। इसको बताना कि इन अकोरडेंस टु लॉ, तो वह तो हो चुका है, सेटलमेंट की कार्यवाही उस समय के लॉ के मुताबिक ही हुई है, कोई न कोई लॉ तो उस वक्त में था ही तो आज फिर यह बताना कि एट दी टाइम कोई न कोई लॉ तो था ही, तो ऐसी सूरत में मैं यह समझता हूं कि यह रिडन्डेन्ट है। इस वख्त के कानून में जो लॉ में जो एन्टरी जायज थी उसी कानून को बदलते हैं तो इतने डिस्प्यूट्स खड़े हो जायंगे और इतने डिस्प्यूट्स खडे कराये जा सकते हैं। क्योंकि अलग २ पार्टीज़ के अलग २ आदमी हैं। हर एक जगह की अलग अलग समस्यायें हैं। उनके साथ साथ यह होगा कि नई नई समस्यायें खड़ी कराई जायेंगी। 'इन एकोरडेंस ऑफ रूल' पर तो लॉ बना लिया गया है। यह आज के हिसाब से गलत है और माननीय मन्त्री महोदय ने फरमाया, यह तो बहुत हीं कान्सीक्वेंश्यल चीज है। तो अगर यह कान्सीक्वेंश्यल है तो इसे आज लाने की जरूरत नहीं है। आपने टेनेन्सी एक्ट बावजूद इसके कि लोग उसको नहीं चाहते थे पास करा लिया। उसके अन्दर अमेन्डमेन्ट्स भी होने थे फिर भी वह पास हो गया। तो उसको तो जो कुछ अपना इफेक्ट करना है वह करेगा और उस के बाद में फिर कान्सीक्वेंश्यल आयेगा अगर उसको बदल सकते हो तो मैं समझता हूं कि इसमें भी कुछ फायदा हो सकता है। यह कान्सीक्वेंश्यल कैसे होगा जब कि यह चीज़ें पहले ही तय हो गई और अब इसको फिर रिपीट करना मैं समझता हूं कि इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है।

इसके बाद में पार्ट ८ में 'under the personal supervision of one'self or any member of one's family by hired labour.........' इसके अन्दर सब कुछ ठीक है। सिर्फ एक एजेन्ट और मैनेजर को हटा दिया गया और एजेन्ट या मैनेजर को हटा कर टेनेन्सी की डेफीनिशन है उसके ऊपर यह क्लॉज़ बिलकुल फिट हो जाता है। मैं कहता हूं कि इसकी जरूरत नहीं थी। अगर कान्सीक्वेंश्यल था तो वह तो रहेगा। जहां कहीं फैसला होगा यह साफ आयेगा कि एक चीज बदली गई तो यह भी बदली जाये।

उसके बाद में पार्ट ६ (ए) के अन्दर ऐसी कोई खास चीज नहीं जो इतनी जरूरी होती कि वह रखी जाती। 'In any part of the state'। 'इन एनी पार्ट रहता है, नाम की यह चीज है कि किसी जगह अगर कोई आदमी बाहर कहीं बैठा रहता है और उसकी जमीन यहां पर है और वह बाहर बैठा बैठा किन्हीं कारणों से अपनी जमीन को नहीं संभाल सकता है तो 'इन एनी पार्ट आफ दी स्टेट' के अन्दर ऐसी नई चीज हो जाती है कि सरकार कहेगी कि तुम तो यहां नहीं रहते हो तुम तो बाहर रहते हो।

अच्छा, पार्ट ११ में भी बडा एतराज है, वह भी इसी तरह का है कि in any part

(श्री अनूपसिंह)

of the state का एतराज है मेरा अर्ज करने का असली मतलब तो माननीय मंत्री महोदय ने समझ ही लिया होगा कि अपनी निजीजोत वगैरह की एन्ट्रीज़ जिसके नाम में लिखी हुई हैं उनको नया एक्ट बनाकर कानूनी व्यवस्था न बनाकर बदल दिया है। उसमें अच्छा यह होता कि आज दिन तक गवर्नमेन्ट की यह मंशा रही है कि जिसकी जागीरी ली गई है जो उनके ऐशो आराम और मौज करने के तरीके थे वे खत्म कर दिये गये यह अच्छा किया गया। यह आप जब मानते हैं कि वह आदमी जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते थे और दूसरों की कमाई पर जिन्दा रहते थे अगर उनको आपने अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा दी और उनको पैरों पर खड़े करने की आपने व्यवस्था बनाई तो दूसरी ओर उन लागों को जिनके पास से आपने जागीरी छीनी उनको बिल्कुल ही खत्म कर रहे हो। अगर उन लोगों के साथ आप इतना बर्ताव करते हैं कि उनका शुरु से जीवन बनाया और राष्ट्र के निर्माण में हाथ बंटाने का मौका उनको दिया जाता है तो उसके साथ साथ आपको यह मानना पड़ेगा कि जिनकी आपने जागीरें ली हैं तो उनके लिए आप कम से कम इतना तो कर सकते हो कि उदार दिल होकर कम से कम यह चीज रखी जाये कि तुम फलां अरसे तक अपनी काश्त को बनाये रखो और तुम्हारी काश्त में कोई दाखिला नहीं दिया जायेगा। कम से कम इतना तो आप कर ही सकते थे। लेकिन जागीरें तो कल खत्म हुई हैं और आज नये नये प्रहार हो रहे हैं तो मैं कहूँगा कि सरकार की नीति इनके लिए ठीक नहीं है। या फिर यह है कि सरकार उनको अपने देश का आदमी नहीं समझती है या फिर सरकार यह चाहती है कि वह यहां से चले जायें तो ठीक हो। तो फिर आप किसी जहाज पर इन सब जागीरदारों को बिठा कर बहादुरशाह की तरह ब्रह्मा भेज दीजिए कि वह वहाँ शायरी लिखते रहें। अगर आप चाहते हैं कि वह राष्ट्र के निर्माण में हाथ बंटायें तो आप यह करें कि सहानुभूति के साथ उनको वापिस बसाने की कोशिश करें।

आज कोई आदमी जो बाहर रहता है और उसके पास जमीन है और वह किसी मैनेजर या एजेन्ट के द्वारा अपनी खुदकाश्त करना चाहता है तो आप कहते हैं कि वह नहीं कर सकता है। बाहर से वह मैनेजमेन्ट नहीं कर सकता है। जिस जमीन को वह कल्टीवेट नहीं करता तो वह चला जायेगा। अब सवाल यह है कि अगर आप उदारता का वातावरण रखते और सहानुभूति से काम चलता तो शायद यह रहता कि गवर्नमेन्ट ने जो जमीन ली है वह गवर्नमेन्ट हमको स्थापित करना चाहती है। हो सकता है कि हमारे मंत्री महोदय इसकी ओर ध्यान नहीं देते लेकिन जो एक्ट लाकर रखे हैं उनके अनुसार तो सरकार की मंशा यह जाहिर नहीं होती कि उनको स्थापित करना चाहती है। इसलिए आपके पास मत तो बहुत बड़ा है, उसको आप पास कर देंगे, जैसे कि टिनेन्सी एक्ट पास कर दिया, इसको भी कॉन्सीक्वेंश्यल चीज कह कर पास कर देंगे। परन्तु उनके जो टंटे होंगे उनकी जो डिस्प्यूट्स खड़ी कराई जायेंगी और जितने भी झगड़े आयेंगे वे सब आपको भुगतने पड़ेंगे। लोगों को याद रहेगा कि आपने अपने वक्त में लैन्ड रेवेन्यू लॉ इस तरह से बदले।

श्री अध्यक्ष: फर्स्ट शिड्यूल का पार्ट ए विचारार्थ है। प्रश्न यह है कि सेक्शन ५ के अन्दर श्री अनूपसिंह ने जो संशोधन रखा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

सेक्शन १२, श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह (बाडमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें संशोधन है कि जो संशोधन किये जाने को है वह नहीं किया जाय। जो सेक्शन १२ है वह है खुदकाश्त राइट जब खत्म हो गए तो उनके लिए ४ बातें बताई गई। पांचवी यह बताई गई है कि सेक्शन १३ के मौजूद रहने से यदि खातेदारी राइटस का रिजम्शन हो जाता है तो खुदकाश्त राइट लैप्स हो जायेंगे। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। यह ऐसा अमेन्ड-मेन्ट है कि क्योंकि सेक्शन १३ में आ गया है इसलिए इसकी इस स्थान पर जरूरत नहीं है। यदि रखना चाहें तो मैं इस पर प्रेस नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : He has not moved it.

श्री लक्ष्मीचन्द, सेक्शन १३.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : माननीय अध्यक्ष सेक्शन १३ के अन्दर जो अमेन्डमेन्ट रखा है कि एस्टीमेट शब्द की एवज़ में 'एस्टेट' रखा जाय। यह शायद मामूली सी गलती है और माननीय मंत्री महोदय इसको ठीक कर देंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : It is a printnig mistake.

श्री अध्यक्ष : सेक्शन १८० और २०६ में भी मूवकर दें।

श्री लक्ष्मीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेक्शन १८० के तहत मैंने एक अमेन्डमेन्ट दिया है कि इसको डिलीट कर दिया जाना चाहिये। एक तरफ तो राजस्थान सरकार यह ढिंढोरा पीटती जा रही है कि राजस्थान में जो कानून लागू है वह आबू में भी लागू कर दिया जाय। और दूसरी तरफ यह ढिंढोरा पीटती है कि राजस्थान के जो लाग-बाग लागू हैं उनको इस प्रकार से आबू में न लगाया जाय। धारा १८० के अन्दर जो नया अमेन्डमेन्ट किया जा रहा है वह यह है :

"provided that no tenant or sub-tenant holding land in the Abu area from year to year shall be liable to ejectment under this clause."

इसका मतलब यह है कि इस क्लाज़ की तहत आबू का एरिया है उसके अन्दर जो टीनेन्ट हैं जो ईयर टू ईयर काश्त करते हैं उन्हें इजेक्ट न किया जाय। क्लॉज़ १८० के अन्तर्गत जो मोर्टगेज आदि की हुई है उसको भी इजेक्ट करने का अधिकार है और उसी क्लॉज के अन्तर्गत आबू एरिया के अन्दर इजेक्ट नहीं कर सकते। आज जब कि राजस्थान में आबू मिल चुका है वैसी हालत में एक कानून को एक जगह लागू करना और दूसरी जगह न करना कतई न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि धारा १८० के तहत जो ए भाग है उस सेक्शन को रखने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

(श्री लक्ष्मीचन्द)

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, मैं धारा २०६ के बारे में भी अर्ज कर देना चाहता हूं। इस सेक्शन के जो वर्ड्स हैं उनमें यह लिखा है कि :

"In sub-section (1) between the words 'shall' and 'be deemed' the words 'subject to any specific provision of this Act to the contrary' shall be inserted".

इसका मतलब यह है कि इस एक्ट के फोर्स में आने के बाद जो एप्लीकेशन्स जो रिवीज़न्स आदि पेन्डिंग हैं वे भी इसी एक्ट के अन्तर्गत लिये जायेंगे, उसमें किसी किस्म का परिवर्तन होता है, उसके अन्दर किसी प्रकार की कार्यवाही होती है तो वह भी इसी एक्ट के अन्तर्गत समझी जाय। किसी ने एप्लीकेशन पहले फाइल कर रखी हो, क्या आयन्दा उसी एक्ट की तहत पेश की जायगी, ऐसा तो कोई मानकर नहीं चल सकता। किसी भी एक्ट के अन्दर ३० साल की लिमिटेशन रखी गई हो ऐसी बात नहीं, हरेक में दो साल की लिमिटेशन होती है तीन साल की लिमिट के अन्दर जो केस कर दिये गये हों उसी एक्ट के अन्तर्गत उन्हें खत्म कर दी जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह जो सब सेक्शन है वह न्याय संगत नहीं है इसलिये मेरे इस अमेन्डमेन्ट को स्वीकार किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रिन्टिंग एरर के लिये संशोधन रखा है, वह ठीक है; यह तो प्रिन्टिंग मिस्टेक है इसको मैं मान लेता हूं। 'estate' that can be accepted.

दूसरा, माननीय सदस्य ने क्लॉज़ १८० पर जो अमेन्डमेन्ट दिया है उसके संबन्ध में मैं इसका बेक ग्राउन्ड एक्सप्लेन कर देता हूं। क्लॉज़ १८० है वह बंबई टिनेन्सी लॉ के अन्तर्गत एक टिलर्स डे मुकर्रर किया था उस तारीख को जो शख्स ईयर टू ईयर काश्त करता है वह काश्त जारी रहेगी उसी को हमने इस बिल में रिटेन किया है।' हम तो जिसका पज़ेशन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और माननीय सदस्य उसको निकलवाना चाहते हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि उनको इसका बेक ग्राउन्ड मालूम नहीं था इसलिये थोड़ी बहुत गलत फहमी रह गई थी, वहां के टिनेन्ट को जो ईयर टू ईयर काश्त करता है उस टिनेन्ट को हम इसके द्वारा प्रोटेक्ट कर रहे हैं वरना राइट्स खत्म हो जायेंगे, उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी था इसलिये यह रखा गया है।

क्लॉज़ २०६ के अन्तर्गत जो सुझाव दिया है उसको मैं समझ नहीं सका, यह चीज किस बात के लिये है ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २०६ के अन्तर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉ पॉइन्ट इन्वोल्व्ड है। वह यह है कि जो भी पेन्डिंग केसेज़ हैं क्या उन पर भी यही एक्ट लागू होगा ? यह मान लिया जाता है कि वे केसेज़ भी इसी कानून के अन्तर्गत इन्स्टीट्यूट होते हैं तो उनका फैसला भी नये कानून के मुताबिक होगा, जहां तक पुराने केसेज़ का ताल्लुक है और जो संशोधन आप कर रहे हैं :

'Subject to any specific provision of this Act to the contrary'

अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक प्रोवीजन है कोन्ट्रेरी पेन्डिंग यह माना जायगा। जो

(श्री तनसिंह)

केसेज़ आज तक पेन्डिग हैं उनके लिये इस कानून के अन्तर्गत यह हो जायगा कि पेन्डिंग अपील्स या सूट्स वगैरह हैं, इस कानून के अन्तर्गत यह होगा कि पहले के जितने भी सूट्स, डीसीज़न, अपील्स आदि डिसीज़न के लिये पड़ी हुई हैं उनको भी इस एक्ट के अन्तर्गत पेश किया हुआ माना जायगा। उसके बाद कोई राइट एक्रू नहीं होता और खारिज हो जायगा।

'subject to any specific provision of this Act to the contrary'

अगर इस प्रकार का प्रोवीजन कर देते हैं प्रिलिमिनरी स्टेज़ पर खारिज कर दिये जायेंगे, वह प्रोसीजर के मुताबिक नहीं है। इसलिये हम यह सोच नहीं सकते कि भविष्य में क्या क्या कानून या क्या क्या प्रोसीजर होंगे, इसलिये जो राइट्स पेन्डिग हैं उन पेन्डिंग केसेज़ पर वही कानून लागू होगा, यह हमारे न्याय का सामान्य सिद्धान्त है।

श्री अध्यक्ष : आप ऐसा कोई स्पेसिफिक केस बताइये जिसके अन्दर "Subject to" यह लिखने का असर पड़ता हो।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से इस बिल को अध्ययन करना हमारे लिये मुश्किल बात है। इतनी जल्दी में आते हैं कि यह हम कर ही नहीं पाते।

तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल को अमेन्ड किया जा रहा है अगर माननीय मंत्री महोदय यह बता दें कि स्पेसिफिक प्रोवीज़न्स का कहां कहां तक ताल्लुक है, तो हम कन्विन्स्ड हो सकते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, दफा २०६ पर जो बहस की गई है....

श्री अध्यक्ष : यह जो वर्ड आप एड कर रहे हैं उनके क्या इम्प्लीकेशन्स होंगे, यह आप बता दीजिये?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आप से अर्ज कर रहा था, मैं आपका ध्यान इस बिल की क्लॉज़ ४७ ए की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिसमें यह प्रोवीज़न किया गया है :

"Provisions in relation to certain transfers in the Abu, Ajmer and Sunel areas."

This is very clear.

इस तरह के और भी प्रोवीज़न्स हो सकते हैं, स्पेसिफिकली आबू, अजमेर, सुनेल एरिया में लागू हो सकते हैं। यह अमेन्डमेन्ट इस लिये किया है कि टिनेन्सी एक्ट की तहत में इसमें इतना है कि बिट्वीन दी वर्ड्स :

"206. In sub-section (1) between the words 'shall' & be 'deemed' the words 'subject to any specific provisions of this Act to the contrary' shall be inserted."......

All pending proceedings, that will be governed by that law.......

पेन्डिग प्रोसीडिंग्ज़ वगैरह जो बनती हैं, स्पेसिफिक प्रोवीज़न्स केसेज़ के ट्रान्ज़ेक्शन के लिये हैं, इसका क्या असर होगा? क्लॉज़ ४७ ए को इन्सर्ट नहीं करते तो क्लॉज़ ४७ ए के केसेज़ कैसे गवर्न हों? The wordings are very clear and that is the intention. 'In accordance with the law'- it is not the intention to take away

(श्री दामोदरलाल व्यास)

any rights. We cannot do that. किसी भी पार्टी को अगर कोई राइट एक्रू हो गया है तो वह नहीं ले रहे हैं, यह कोई रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से हमने लगाया नहीं है, इसलिये यह बहुत क्लिअर है, इसके लिये जो स्पेसिफिक प्रोवीज़न है उसके अन्दर यह गवर्न हो जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझता था कि माननीय मंत्री ऐसा कोई जवाब देंगे जिससे मुझे सन्तोष हो जायगा। उनका जवाब ऐसा नहीं था कि जिससे मुझे सन्तोष मिले, इसलिये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस नहीं लेना चाहता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १८० व क्लॉज़ २०६ में जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने रखे हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुए।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि यह महत्वपूर्ण है, माननीय मन्त्री महोदय कह रहे थे कि हम खातेदारी की डेफीनिशन में पर्सनल कल्टीवेशन की बात लागू होती है।

श्री अध्यक्ष : वह अनूपसिंहजी आवेंगे तब ले लेंगे। आप अपना अमेन्डमेन्ट मूव कर दीजिये। शिड्यूल पार्ट बी, सेक्शन २।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेन्डमेन्ट को पेश नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष : सेक्शन ६१।

श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : सेक्शन ६१ को डिलीट करना चाहिये क्योंकि ट्रेस पासर काश्त करेगा तो पेनल्टी ६ गुना लग जावेगी पर फसल सरकार माफ कर देगी। अध्यक्ष महोदय, पहले जो इस एक्ट में था वह यह था कि ट्रेस पासर पर पेनल्टी चार गुना और प्रोडक्ट जो हो वह लेने का प्रोवीज़न था। पर इस नये संशोधन में यह बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अगर वह पहले वाला एक्ट लागू रहता है तो काश्तकार की या किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह ट्रेस पास करले। क्योंकि उसको पेनल्टी का उतना डर नहीं था जितना खड़ी फसल को लेने का भय उसके सामने था। वह भय सबसे बड़ा था और इससे ट्रेस पास करने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। पर अब सिर्फ जब आप यह करने जा रहे हैं कि ६ गुना पेनल्टी हो और काश्त वह खुद ही ले तो इसकी परवाह ट्रेस पासर कभी नहीं करेगा। वह तो पेनल्टी ६ गुना क्या दस गुना भी दे देगा। क्योंकि सपोज करिये दस बीघा काश्त उसने कर ली तो उसमें अगर उसको हजार रुपये की आमदनी मिलती है तो पेनल्टी ६ गुना देने में उसको कोई बोझा नहीं पड़ेगा, वह खुशी खुशी दे देगा। तो ऐसी सूरत में अब ट्रेस पासर के मामले बहुत अधिक बढ़ जावेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि पहले का ही प्रोवीज़न रहने देना चाहिये। नहीं तो इससे तो ट्रेस पासर्स को प्रोत्साहन ही मिलेगा। इसलिये मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस अमेन्डमेन्ट को लाने की मंशा केवल इतनी ही थी। सरकार की कि टिनेन्सी एक्ट और लेण्ड रेवेन्यु एक्ट में इस मुद्दे पर कन्फ्लिक्ट है। टिनेन्सी एक्ट में ६ गुना पेनल्टी का प्रोवीज़न है और रेवेन्यु में ४ गुना पेनल्टी और फसल की जब्ती का प्रोवीज़न है। तो इस तरह से यह कनफ्लिक्ट जो था उसको ठीक करने के लिये ये संशोधन लाये हैं।

श्री अध्यक्ष : और प्रोड्यूस के बारे में ?

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिये लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में प्रोवीज़न किया है। ड्यु लीगल कोर्स में यह ठीक हो जायगा। इसमें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह तो उम्मीद थी कि मेरा यह संशोधन मंजूर नहीं किया जावेगा क्योंकि ११६ वोटों की हिम्मत उनके पास है। इसलिये मैं तो इसका फैसला वोट से ही करवाना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि फर्स्ट शिडयूल, पार्ट २, सेक्शन ६१ में जो संशोधन श्री लक्ष्मीचन्द ने पेश किया उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

We come back to Part A, Section 15; श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : अध्यक्ष महोदय, इस कानून के सेक्शन १५ में एक छोटा सा संशोधन मैंने पेश किया है। मेरे खयाल में माननीय मन्त्री महोदय को यह मन्जूर होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। "Provided further that no khatedari rights shall accrue under this Section to any tenant who is or has not been cultivating the land personally"

मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा विचार करने की बात नहीं है। क्योंकि यह खुदकाश्त को और टीनेन्ट को खातेदारी राइट्स समान रूप से देने की बात कहता है। जागीर रिज़म्पशन के बाद जिसकी खुदकाश्त है वह तो अपने आप थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन क्या, रजिम्पशन होते ही खातेदारी राइट पर पहुँच जाता है, जब कि खुदकाश्त के टिनेन्ट के लिये यह जरूरी है कि वह पर्सनल कल्टीवेशन करे तब खुदकाश्त का राइट ले सकता है और तब वह खातेदार माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में तो यह एक प्रकार की दूसरी जागीरदारी पैदा कर रहे हैं आप। एक को राइट दें और दूसरा बिना खुद कल्टीवेट किये ही उसका फायदा उठावे और खातेदारी राइट्स भी एक्वायर कर ले। अगर आप इस संशोधन को मन्जूर नहीं करते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि आप दूसरे प्रकार की जागीरदारी क्रिएट करना चाहते हैं जो दूसरों की मेहनत पर, अपने हाथ से कमाई न करके, अपनी जमीन को अपने हाथ से न खड़ कर, दूसरों से खड़ा कर, काश्त करवाकर बैठे बैठे खाना चाहता है।

जागीरदारों को तो एक तरफ कहा जा रहा है कि भले आदमी बनो, दूसरों के भरोसे न बैठो और यह सही चीज है। मेरे ख्याल से हर राजस्थानी के लिये, हर राष्ट्र का निर्माण चाहने वाले के लिये या राष्ट्र के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने वाले के लिये यह जरूरी है कि वह मुफ्त में किसी दूसरे के भरोसे पर बैठ कर न खावे। तो इसलिये दूसरों को छूट देना जागीरदारों को अंकुश में रखना, यह उचित नहीं है। यह डिस्क्रिमिनेशन इस कानून में आप नहीं करें। तो यह एक इन्नेसेन्ट संशोधन है। माननीय मंत्री महोदय को इसे मान लेने में कोई एतराज नहीं करना चाहिये। दोनों टिनेन्सीज़ को एक लेवल में लाने के लिये यह संशोधन स्वीकार करना जरूरी है। मेरा ख्याल है सदन के सभी माननीय सदस्य इसको मानकर इसको पास करेंगे।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन प्रस्ताव एक प्रकार की कसौटी है

(श्री तनसिंह)

जिस पर सरकार की इस सम्बन्धी नीति कसी जा सकती है । अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि आयोजन कमीशन की यह नीति है कि पर्सनल कल्टीवेशन की डेफीनिशन में रद्दोबदल होना चाहिये । उनकी नीति यह है कि जो काश्त नहीं करते उसके पास जमीन नहीं रहनी चाहिये । यदि यह नीति क्रियान्वित करना सरकार चाहती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खातेदारी की डेफीनिशन में भी आप रद्दोबदल करें । यदि नहीं करते हैं तो स्पष्ट रूप से यह हमें मानना पडेगा कि वे डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं और एक नई जागीरदारी चलाना चाहते हैं । मैं चुनौती देकर कह सकता हूं कि आप हमारी जितनी जागीरें छीन सकते हैं और छीन लें उससे ज्यादा और क्या लेंगे, हमारे कपड़े तो खोसने से रहे । अगर यह भी खोसेंगे तो शर्म आपको ही आवेगी, हमें नहीं । आप हमारे अधिकारों पर कुठाराघात करना चाहते हैं तो यह जमाना भी ज्यादा नहीं रह सकेगा । आप कहें कि हम जमीनों के मालिक नहीं रहें तो आपकी न्याय की चक्की में पहाड़ पीसे जा सकते हैं तो ठीकरी भी पिसी जा सकती है । जागीरदार जागीरदार है इसलिये पीसा जा सकता है, पर साधारण आदमी नहीं तो यह अगर सरकार की नीति है तो मैं कह सकता हूं, कि यह राज्य जन कल्याणकारी नहीं है, जागीरदार विरोधी है । समान रूप से न्याय मिलने का जहां तक प्रश्न है वह सपने की बात रह जावेगी । खातेदार किसान और खातेदार जागीरदार बंटे रहें, यह आप चाहते हैं ताकि पर्सनल सुपरविजन न रखकर, अपने एजेन्ट रखकर कल्टीवेशन आपके आदमी कराते रहें, दूर बैठे बैठे दूसरों की महनत पर खाते रहें और फिर भी उनके खातेदारी राइटस एक्रू होते रहें और आप उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहते ।

१. ० म० प०

लेकिन क्योंकि हम ठहरे, जागीरदार होकर हमने जन्म ले लिया हमने राजपूत के घर में और भाग्य से कहिये या दुर्भाग्य से कहिये यदि हमें जमीन प्राप्त हो गई और उसका यह परिणाम हमें भुगतना पड़ता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम इसके लिए लज्जित होने के लिए तैयार नहीं हैं । यदि आप स्पष्ट रूप से, सच्चाई से और ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि योजना आयोग की जो रिकमण्डेशन्स हैं उनको चरितार्थ करना चाहते हैं तो यह आप केवल जागीरदारों के लिए ही क्यों करते है, दूसरों के लिए भी क्यों नहीं, लेकिन यदि केवल जागीरदारों के लिए ही करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कर लीजिये, लेकिन यह जनतन्त्र का जमाना है, चुप्पी नहीं लगाई जा सकती है और न हम चुप बैठे रहेंगे । एक धार काश्तकार के लिए और दूसरी धार जागीरदार के लिए चले । योजना आयोग के पर्दे को लेते हैं तो परिणाम भी आप भुगत लीजिये । आप में इतनी हिम्मत नहीं है कहने कि यह स्पष्ट कहें कि हम जागीरदारों के अधिकार लेना चाहते हैं । मै आपको बता देना चाहता हूं कि हम भी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हैं । आपको इस सम्बन्ध में कमिट करना पडेगा । अभी सत्तारूढ दल के एक माननीय सदस्य, जो रेस्पोन्सिबल है, उन्होंने सेक्शन १८० का हवाला दिया और सेक्शन १८० का हवाला देकर यह बताया कि पर्सनल कल्टीवेशन में लैन्ड होल्डर, खातेदार है उस पर लागू होता है । मैं यह नहीं समझता हूं कि यह लागू होता है लेकिन फिर भी इसको स्पष्ट कर दीजिये । इसमें लिखा है :

(श्री तनसिंह)

Section 15 of the Raj. Tenancy Act :–"Khatedar tenants-Subject to the provisions of Section 16 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after...............any other law for the time being in force shall be a khatedar tenant & shall, subject to the provisions of this Act and subject further to any contract, not contary to section 4 be entitled to all the rights conferred, & be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act.

"Provided that no Khatedar rights shall accrue under this section to any tenant to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal, ..."

तो इसके साथ एक प्रोविज़ो और जोड़ दीजिये कि :

"Provided further that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant who is or has not been cultivating the land personally."

यदि आपकी यह नीति है तो इसको लागू कर दीजिये। यह भी कह दें कि दफा १८० में यह भी यही चीज है तो मैं मान लूं। दूसरी जगह यह चीज़ है जिसको हम स्पेसिफाई करना चाहते हैं। यह वेरीफिकेशन का सवाल है। खातेदारी राइट्स में नहीं आता है। लैंड होल्डर का मतलब है:

"(i) estate holder, (ii) a rent-free grantee or grantee at a favourable rate of rent, (iii) in the case of a sublease, the tenant-in-chief who has sublet or his mortgage, & (iv) for the purposes of Chapters IX & X an Ijaredar or Thekedar."

तो वह चीज इस पर (खातेदारी पर) लागू नहीं होती है। यदि आप यह कह दें कि यह लागू होती है यहां तो मैं मान लूं कि आप पांच साल तक पर्सनल कल्टीवेशन नहीं है और लैंड होल्डर को खीच तान कर ले आये। कहते हैं कि उसके बाद वह इजेक्ट हो जायगा। लेकिन पांच साल तक मजा करने देते हैं। जो व्यक्ति स्वयं जमीन जोत नहीं रहा है, दूसरे मजदूरों से जमीन जुतवाता है और उसका खुद लाभ उठाता है उसको आप टच नहीं करना चाहते। क्या आपके राज्य में इस प्रकार की न्याय की बातें होती हैं। क्यों आपके राज्य में इस प्रकार की अन्याय की बातें होती हैं। मैं यह समझूँ कि चूंकि अपका राज्य है, आपका प्रभुत्व है और क्योंकि आपका प्रतिनिधित्व है उन्हीं लोगों का इसलिए आप न्याय को बन्द करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि सत्य इतना स्पष्ट है कि वह दबाये नहीं दब सकता है।

श्री अध्यक्ष : You want this proviso to future acquisitions of Khatedari or the past ones also?

श्री तनसिंह: मैं तो सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो खुदकाश्त के लिए लागू किया है वही पर्सनल कल्टीवेशन के लिए, लैंड होल्डर के लिए हो। बालोत्तरा से आने वाले माननीय सदस्य का कोई भी

Page No.43

(श्री तनसिंह)

अभिप्राय हो। खुदकाश्त के लिए भूत, भविष्य में लागू करना चाहते हैं जिसका प्रश्न नहीं है। जो खातेदार हैं और टिनेन्ट्स हैं उन दोनों को एक निगाह से देखिये। वैसा हमारा जो बिगड़ना था वह तो बिगड़ ही गया, लेकिन हम सत्य के लिए, न्याय के लिए चिल्लायेंगे और उससे हमारी जुबान नहीं घिस जायगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में परसों काफी कह दिया था जब कि इस पर डिस्कशन हो रहा था। मैं माननीय सदस्य को उस समय नहीं समझा सका। १५ ए में एमेन्डमेन्ट आ रहा है। यह सवाल है वह अजमेर का सुनेल एरीया और आबू के लिए है। जो खातेदारी के राइट्स प्राप्त हो गये हैं उनको इन एरियाज़ में प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसको रखा है। उनको भी वे ही खाते-दारी राइट्स जो इस १५ ए. के अन्तर्गत हैं एक्रू हो जावेंगे। पहले जो राइट्स हैं उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। माननीय सदस्य अमेन्डमेन्ट लाना चाहते हैं कि जो पर्सनली कल्टीवेशन नहीं करता है वह खातेदार नहीं होगा। यदि एक मिनिट के लिए यह मान भी लिया जाय तो इसके इम्पलीमेन्टेशन के सम्बन्ध में बात सोचने की है। खुदकाश्त को अलग कर दिया जाय तो जो १५ (अअव्य) ५५ तक जितने लोग थे उनको खातेदारी के राइट्स प्राप्त हो गये उनसे वापिस वे राइट्स नहीं लिये जा सकते। इसलिये सैक्शन १५ के अन्तर्गत जितने राइट्स प्राप्त होने थे हो चुके और जब दुबारा टिनेन्सी एक्ट को अमेन्ड किया तो यह कर दिया कि we cannot take these rights; these rights have accrued to them. Under Section 15 all rights which accrued, for any allotment made subsequently after 10 years, no rights will accrue to these persons. The main rights of transfer which the Khatedar tenants enjoy, they must accrue to these Khatedar tenants.

इसलिए यह जो अमेन्डमेन्ट माननीय सदस्य लाना चाहते हैं जिसके जरिये से कहना चाहते हैं कि न पास्ट में, न फ्युचर में १० इयर्स के लिए लागू होगा।

दूसरी बात यह है कि जहां तक खुदकाश्त का प्रोब्लम है, खुदकाश्त होल्डर, Immediately on resumption he becomes a Khatedar tenant. He enjoys the same rights as a Khatedar tenant and he is subject to the same liabilities.

इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं रहता है। जहां तक खातेदार टिनेन्ट का, लैंड होल्डर का सवाल है Immediately he becomes a Khatedar tenant.

मैं निवेदन करूंगा कि न तो यह पहले पर लागू होता है और न आयन्दा होगा। I think this amendment is meaningless as a matter of fact and this cannot be accepted.

श्री अध्यक्ष : फ्युचर में जो खातेदारी राइट्स एक्रू होंगे ऐसी स्थिति में पर्सनल कल्टीवेशन किस रूप में हो जायगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फ्युचर में अलॉटमेन्ट जितने होंगे they are covered by the Land Revenue Act.

(श्री दामोदरलाल व्यास)

१५ में अमेन्डमेन्ट किया है जो माननीय सदस्य को मालूम है। For 10 years he will have only rights of personal cultivation but he shall not have the right of alienating that property. The chief right which the Khatedar tenant has got is of alienating that property.

और तो सब राइट में जो ऑर्डिनरीली आ जाया करते हैं, अगर वे राइट नहीं मिलते हैं तो खातेदारी राइट्स फिर एक्रू नहीं होते हैं It will take another 10 years to get the Khatedari rights.

इसलिए पर्सनल कल्टीवेशन के सम्बन्ध में टीनेन्सी एक्ट में प्रोविजन रखा है, a Khatedar tenant has a right of sub-letting. If this amendment is accepted, then that right is also taken away and he has a right of special allotment for five years.

पर्सनल कल्टीवेशन नहीं होता है तो सबलेट का राइट चला गया।

श्री अध्यक्ष : सब-लेट का सवाल तो खातेदारी राइट मिलने के बाद होता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : खातेदारी के बाद होता है, but the moment we say that Khatedari rights will go as soon as there is to be cultivated land personally, then of course he will sublet and then...

श्री अध्यक्ष : यह वह कह रहे हैं।

श्री तनसिंह : Is there any justification in sub-letting when you are not allowing sub-letting for khudkasht. There is no justification in the right of sub-letting being given to a Khatedar.

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास : I have not finished, Sir.

I was just referring to personal cultivation.

माननीय सदस्यों ने जो बात पहले कही थी वह अभी भी कही है कि जागीरदारों के प्रति इस गवर्नमेंट की नीति ऐसी हो रही है कि जिससे ये एमेन्डमेन्ट आ रहे हैं। इन इन एमेन्डमेंट्स में खास तौर से एतराज लैन्ड रेवेन्यु एक्ट में जो एमेंडमेंट आ रहा है वह आज नहीं लिया जा रहा है। हमारे एक माननीय सदस्य जो कि अलवर से आये हुए हैं उनको इस एमेंडमेंट पर एमेंडमेंट करने का ड्राफ्ट दे रखा है और उनसे बातचीत करने के लिए समय मुकर्रर कर रखा है। इस एमेंडमेंट की बात उनको मालूम नहीं रही और उसके बावजूद यह कहा कि हम इस एमेंडमेंट को ....

श्री तनसिंह : मुझे क्षमा करें यदि मैं आपको याद दिलाऊं कि यहां बैठकर आपने यह कहा कि दूसरा एमेंडमेंट है उसको बातचीत करने के बाद में लेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप इस एमेंडमेंट को ले आये। इससे साफ है कि टिनेन्सी एक्ट के लिए आपने वायदा किया था कि बात करेंगे और बातचीत की बात करते हैं तो मैं निवेदन कर दूं कि बात करते हुए भी आप नहीं करते हैं और हमारी बात कहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : सैक्शन सैवन्थ का एमेंडमेंट जो जागीर रिजम्शन एक्ट में है वह पेन्डिग है और बातचीत के अन्दर है, हम वह नहीं लाये हैं, दूसरा लाये हैं। मैंने उसके लिए कहा था।

श्री तनसिंह : वही चीज़ आप टीनेन्सी एक्ट में रद्दोबदल कर देने की बात करते हैं, आप टिनेन्सी एक्ट में लागू कर देगें तो उसके भी वे कोन्सीक्वेन्सेज़ होंगे और आप यह भुलाना चाहते हैं कि उसको (जागीर रिज़म्प्शन एक्ट) बातचीत के लिए छोड़ दिया है, तो मैं समझता हूं कि कोई तथ्य की बात नहीं है। गील करके चाटें तो चाटें भले ही।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री) : यह आपके अधिकार में हैं, आप जो चाहें सो मतलब निकालें। मैंने साफ कह दिया था कि यह एमेंडमेंट जागीरदारों से सम्बन्धित नहीं है। यह महज़ सीधा सा एमेंडमेंट है कि आबू, अजमेर और सुनेल में जिनको राइट्स एक्रू हो गये हैं वे राइट्स एक्रू रहेंगे। जिन एमेंडमेंट्स को लाना चाहते हैं उनको कानूनी तरीके से नहीं लाया जा सकता है तो उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं होगा, उससे कोई फायदा नहीं हो सकता है। राइट्स जिसके एक्रू हो गये हैं वे बदस्तूर रहेंगे। पर्सनल कल्टीवेशन में खातेदारों को सबलेटिंग के पॉवर्स दिये गये हैं, उसके बियोन्ड यदि वे कार्यवाही करते हैं तो उसके लिए भी पेनल क्लॉज़ ऑलरेडी टिनेन्सी एक्ट में मोजूद है। खुदकाश्त जब तक जागीर रिज़्यूम नहीं हो तब तक के लिए हैं, उसके बाद में तो उनको खातेदार टिनेन्ट्स के वे राइट्स एक्रू हो जाते हैं, इसलिए मैं इस एमेंडमेंट को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री अनूपसिंह।

श्री अनूपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के जबाब को सुनकर मुझे जरूरत नहीं थी बोलने की और अपने संशोधन को वापिस लेना चाहिए था। मैं फिर भी बोल रहा हूं इसलिए कि कई बातें अभी तक मेरी समझ में नहीं आई हैं। मैं यह समझता था कि आपस में कई बातें तय हो चुकी हैं सदन के बाहर, उनका जिक्र यहां नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर उन्होंने कर दिया है तो उनको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता। फिर भी जो कुछ उन्होंने जबाब दिया है उसके जबाब में वापिस जवाब देने की जरूरत है वह अर्ज करूंगा।

आपने यह फरमाया कि लैण्ड रेवेन्यु एक्ट, जो काफी महत्व का है उसको नहीं ले रहे हैं। यह उनकी बड़ी महरबानी है। अब सवाल यह रहा कि अगर लैण्ड रेवेन्यु एक्ट नहीं ले रहे हैं और उसके साथ साथ यह रेवेन्यु क्लॉज़ एक्सटेन्शन बिल भी ले आये हैं तो लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में एमेंडमेंट वह एक कोन्सीक्वेन्शियल चीज़ हो जायगी। जब कि एक बात टीनेन्सी एक्ट में तय हो चुकी है, रेवेन्यु लॉज़ एक्सटेन्शन बिल वाली बात तय हो चुकी तो यह कोन्सीक्वेन्शियल है कि लैण्ड रेवेन्यु में भी वही होगी। दोनों चीजें एक ही मुद्दे की हैं, और दोनों कन्ट्राडिक्टरी चीजें दोनों एक्ट्स में अलग २ नहीं रह सकती हैं। यह होगा कि इनको कोन्सीक्वेन्शियल समझ कर बदल दिया जायगा। यह उनकी हार्दिक कामना थी कि आपस में बैठकर किसी तरह तय कर लें। यही हम चाहते थे और यही उनका वायदा था। लैण्ड रेवेन्यु एक्ट में आज उन्होंने कहा तो कल वह आ सकता है। वह जरूर हो जायगा। वह कोन्सीक्वेन्शियल है इसलिए उसको लेना तो पड़ेगा, चाहे किसी तरह से

(श्री अनूपसिंह)

लायें। भले ही आखिर तक उसको छोड़ दें।

आपने फरमाया कि १९५५ के अगस्त में जिनके खातेदारी राइट्स एक्रू हो गये हैं उनको हटाने, उनके अन्दर तरमीम करने, बदलने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। मैं यह अर्ज करता था और करना चाहूंगा कि उनको बदलने की बात आपके हाथ में नहीं है। आपके बदलने में यह था कि खुदकाश्त के राइट्स पर आप एन्क्रोचमेंट करते हैं, उनको आप हटायें तो एतराज नहीं है लेकिन टिनेन्सी एक्ट, १९५५, में खातेदारी राइट्स हैं उनके अन्दर किसी तरह का एन्क्रोचमेंट नहीं कर सकते, यह इम्पार्शियेलिटी या पार्शियेलिटी का कोई नमूना नहीं हो सकता क्या? अगर उनके खातेदारी राइट्स किसी तरह से नहीं बदले जा सकते हैं तो खुदकाश्त का जो टिनेन्ट हैं आफ्टर रिज़म्शन ऑफ जागीर्स वह एक खातेदार हो जाता है और आप कहते हैं कि फिर एलिएनेट (Alienate) नहीं कर सकते हैं और दूसरों को alienate कर सकते हैं। जब उस चीज़ को alienate करना चाहते हैं, तो राइट क्यों नहीं मिलते? खातेदार को टिनेन्सी के राइट्स हैं तो उसको क्यों नहीं? पहली बात तो यह समझ में नहीं आई।

फिर आप यह फरमाइये कि एक मुद्दे की बात आगे एक एक्ट में आती है तो उसी मुद्दे की चीज़ दूसरे एक्ट के अन्दर कन्ट्रोवर्शियल नहीं होगी। वह कन्ट्रोवर्शियल हो जायगी तो आप से आप बदल कर रखना जरूरी हो जायगा। फिर भी आप फरमाते हैं कि कोई विचार हमारा नहीं है कि हम राइट्स को एक्सीड करें। आप सभी कुछ चाहते होंगे, लेकिन आप काम करके बताइये, आप वाकई सद्भावना के साथ यह एक्ट ला रहे हैं। हम जानते हैं कि जिनकी खुदकाश्त की जमीनें हैं वे भी काम करके खाते हैं, काम करके खाने के लिए तैयार हैं, मेहनत मज़दूरी करके खाने को तैयार हैं, लेकिन इसके साथ साथ मन्जूर करने को तैयार नहीं हैं कि रोज़ रोज हमारे राइट्स पर एन्क्रोचमेंट किया जाय और हम चुपचाप बैठ जायं। हमारे राइट्स का इम्पार्शियलिटी के साथ बर्ताव नहीं होता है। जब हम उतने का उतना कमा करके खा सकते हैं, मेहनत करके खा सकते हैं तो तदनुरूप राइट्स उनके होने चाहिए। इसीलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, पर पता नहीं आप इसे किस मूड में लेंगे, क्या रंग देंगे? अगर आप यह मान लें तो मैं समझता हूं कि यह आपकी निष्पक्षता है। हम इम्पार्शिल हैं, पार्शियल नहीं हैं, हम हरेक आदमी को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि आप घर में बैठे २ दूसरे की कमाई को खायें। इस चीज को मन्जूर कर लें। आप यह नहीं चाहते हैं लेकिन नये जागीरदार पैदा करना चाहते हैं।

आप उस नीति को बरतें कि जिससे हमारे यहां समानता आये और हरेक आदमी राष्ट्र निर्माण में लगे। हरेक आदमी भला आदमी बने और गुड सिटीज़न बने और गुड सिटीज़न के नाते अपना कन्ट्रीब्यूशन राज्य के हित में दे और हिन्दुस्तान और राजस्थान की प्रगति के साथ चले, परन्तु आपको मान लेना चाहिए कि आप पार्शियल हैं, इम्पार्शियल नहीं हैं। अगर इम्पार्शियल नहीं है, अगर एक लेवल पर नहीं ला सकते तो यह मान लें कि आपकी प्रगति में किसी तरह की उन्नति नहीं हो सकती।

Page No.47

(श्री अनूपसिंह)

खैर, अब मैं इसके बारे में और ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा क्योंकि खास जरूरत तो है ही नहीं। आज आपकी मेजोरिटी है। यह मेरा हक था कि इस बात को मैं आपके सामने रखूं कि हमारे साथ या मेरे दूसरे भाइयों के साथ में पार्शियलिटी का व्यवहार किया जा रहा है और नये २ कानून लाकर उनके राइट्स पर एन्क्रोचमेंट किया जा रहा है। आप जनता के सामने इस चीज को मन्जूर करलें कि हम पार्शियल हैं, इम्पार्शियल नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : फर्स्ट शेड्यूल पार्ट एं।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट आपकी आज्ञा से। आपकी जो स्पीचेज़ हुई हैं उनसे ऐसा मालूम होता है कि इस बात से आपको बहुत ज्यादा एतराज है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन खातेदार टिनेन्ट और खुदकाश्त होल्डर में हो। इस बात को नहीं मानते हैं कि खातेदार टिनेन्ट का जहां तक संबंध है अगर वह पर्सनली कल्टीवेट नहीं करता है और जमीन को सबलेट करता है तो सबटिनेन्ट को खातेदारी राइट्स एक्रू हो जाते हैं। यह प्रोवीज़न किया हुआ है कि he is entitled to get Khatedar rights, but still मैं यह अर्ज करूंगा कि इस क्लॉज़ के ऊपर, जिसके ऊपर की एतराज है, वोटिंग डेफर कर दिया जाय और we will sit together and discuss and try to understand each other and if there is real discrimination between a Khatedar tenant and a Khudksht holder and if there is anything which is genuine complaint behind the arguments, the Government will definitely look into it. We will sit today immediately after the sitting or we can sit tomorrow.

So I will just suggest that the voting on this may be defrrred.

श्री अध्यक्ष : Section 15 is deferred.

For Schedule, Part B, Shri Tan Singh.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ ६४ ए. नया लगाया है उसमें मेरा संशोधन है रोड़ साइड ट्रीज़ के लिये लोकल ओथोरिटीज़ जोड़कर नया क्लॉज़ जोड़ा जाय "or the local authority as the case may be." at the end of sub-section (2) of section 94A.

मेरा अभिप्राय यह है कि सड़कों के दोनों ओर खड़े हुए दरख्तों के विषय में यह सेक्शन है:–

"All roadside trees which have been planted and reared by, or under the orders of, or at the expense of, the State Government and all trees which have been planted and reared at the expense of local funds by the side of any road which vests in the Stafe Government shall vest in the State Government." मेरा अभिप्राय यह है कि लोकल फंड के एक्सपेन्सेज़ से कहीं दरख्त उगे हुए हैं तो उसकी कीमत लेने का राइट

Page No.48

(श्री तनसिंह)

स्टेट गवर्नमेन्ट में क्यों वेस्ट करें और साथ ही साथ सब-सेक्शन (२) में "In the event of such trees are being dying, blown down or being cut down by order of the Collector, tbe timber shall be the property of the State Government."

जब लोकल फंड से कोई दरख्त लगाया जाय और रीअर अप किया जाय, लोकल फंड जैसे ग्राम पंचायतों के खर्चे से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के खर्चे से या म्युनिसिपल बोर्ड के खर्चे से जो पेड़ लगाये गये हैं वे दरख्त अगर सूख जाते हैं या काटे जाते हैं तो उनकी कीमत गवर्नमेन्ट को क्यों मिले ? खर्चा किया लोकल बोडीज़ ने तो वह पैसा लोकल ओथोरिटीज़ को ही मिलना चाहिये इससे लोकल ओथेरिटीज़ को उत्साह मिलेगा नहीं तो सरकार उनका पैसा अपने खजाने में डाल देगी। अगर लोकल ओथोरिटीज़ को दिया जायगा तो उनके मन में संतोष होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब साफ है, ठीक भी समझते हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्टेट की जमीन पर लोकल ओथोरिटीज़ ने पेड़ लगाये हैं तो ज़मीन स्टेट की होने के कारण ट्रीज़ भी स्टेट के होने चाहिये। लोकल ओथोरिटीज़ में जब वेस्ट करते हैं तो जमीन भी चली जाती है। लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, लोकल ओथोरिटीज़ में भी वेस्ट करते हैं they are transferred automatically, subject to such conditions as the Government imposes.

इसलिये इसको इन्सर्ट करने में दिक्कत यह आती है कि आयन्दा गवर्नमेन्ट कंडीशन इम्पोज करती है, लैंड और ट्रीज़ को ट्रान्सफर करती है तो उस समय उसमें दिक्कत आती है। इसलिये मैं समझता हूं माननीय सदस्य इसको विद्ड्रॉ कर लेंगे। It is necessary. Whenever land and trees are transferred by Government, some conditions are attached and the local bodies have to follow those conditions. इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कोई रीज़न्स तो ऐसे बताये नहीं, केवल यह बताया कि वहां दिक्कत पड़ सकती है, लेकिन क्या दिक्कत पड़ सकती है इसे या तो ये जानें या इनके भगवान जानें। यदि उनके सामने दिक्कत यह हो कि ऐसा करने से पंचायत एक्ट में या म्युनिसिपल एक्ट में या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स एक्ट में तब्दीली करनी पड़ेगी तो बात और है वरना यह समझ में नहीं आता है कि जब सड़कें म्युनिसिपेलिटीज़ या दूसरी लोकल बोडीज़ में वेस्ट करती हैं तो रोड साइड ट्रीज़ का अधिकार उनमें वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिये ? आप यदि इसको गवर्नमेंट में वेस्ट करते हैं तो अजीब सी एनोलोजी पैदा होती है। यदि आपकी मंशा यह है कि हमारे द्वारा जो कानून लाये जाते हैं वे ठीक हैं, उनमें कोमा, फुलस्टोप भी नहीं लगाया जाय तो हम में भी इतनी उदारता है कि हम इसे वापिस ले सकते हैं। लेकिन यदि मंत्री जी मानने की कोशिश करें तो हम भी सुझाव देना ठीक मानते हैं। हमें भी इस प्रकार का गुमान हो जाता है कि हम कुछ कॉन्ट्रिब्युशन कर सकते हैं। लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि यह मामला साधारण सा है इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिये वापिस लेने में। वापिस लेने में

(श्री तनसिंह)

क्या है, हमने पैसे थोड़े ही खर्च किये हैं, कागज भी सरकारी ही है, हमारी तो थोड़ी सी कलम घिसती है, इसलिये हमें वापिस लेने में ऐतराज नहीं है। लेकिन आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसके बारे में टूटे–फूटे लफ्जों में भी रीज़न्स दीजिये। यदि आपके पास आर्गूमेन्ट्स नहीं हैं तो यह कहिये कि हम जो कानून लाते हैं वे सब ठीक हैं आप उनके बारे में कुछ मत कहो। इसलिये मैं चुप रह जाता हूं यह समझ कर कि मंत्रीजी के पास रीज़न्स नहीं हैं। अलग कानून लाते हैं। लेकिन उसको पायलोट करने के लिये उनके पास रीज़न्स नहीं हैं इसलिये ऐसी अवस्था में मुझे अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरी बात समझने की कोशिश नहीं करें तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है। लैंड को स्टेट गवर्नमेन्ट कंडीशन्स लगाकर ट्रान्सफर करती है। जब ट्रान्सफर हो जाती है तो अमेन्डमेन्ट करने की जरूरत नहीं है।

"Section 94 A -(1) All roadside trees which have been planted and reared by or under the orders of or at the expense of the State Government and all trees which have been planted and reared at the expense of local funds by the side of any road which vests in the State Government shall vest in the State Government."

श्री तनसिंह : यह किस सेक्शन में ट्रान्सफर होता है यह बताइये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : म्युनिसिपल एक्ट को देख लीजिये। यह बहुत मुश्किल है कि हरेक कानून की दफा बता सकूं। They are all there.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री तनसिंह ने वापिस लेने का प्रस्ताव किया है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री तनसिंह : मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : We defer discussion of this Bill at this stage. It will be taken tomorrow

(विराम)

Rajasthan Land Revenue (Amendment) Bill, 1957.

श्री दामोदरलाल व्यास : This may be taken up later on.

श्री अध्यक्ष : Tomorrow ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Not tomorrow. But next when we meet.

श्री अध्यक्ष : All right.

१.३६ म० प०

फ्रेजर ब्रिज टोल टैक्स वैधकरण विधेयक, १६५७. (विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री अध्यक्ष : The Fraser Bridge Toll Tax Validation Bill, 1957.

इसके बारे में श्री तनसिंहजी ने आपत्ति उठाई थी कि रूल ६३ (४) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय की सिफारिश आनी चाहिये, वह आ गई है उसे पढ़ दूं।

श्री तनसिंह : आ गई है तो कोई बात नहीं है। आपने कहा था कि आवश्यकता नहीं है इसलिये मैंने कहा था। आप मान लिया कीजिये अपनी हार को कभी कभी।

श्री अर्जुनदास : इनको नोलेज नहीं है और समझने की कोशिश भी नहीं करते।

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble member is not using a language which he should use in the House. "समझने की कोशिश नहीं करते" These things should not be said. I have to seek your protection, Mr. Speaker, Sir..

श्री तनसिंह : कुछ सोबरनेस होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : Yes, you and every other Member shall have full protection. I will request the Hon'ble member to be very sober in his expression.

श्री अर्जुनदास : Mr. Speaker,...

श्री अध्यक्ष : Would you please...

(श्री अर्जुनदास के खड़े होने पर)

Keep quiet ?

श्री अर्जुनदास : Thank you, Sir.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान...

श्री तनसिंह : It was moved.

श्री अध्यक्ष : Any more debate ?

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष, दो मिनिट बोल दूं।

टोंक के पास एक पुल है, जिस पर कानून की मन्शा के विरुद्ध, विधान की मन्शा के विरुद्ध टेक्स लिया जा रहा था। यह हो सकता है कि उसकी सेंक्शन थी, टोंक गवर्नमेंट के वक्त जो कॉम्पीटेन्ट ऑथोरिटी थी, उसकी सेंक्शन थी। लेकिन राजस्थान बनने के बाद तक वसूल होता रहा, उसकी हाई कोर्ट में रिट हुई, रिट के ऊपर यह टेक्स गैर-कानूनी करार दिया गया। अब सरकार कहती है कि वह टेक्स वसूल कर लिया, अब उसे किस किस को देते फिरें, इस लिए उस टेक्स को वाजिब कर दिया जाय और आयन्दा यह टेक्स नहीं लेंगे, यह लालच भी हमें दिया गया है, यानी जो टेक्स वसूल किया गया है उसको सही कर दें और यह टेक्स आयन्दा नहीं लेंगे। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह ठीक है कि इस टेक्स को वेलीडेट कर दिया जाय, लेकिन एक और महत्वपूर्ण चीज है कि मान लीजिये जिसने टेक्स पे कर दिया है, जो टेक्स पेअर है, उसको तो सजा दे दी है लेकिन जिसने टेक्स पे नहीं किया है, जिसके पास टेक्स रह गया है, उससे टेक्स वसूल नहीं कर पायेंगे। जिसने टेक्स पे नहीं किया, उससे टेक्स वसूल नहीं कर पा रहे हैं और जिसने ईमानदारी से आपकी सत्ता के सामने सिर झुका कर टेक्स दे दिया, उसे अपनी जेब में डाल कर कह दिया कि वह टेक्स वापिस नहीं दे सकते, जो आपकी जेब में आ गया, उसके लिए आप कहते हैं कि वह टैक्स जायज़ माना जाय और वह टेक्स आयन्दा नहीं लेंगे। मेरा निवेदन है कि जिससे टेक्स वसूल करने में रह गया है, वह टेक्स वसूल नहीं कर पायेंगे, जो टेक्स की चोरी कर रहा है, उसको आप शाबाशी दे रहे हैं, जिसने पे कर दिया है, उसको धन्यवाद दे रहे हैं। वैसे इस बिल को पास करने में मेरा कोई विरोध नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि........

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्या जवाब दिया जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : जी ।

श्री भैरोंसिंह : मैं बोल रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बोलें ।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): जिस बिल की आज प्रस्तुत होने की उम्मीद नहीं थी, वह किसी न किसी प्रकार दुरुस्त होकर इस सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके लिए माननीय मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं। परन्तु इस प्रकार के धन्यवाद को यदि पाने की भविष्य में भी चेष्टा की गई और उनको भविष्य में भी धन्यवाद मिलता है तो इसमें सन्देह नहीं है कि हम एक प्रकार से अप्रिय परम्परा को इस सदन में पुरः स्थापित करेंगे, जिसके कारण से एक बिल के सम्बन्ध में जो न्यायोचित बात इस सदन में कही जा सकती है, वह न कही जा सके।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के कर की बात इस बिल में प्रस्तुत की गई है, वह आज की बात नहीं है, परन्तु पिछले पांच वर्ष में भी मैंने इस प्रकार के विधेयक इस सदन में प्रस्तुत होते हुए देखे हैं। जिस समय ऐसे विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किये जाते हैं, राज्य सरकार के प्रतिनिधि द्वारा एक ही दलील हमारे सामने आती है कि जिस कर को रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट देने की व्यवस्था की जा रही है, उस कर का असर काफी जनता से है और अगर उसको रेट्रोस्पेक्टिव अफेक्ट नहीं दिया जाता है तो कई प्रकार की प्रशासनिक अव्यवस्था फैलती है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे मजबूर होकर कहना पड़ता है कि हमें कुछ अधिकार दिये हुए हैं और उन अधिकारों का संरक्षण भारत के संविधान द्वारा हुआ है। हमारे कुछ ऐसे मूलभूत अधिकार भी हैं जिन अधिकारों का उपयोग हम ऐसी परिस्थिति में कर सकते हैं, जो परिस्थिति कानून के खिलाफ हमारी राज्य सरकार ने पैदा की हो। जहां तक इस कानून का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि यह कानून ऐसी सरकार के द्वारा बनाया हुआ था, जो हमारे संविधान के लागू होने के पश्चात् राजस्थान में लागू नहीं रह सकता। इस बात के ऊपर इस कानून को हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने इस चुनौती के ऊपर ऐसा निर्णय दिया कि संविधान के लागू होने के बाद यह कानून कानून की शक्ल में नहीं रहता, कानून की शक्ल में भी रहता है तो जायज़ कानून नहीं माना जा सकता, इसलिए इस प्रकार का कर तुरन्त बन्द कर देना चाहिए। यह जो परिस्थिति पैदा हुई, उससे यह प्रश्न पैदा होता है कि एक बात को हाई कोर्ट में चुनौती दी, उस पर हाई कोर्ट का निर्णय हुआ, उस निर्णय को हमारी विधान सभा को स्वीकार करना चाहिए या नहीं ? अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिस पर गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि विधान सभा के बाहर, विधान सभा के अधिकार के बिना कोई कानून बने और जनता को पीड़ित करे, गैर-कानूनी कार्यवाही को सही कराने के लिए अधिकारों का उपयोग करे तो यह अधिकारों का उपयोग, जो जनतंत्र की भावनायें हैं, जो न्याय का जन मार्ग है, उसमें बाधक होता है। मैं निश्चत रूप से मानता हूं कि चाहे

(श्री भैरोंसिंह)

व्यवस्था के अन्दर कमी हो, चाहे प्रशासनिक दुविधाएं हों, प्रशासनिक अव्यवस्था करनी पड़े, इन सब को स्वीकार करते हुए न्याय के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि विधान सभा के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा कोई गलत कानून बना, उसको जनता के ऊपर लागू किया जाय और कोई व्यक्ति उस गलत कानून को न्यायालय में चुनौती दे और न्यायालय उस व्यक्ति के पक्ष में निर्णय दे, तो उसके बाद, सरकार उस सारे निर्णय के उपरान्त, उस व्यवस्था के उपरान्त आगे चल कर उस कानून को दुरुस्त कराने की चेष्टा करे, तो इनडाइरेक्टली यह हुआ कि हाई कोर्ट्स बेकार हैं, उनके द्वारा राज्य सरकार की गलतियां पकड़वाना बेकार है। जब हाई कोर्ट का फैसाला मान्य नहीं है, तो जिस जुडिशियरी से न्याय मिलने की आशा हो सकती है एग्ज़ीक्युटिव के मुकाबिले में, जिससे न्याय मिल सकता है, उस मशीनरी को आप बन्द करना चाहते हैं, जिससे साधारण नागरिक फायदा नहीं उठा सकें। इसका मतलब यह हुआ कि हाई कोर्ट को ताले बन्दी कर दिया जाय। मैं निवेदन करूं कि सरकार को नीचे के अधिकारी से लेकर मिनिस्टर तक, एक प्रकार से जब उनकी सुनवाई कहीं नहीं होती है, उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है, सिवाय हाई कोर्ट में रिट करने के यह कानूनी रूप से हाई कोर्ट में संरक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है और यह व्यवस्था हमारे संविधान ने दी है, इस व्यवस्था का हम फायदा नहीं उठा सकते जो कानून गलत लिख दिया गया, सन् १६४६ में, उसके बारे में १६५७ में कानून ला रहे हैं कि वह कानून आज के दिन १६४६ से लागू होगा, यानि आठ वर्ष पहले का कानून, जिसको गलत माना है, उसमें दुरुस्ती कर रहे हैं और दूसरी जो गलतियां की हैं, जो उस कानून के अधिकार से कर वसूल किया है, उसको जायज़ कराना चाहते हैं, मैं समझता हूं यह अन्याय की पराकाष्ठा है और प्रजातंत्र के अधिकारों को चुनौती है। आज सरकार व्यवस्था के नाम पर, प्रशासन के नाम पर, प्रशासनिक दुविधायें जो पैदा हो गई हैं उनके नाम पर जनतंत्र की मूल भावनाओं पर आघात करने की चेष्टा करती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, इसका उत्तर माननीय मंत्री जी से मिलने वाला है, वह निश्चित रूप से इसी प्रकार दोहराया जायगा कि टेक्स में दो आने लिये जाते थे, चार आने लिये जाते थे, एक रुपया लिया जाता था और किसी से १० रुपये लिये गये होंगे, किसी से पांच रुपये लिये होंगे, यह हो सकता है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं यह टेक्स मामूली है, लेकिन इस मामूली से टेक्स को रिवाइव करने के लिए जिस भावना को काम में ला रहे हैं, वह भावना मामूली नहीं है। पिछली बार विधान सभा के समक्ष एक एक्ट आया डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सम्बन्ध में, पिछले सेशन में इस बात के ऊपर चर्चा चली थी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्ट में जो टेक्स लगाये हैं, वे टेक्स हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दिये गये हैं, वे वसूल नहीं होने चाहिए। न्यायसंगत मार्ग तो यह है कि जो हाई कोर्ट निर्णय दे, उन्हें सरकार स्वीकार करें। इसका मतलब यह नहीं कि चाहे कानूनी भाषा के विपरीत न हो, चाहे दूसरे विधायों की भाषा के विपरीत न हो, लेकिन कॉमन सेन्स यह

(श्री भैरोंसिंह)

कहती है कि हाई कोर्ट के विपरीत इस प्रकार की चीजों को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हैं तो कानून के अन्तर्गत इस राज्य सरकार के मामूली विभाग का कोई आदमी पीड़ित होता है, तो वह जुडीशियरी विभाग से न्याय प्राप्त नहीं कर सकता। यदि न्याय प्राप्त करेगा और उसके पक्ष में हाई कोर्ट का फैसला हुआ, तो विधान सभा का अधिवेशन आया, उसमें रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लागू करा दिया। यदि इस प्रकार की बातें होती हैं तो हाई कोर्ट की ताले बन्दी करा दी जाय। जजेज़ को, चार चार हजार की तनख्वाह देते हैं, हाई कोर्ट की सम्मति आती हैं, लोगों में जो वर्ग-संघर्ष बढ़ता है, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जजेज़ के स्थानान्तरण की चर्चायें होती हैं, उन सब को समाप्त कर दें और राजस्थान सरकार डेमोक्रेटिक सरकार की जगह एरिस्टोक्रेटिक सरकार के रूप को धारण करके यह कहे कि सरकार का फैसला होगा, वही न्याय है और उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार नहीं होगा। न्याय का संचालन करने का अधिकार सरकार में निहित है। हाई कोर्ट में जाकर, अन्याय के प्रति न्याय प्राप्त करने का अधिकार है तो एक बात समझ में आ सकती है, हम उस सरकार को ऐसा मान कर चलेंगे कि उसमें प्रजातान्त्रिक भावना नहीं है, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर जो सरकार प्रजातान्त्रिक उसूलों के आधार पर बनी हुई है, जो प्रजा के अधिकारों की रक्षा करने वाली सरकार है, उसका नग्न स्वरूप हमारे सामने है और हम देखते है कि किस प्रकार कानूनों की रक्षा होती है और किस प्रकार जनता के अधिकारों की रक्षा होती है। इस सिलसिले में माननीय अध्यक्ष, मै समझता हूं कानून इतना कन्ट्रोवर्शियल नहीं है, जितनी कि इसके पीछे जो भावना है वह कन्ट्रोवर्शियल है। यदि इसी तरह की कानूनी भावना से जनता के अधिकारों को, न्याय प्राप्त करने के जरियों को ठुकराया गया तो इस तरह का कानून बनाने से जुडिशियल विभाग से जनता को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है, उसमें बाधा उपस्थित होगी और यह एक तरह से बन्द हो जायगा।

एक व्यक्ति ने रिट की है, उसने वकील को हजार-डेढ़ हजार रुपया दिया, उसको क्या मिला, उसकी बेवकूफी थी कि उसने हाई कोर्ट को एप्रोच किया, हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला किया पर राजस्थान की सरकार ने फैसला नहीं दिया, राजस्थान की सरकार हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध फैसला दे रही है, हालांकि वह उससे छोटी बोडी है, न्याय के मामलों में हाई कोर्ट सबसे ऊंची संस्था है, उसके फैसले को किस ढंग से नामंजूर किया जा सकता है, इसे राजस्थान सरकार जानती है। एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में रिट की, हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया, वह जीत गया, टोंक में उसने खुशियां मनाईं, खर्चा किया, मानपत्र भी उसको दिये गये, सभी लोगों ने खुशियां मनाईं कि राजस्थान सरकार से जीत कर आया है। पर उसको मालूम नहीं था हाई कोर्ट ने उसके हक में फैसला दिया है राजस्थान सरकार ने नहीं दिया है, जो जीत कर खुशियां मना रहा था उसको जिस दिन पता चलेगा कि राजस्थान की विधान सभा ने आज की तारीख में हाई कोर्ट के निर्णय के विपरीत इस प्रकार का कानून बना दिया है जिससे उसने जो कुछ न्याय प्राप्त किया, वह बेकार हो गया है, राजस्थान सरकार ने रिट्रो-स्पेक्टिव इफेक्ट से कानून पास कर दिया है तो आप अन्दाज लगाइये कि एक व्यक्ति हाई कोर्ट में जायगा उसको कितनी डिफि-

(श्री भैरोंसिंह)

कल्टी होगी। न्याय प्राप्त करने के मार्ग में कोई बाधा नहीं होनी चाहिये। कोई इस तरह की दर्खास्त करे कि पिछले ५ वर्षों से टेक्स दिया है वह वापिस मिलना चाहिये, वह वापिस मिलना चाहिये, वह वापिस दिलाया जाय पर उसने कितना दिया, किसने कितना दिया इसके जानने के लिये सरकार के पास क्या तरीका है, कोई तरीका नहीं, दो चार रुपये वापिस दिलाये जाने के लिये कोई भी दर्खास्त देने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि दो–चार रुपयों को वापिस वसूल करने के लिये २००, चार सौ रुपये खर्च नहीं करेंगे तब तक राजस्थान सरकार से वे रुपये वसूल नहीं हो सकते। उसने दर्खास्त दी तो सफलता की बात तो दूर सचिवालय और टोंक की उस पुल के बीच में उसे इतने चक्कर काटने पडेंगे कि वह थक जायगा और फिर कुछ रुपया सरकार को देने को मजबूर होगा। यदि सरकार की पैसा लेने की ही मनोवृत्ति है तो पैसा तो इस तरह से भी वसूल हो जायगा, दर्खास्त देगा, नोटिस देगा तो टिकट के रूप में उसे पैसे खर्च करने पडेंगे जो सरकार को मिलेंगे, दावा करेगा तो सरकार को पैसा मिलेगा, तो पैसा तो इस तरह से भी पैदा होता है, पर इस आमदनी के मार्ग को न्याय के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखना है। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे तो इसमें संदेह है कि राजस्थान सरकार इस प्रकार के तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति बनायेगी। किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट से न्याय लिया है उसमें दुरुस्ती नहीं करें, हाई कोर्ट ने जो राय अपनाई है उसके प्रतिकूल काम नहीं करें। जहां तक इस टेक्स का सम्बन्ध है, उसमें आज की तारीख से निर्णय ले लें कि जब तक नया कानून नहीं बनाया जाय तब तक के जो पैसे लिये गये हैं, टेक्स लिया गया है, वह अवैध है तब तो प्रजातन्त्र की प्रणाली में विश्वास हो सकता है।

मैं ये शब्द तो काम में नहीं लाऊंगा, माननीय अध्यक्ष, कि राजस्थान विधान सभा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, यदि इस प्रकार की भाषा विधान सभा के लिये कहूंगा तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग भी हैं, पर यह जरूर कहूंगा कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के लिये हमें मजबूर नहीं होना पडे यह काम भी राजस्थान विधान सभा का है। वह इस प्रकार की बातें न करे। यदि विधान सभा में इस प्रकार की बातें हुईं तो जनता क्या कहेगी, जनता क्यों अपने प्रतिनिधि विधान सभा में भेजेगी ?

जनता हमारे पीछे है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग ट्रेज़री बैंचेज़ की तरफ से कई बार किया जाता है। पर मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमें राजस्थान विधान सभा में इस प्रकार के कानून रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाने हैं, इस बात को कह कर कोई विधान सभा में नहीं आते, या इस प्रकार के टेक्स हम लगायेंगे, इस बात को कह कर कोई विधान सभा में नहीं आते, बल्कि एक सैद्धान्तिक विचार–धारा जनता के सामने रखी जाती है और उससे जनता वोट देती है। पर उसके अन्दर इस प्रकार की छोटी मोटी बातें नहीं रखी जातीं, उनका जनता को ज्ञान ही नहीं होता। उस सैद्धान्तिक विचार धारा की आड़ में इस प्रकार की बातें करते हैं यह जनता के प्रति विश्वास का हनन है, जो न जनता के प्रति अच्छा है और न विधान सभा के लिये ही। तो चाहे कितने ही लोगों को रुपये देने पडें पर हमें हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान

(श्री भैरोंसिंह)

करना चाहिये, जनता की हाई कोर्ट से न्याय प्राप्त करने की प्रणाली है, उसका आदर करना चाहिये और रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कानून लागू करने की जो प्रवृत्ति है उसको हटाना चाहिये ।

यही कह कर मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इसका बेशक विरोध किया जाय ताकि हमारे राजस्थान सरकार के मन्त्रियों पर भी इसका प्रभाव पडे और वे स्वयं महसूस करने लग जायं कि आज के युग में इसकी आवश्यकता नहीं है, तभी मैं समझता हूं हम राजस्थान की जनता की खूब अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे ।

श्री अर्जुनदास (अजमेर पश्चिम) : Mr. Speaker, on this Bill, I believe, the Treasury Benches or the Hon'ble Minister-in-charge would say that the amount involved is rather very small. If that be the argument, I think...

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : That argument, I am not going to give.

श्री अर्जुनदास : I think, the Hon'ble Minister should get up and speak. If I could be asked to keep such manners, I expect that he should also be asked to stand up and say. So I am now entitled to request the Chair to pull them up also, Sir.

श्री अध्यक्ष : Yes, I will see to it. Continue with your speech.

श्री अर्जुनदास : He did not get up.

(विराम)

Thank you, Sir. I was only suggesting that the possible reply from the Government side would be that since the amount involved is so small, we may not break our heads about it. If that be the argument, I believe this very argument can be used against Government also. If the amount is so small, then why worry about it ? Why pass a law like this? We are talking of crores and crores of rupees, but if you pass this law, you are going to have only some thousands at the best, and especially when this small amount is going to create a position and atmosphere in the whole of Rajasthan which we, while sitting here, try to see that we want to do away with such atmosphere.

Sir, the proclaimed aim of our Government is to create a democratic atmosphere in our State, to uplift masses, to make them bold enough and to give them justice also. If we want to uplift the masses, which has all along and so far been down-trodden, I think this Bill would be a hinderance to that. The moment you pass this Bill, you tell everybody here, look here, howsoever you may try, you might get your justice from a court of law, but still we shall not give it to you. You want to say, why do you go to a court of law ? But why do you want to prevent the people from going to court of law ? If a man takes the courage of going to the court of law, spends a lot of money in the hope that he

(श्री अर्जुनदास)

will get justice, and after all wins the matter, why do you want to show them that they will not get justice, inspite of the fact that they get justice from the highest court of judicature in Rajasthan ? And just for the sake of a few rupees.

छोटा सा रूपचन्द क्या वर्क कर सकता है ?

(हंसी)

So then all along during the tenure of the princely-rule here the motto of the rulers was, keep the spirits of the masses rather low. Keep them down-trodden. I hope the Government would allow us to say whether they are also trying to follow suit ? The moment you pass this Bill, the moment you get over this ruling given by the biggest court here, you lay yourself open to the charge that you want to follow the foot-steps of the Rulers of Rajasthan.

After all we claim that we are in a democracy; we are not in a monarchy. We have done away with the monerchy. Democracy is there. Still we want to prcceed on the lines which we have been following since our ancesters here in Rajasthan.

Therefore, I request that for the sake of a few rupees, please do not expose yourself to that charge that for of the sake of few rupees you are doing this. After all one has got to fight and win the matter. After he was won it, you debar him from that justice also. So it is going to hit the democracy in this State also.

There is another point also involved in this. Suppose you pass this law. What impression the Government is going to leave on the Hon'ble Members of the High court itself ? It is possible that they might just think that their verdict will not have any weight at all; it is possible that they might think that inspite of their justice and verdict, our Rajasthan Legislative Assembly, or I should say, the Rajasthan Government Cabinet would find its ways ond means to get over their verdict. If you leave that impression upon them, I think you might also expect that they should not take so much trouble hereafter in doing as much justice as they have been doing so far.

Therefore, I tell you, in the name of justice nnd democracy, please do not insist on a few rupees. If you want a few rupees, some of the Thakurs will just contribute something. (हंसी) Please do not create an impression on the masses and do not tell them that you do not cry for uplifting the masses.

Therefore I expect the Government at least would take the suggustion from this side and be a little wiser.

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, इस बिल को लेकर माननीय सदस्यों ने बहुत सी ऐसी ऐसी बातें कह दीं कि गवर्नमेन्ट ही अन्डेमोक्रैटिक है और हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानती है। अध्यक्ष महोदय, मैं नम्र निवेदन कर दूं कि उन्होंने शायद या तो बिल को पढ़ा नहीं या फिर इसके मतलब को समझा नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि आयन्दा के लिए राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है कि अब टोल टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी चीज यह कही गई कि जब फैसला हो गया है तो जो अब तक जितना भी टोल टैक्स वसूल हुआ था वह सब वापिस दिया जाना चाहिए। मैं निवेदन कर दूं कि फैसले का क्या मतलब होता है और फिर यह भी देखना चाहिए कि किसके केस का फैसला हुआ है? वह नहीं समझे हैं कि एक फैसला एक व्यक्ति के लिए लागू होता है वह उसी के लिए लागू होगा। अब राज्य सरकार ने आयन्दा के लिए यह तय कर लिया है कि उस फैसेले के बाद किसी से भी टोल टैक्स वसूल नहीं किया जायेगा।

दूसरी बात यह कही गई कि राज्य सरकार की तरफ से शायद यह दलील आयेगी कि किस किस को वापिस किया जाय। मेरी दलील यह नहीं है। मेरा कहना यह है कि जैसे किसी लौरी वाले से इस फ्रेज़र बिल के पास होने पर दो रुपया वसूल कर लिया तो वह उस व्यक्ति से वसूल कर लेता है तो अब आप ही बतायें कि किस को दिया जाय? आप यह चाहते हैं कि हम लौरी वाले को दो रुपया या चार आना जो कुछ भी उनसे वसूल किया है उसको वापिस दे दें। तो हम उस लौरी वाले को कहा ढूंढेंगे। तो इस तरह की बहुत तकलीफात पेश आयेंगी। अब क्या पता वह दो रुपये जिन व्यक्तियों से लिये जा चुके हैं वह उसे लेने के इच्छुक हैं या नहीं हैं, उनका पता नहीं, कई मर गए होंगे, कहीं दूसरी जगह चले गये होंगे तो उनको कैसे दिया जाय। इस तरह से अगर हम कोशिश भी करें तबभी मुमकिन नहीं है। इस टैक्स का ओरीजिन बिलकुल ओरीजिनल है और टोंक हिज़ हाइनेस ने यह ऑर्डर दिया उस समय उनको तीनों ही पॉवर्स; लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्युटिव और जुडिशियल थीं। तो इस टेक्स का ओरीजिन बिलकुल लीगल है। उसके बाद में सन् १६५० में काँस्टिट्युशन आया। पहले रिप्रेज़ेन्टेशन आया होता और उसको नहीं माना होता तो दूसरी चीज़ होती। लेकिन उसके बाद में कन्टीनुएन्स है वह बिलकुल ही इन्नोसेन्ट है। कानून सदा पेचीदा होते हैं और इसके अन्दर कोई व्यक्ति यह चाहे कि हम हमेशा सही और कानून के माफिक ही काम करते रहें, यह मुमकिन नहीं है। अपना काम यहां पर लेजिस्लेचर का है, कानून बनाना। अच्छे से अच्छे व्यक्ति देश के अपने राज्य में आते हैं फिर भी गलतियां रह ही जाती हैं और फिर बाद में उन कानूनों को अमेन्ड भी करना पड़ता है। हाई कोर्ट के बहुत से फैसले सुप्रीम कोर्ट में उलट जाते हैं। यह इन्नोसेन्टली रह गया। उसकी कन्टीनुएन्स इन्नोसेन्ट थी। वैसे उस कानून की ओरिजन लीगल थी और जब एक व्यक्ति की दरख्वास्त पर फैसला हो गया तो आयन्दा के लिए इसे वसूल करना बंद कर दिया। जहां तक इसे वापिस देने का सवाल है उसके लिए मैंने कहा कि कौन टेक्स देने वाले थे और उसका इन्सीडेन्स किस पर शिफ्ट हुआ था, यह हम तय नहीं कर सकते। किसी का अमाउन्ट ही बहुत छोटा होगा। आखिर चार आने लेने के लिए कोई आयेगा तो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

दिन भर का धंधा खोटा करेगा और साथ ही डेढ़ दिन खराब करेगा और आने के लिए किराये आदि का पैसा देगा । यह सचमुच पोसीबल नहीं है । इसलिए हमने कानून की शरण ली है । बजाय इसके कि हम इसको चालू रखते तो अदालत इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराकर दावा करती और सरकार पर चार आने की डिक्री होती, इससे पहले ही हमने निश्चय कर लिया है कि इस टोल टैक्स को वसूल करना बन्द कर दें । अतः यह चार्ज लगा देना कि हम बिलकुल ही अनूडेमोक्रेटिक हैं और हाई कोर्ट के फैसले की कद्र नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है । अब वह टोल टैक्स किस किस रूप में वसूल हुआ है, हम नहीं जानते हैं । बहुत से व्यक्ति मर गए होंगे और कहीं चले गए होंगे इसलिए हमने यह कहा कि इतनी कार्यवाही है उसको हटा दिया जाये । मैं कहता हूं कि विधान सभा को पूरे अख्तियार हैं कि कॉन्स्टिट्युशन से जो अधिकार दिए हुए हैं उसके अनुसार वह कोई भी कानून बना सकते हैं । अगर हाई कोर्ट ने किसी केस में कोई फैसला दे दिया है और उस फैसले के खिलाफ भी अगर यह विधान सभा कानून बनाना चाहती है तो उस फैसले के बाद भी बना सकती है और उसको कानून की शक्ल दे सकती है । इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इसको पारित किया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह कौन सी स्टेज है ?

श्री अध्यक्ष : कन्सीडरेशन स्टेज है ।

प्रश्न यह है कि दी फ्रेज़र ब्रिज टोल-टैक्स वैलीडेशन बिल, १६५७ को विचारार्थ लिया जाय ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया जाता है ।

श्री पूनमचंद विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि दी फ्रेज़र ब्रिज टोल टैक्स वेलीडेशन बिल, १६५७ को पारित किया जाय ।

२ म० प०

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सम्बन्ध में सदन में काफी अर्ज किया और मुझे विश्वास है कि सदन के माननीय सदस्यों ने जो बातें मैंने प्रस्तुत की थीं उनको उचित रूप से समझा होगा; किन्तु जो उत्तर माननीय उप मन्त्री महोदय की ओर से मिला उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने समझने की चेष्टा तक नहीं की ।

अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल की ओर से यह दलील प्रस्तुत की गई थी और उसकी मन्शा यह नहीं कि अगर इस कानून को नहीं बनाया जाता है तो राजस्थान सरकार के ऊपर यह ड्युटी आयद होती है कि जिन लोगों से टेक्स वसूल किया हो उनका पता लगाये और पता लगाने के बाद जो पैसे उनसे लिये हैं उनको वापिस अदा करे ।

उप मन्त्री महोदय ने इस पर इस ढंग से सोचा होगा कि अगर यह कानून नहीं बनाते हैं तो हमें उन लोगों की सूची बनानी पड़ेगी जिनसे टैक्स के रूप में पैसा लिया है अगर उनमें से कुछ मर गये हैं या जिन्दा हैं, कौन से स्थान के वे रहने वाले हैं, वह टैक्स उस व्यक्ति ने अपने आप जमा कराया या दूसरे व्यक्ति द्वारा करवाया गया, तो जो कानून की व्यवस्था होगी सरकारी रकम बाकी है वह सरकार को नोटिस देकर या सरकार के सामने रिप्रेज़ेन्टेशन देकर अपनी रकम वसूल कर

(श्री भैरोंसिंह)

लेगा । सरकार का कर्तव्य यह नहीं है कि सुओ-मोटो इस प्रकार की कार्यवाही करे जिसके कारण घर बैठे उनके पैसे पहुंच जायं । क्या कोई व्यक्ति खास तौर से वह व्यक्ति जिसने हाई कोर्ट में रिट कर के हाई कोर्ट से इस प्रकार का न्याय प्राप्त कर लिया और निर्णय यह हुआ है जो टैक्स वसूल कर लिया गया वह राज्य सरकार वसूल नहीं कर सकती, अगर वह आदमी उस टैक्स,को वापिस लेना चाहता है तो नहीं ले सकता ? कानून के मातहत उसको अधिकार है कि सरकार से वापिस वसूल करे और इस कानून की मन्शा यह होगी कि जिसने न्याय प्राप्त किया वह व्यक्ति स्वयं राज्य सरकार से लेने का प्रयत्न करेगा तो भी इस कानून द्वारा वह उस पैसे को लेने का अधिकारी नहीं रहेगा । इससे हाई कोर्ट के निर्णय को हम सम्मान नहीं दे रहे हैं । राजस्थान विधान सभा, हम यह मानते हैं, सुप्रीम बोडी है, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, हाई कोर्ट से भी ऊपर सुप्रीम कोर्ट है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस अधिकार को चुनौती नहीं देता कि विधान सभा एक सुप्रीम बोडी है । हमें संविधान द्वारा ऐसे अधिकारों का किस समय उपयोग कर सकते हैं इस सम्बध में कॉमन सेन्स से काम लेना होगा, इसका सम्बन्ध परिस्थितियों से हुआ करता है । जब ऐसी स्थिति बन जाय तब उन अधिकारों का उपयोग किया जाता है । अगर हम हर स्थिति में विधान सभा को सुप्रीम बोडी मान लें तो हाई कोट से जो न्याय प्राप्त करने की कोशिश करते हैं उन्हें न्याय नहीं मिल सकेगा । जिस तरह का इल्लस्ट्रेशन यहां दिया गया कि किसी लॉरी का ड्राइवर उस ब्रिज से पार होता है और वह दो आने पैसे जमा करा देता है, किसी को पता नहीं वह पैसा किसका था, तो मैं समझता हूं उसके लिये हमें कॉमन सेंन्स एप्लाई करना होगा ।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (उप मंत्री) : I did not say any such thing. What I said was whether he has charged it with the 'kiraya' (fare) from the person who had engaged him (Truck-owner) ?

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं माननीय उपमंत्री महोदय को हमारे यहां के जो रूल्स ओफ प्रोसीजर हैं उनका ज्ञान नहीं है, यदि उनके पास किताब नहीं हो तो वे मेरे पास से लेकर देख सकते हैं; उसमें यह है कि जब बिल पारित करने का प्रस्ताव रखा जाता है तो उस सम्पूर्ण बिल पर बोला जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जिस ड्राइवर ने टेक्स के रूप में पैसे जमा करवा दिये उसने भी किसी व्यक्ति से लेकर जमा कराये होंगे, तो ऐसी हालत में राज्य सरकार के सामने यह स्थिति पैदा हो सकती है कि वह रुपया किसको दिया जाय, इसका बहुत स्पष्ट उत्तर है वह यह कि जो व्यक्ति राज्य सरकार से पैसा लेने की चेष्टा करेगा वह सबूत भी देगा, तो जो सबूत पेश करेगा उसको दिया जायगा । जब सरकार को सम्पूर्णतया संतोष हो जाय तभी वह पैसा देगी । इसके लिये यह कह देना कि इस प्रकार की व्यवस्था हम कानून में रख देते हैं तो हमें बहुत सी अड़चनें होंगी उन अड़चनों को दूर करने के लिये हमने यह कानून बनाया है । अध्यक्ष महोदय, यह नहीं कि विधान सभा द्वारा कोई गलती नहीं होती हाई कोर्ट की गलतियों को सुप्रीम कोर्ट दूर करता है । विधान सभा का फंक्शन है कानून

(श्री भैरोंसिंह)

बनाने का और एग्जीक्युटिव साइड का फंक्शन है उसे लागू करने का। अगर उसमें किसी प्रकार की खामियां रह जाती हैं तो जनता का कर्त्तव्य हो जाता है कि उन खामियों को पोइन्ट आउट करे। हाई कोर्ट की गलतियों को सुप्रीम कोर्ट दूर कर सकता है और वहां से न्याय प्राप्त किया जा सकता है। तीनों के फंक्शन्स अलग अलग हैं, एक तो कानून बनाते हैं, दूसरे लागू करते हैं। इस प्रकार हाई कोर्ट का अस्तित्व अपना अलग है, एग्जीक्युटिव का अस्तित्व अलग है। प्रजातन्त्र के अन्दर संविधान जो बनाया गया है उसमें इन तीनों चीजों को बराबर अलग अलग रूप से देखा गया है। आज हम इस कानून द्वारा जो अधिकार हाई कोर्ट को हैं उन अधिकारों को मिटाने की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि सामान्य स्थिति में भी हम अपने इन अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं।

भूतपूर्व टोंक के नवाब ने एक कानून लागू किया, वह भूतपूर्व टोंक के नवाब के हस्ताक्षरों से लागू किया गया। जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से वह अमान्य घोषित हो गया। लेकिन जब इस कानून को अमान्य घोषित हुए सात वर्ष हो गये उसका पालन अभी तक नहीं किया गया। विधान सभा का अधिकार यह जरूर है कि अगर किसी कानून से जनता के अधिकारों पर कुठाराघात होता है तो उसको बदला जा सकता है। कानून अगर कोई बना दिया गया है तो जनता का कर्तव्य है कि जनता उससे फायदा उठावे। आज भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी खास परिस्थिति में प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट की तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और जब हाई कोर्ट में उन कारणों के बारे में रिट की जाती है और हाई कोर्ट उसको बरी करने का आदेश देता है हमने देखा है कि जहां एक थानेदार ने उसको मुक्त किया दूसरा उसको गिरफ्तार कर लेता है उसी एक्ट की तहत······.

श्री पूनमचंद बिश्नोई : On a point of order. He should confine his arguments only to those points which I had raised or referred in may reply. He should not raise any new points.

श्री भैरोंसिंह : बदकिस्मती से हमारे उप मंत्री महोदय को हमारे सदन की कार्य-प्रणाली का ज्ञान नहीं है। उनको पता होना चाहिये कि मैं उनको आरगमेंटस का जवाब नहीं दे रहा हूं। उन्होंने जो बिल को पारित करने का मोशन मूव किया है उसका मैं विरोध करता हूं। मैं नये पोइन्ट्स रेज़ कर सकता हूं। रूल्स और प्रोसीजर की किताब मेरे पास है वे चाहें तो इसे देख लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी परिस्थिति हो गई कि किसी आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पी० डी० आर० के तहत गिरफ्तार हो गया उसने हाई-कोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि जिन कारणों को लेकर गिरफ्तार किया गया है वह ठीक नहीं हैं उसको बरी कर दिया जाय, तो राज्य सरकार का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि उसको बरी कर दे; लेकिन राज्य सरकार ऐसा नहीं करती, ज्योंही जेल से उसको छोड़ा जाता है एक दूसरा थानेदार उसको गिरफ्तार कर लेता है। पांच मिनट के अन्दर ऐसी क्या परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं पता नहीं। उसको गिरफ्तारी का कारण यह बता दिया जाता है पांच मिनिट में

(श्री भैरोंसिंह)

ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गईं जिससे उसको गिरफ्तार कर लिया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कानून की गंभीरता का अनुभव तो उनको होने दो। लेकिन यहां देखा यह गया है कि हाई कोर्ट अगर किसी कानून को रद्द करार दे देता है तो विधान सभा द्वारा उसको ठीक करवाने की कोशिश की जाती है। यह हम भी मानते हैं कि राजस्थान विधान सभा सुप्रीम बोडी है पर उसके फंक्शन पर कुठाराघात कर रहे हैं।

वैसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, चाहे किसी रूप में कहें, छोटा कानून समझें या मोटा, प्रशासनिक व्यवस्था उसमें रहे या अव्यवस्था इस बात को सामने रखकर इस मूल-भूत तत्व को नहीं भुलाया जा सकता कि संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त करने का अधिकार है। उस पर विधान सभा इस तरह का कानून बनाकर कुठाराघात करती है तो मैं निवेदन करूंगा कि आवेश में आकर नहीं, भावना के जोश में आकर नहीं, बल्कि राजस्थान की सारी परिस्थितियों को सामने रखकर, उनसे शिक्षा ग्रहण करके एक शिक्षा मन्त्री के नाते सोचें; ठन्डे दिमाग से सोचें। आप टैक्स लगा सकते हैं इसके लिये आवश्यक हो तो आप कानून लाइये, उचित होगा तो हम आपका साथ देंगे, अनुचित होगा तो विरोध करेंगे, फिर भी आप पास कर ले जावेंगे, पर इस पर आपत्तियां होंगी। ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार का कानून बनाना उचित है। अगर बहुमत का दुरुपयोग करके पास करेंगे तो मेरा वश नहीं।

मैं फिर निवेदन करूंगा कि आज कई दिनों के बाद मुख्य मन्त्री जी यहां पधारे हैं उनकी उपस्थिति में अगर ऐसा कानून बनता है तो यह सदन के नेता के लिये भी उचित नहीं होगा। अतः वे अपने उप मन्त्री जी को आदेश दें कि वे इस कानून को वापिस ले लें।

श्री पूनमचंद बिश्नोई (उपमंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने वही बातें दुहराई हैं जो उन्होंने बिल के विचारार्थ लिये जाने के वक्त कही थीं। उनका कहना यह है कि हम हाई कोर्ट के फैसले की अवहेलना करके कोई कानून पास करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि हाई कोर्ट का फैसला क्या है यह तो उनको मालूम नहीं, एक व्यक्ति या पांच व्यक्ति की दरख्वातें आई हैं और उस पर यह हुआ है कि टैक्स वसूल न किया जावे; यह मंशा इसकी है। इससे अधिक मंशा नहीं है। अगर हो तो आप बतावें। इस मामले में यह कर दिया कि आगे से यह टैक्स वसूल नहीं किया जावे।

श्री भैरोंसिंह बिश्नोई: On a point of clarification, sir, एक बात आप बता दें कि जिस व्यक्ति की रिट पर यह फैसला हुआ है उससे आप फीस वसूल करेंगे या नहीं, उसको वापस देना जायज समझेंगे या नहीं। हाई कोर्ट ने यह कहा कि उसे वापिस दिया जावे। इस बारे में राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है, यह बता दें।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : जिस व्यक्ति ने रिट की है अगर उसके फैसले में यह लिखा हो कि वापिस दिया जावे तो वापिस देंगे।

श्री भैरोंसिंह : वह तो इम्प्लाइड है। जरा कानून की परिभाषा देखें आप।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, इसमें आगे के लिए बन्द कर दिया जावे इतना

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

सवाल है तो इसको आगे के लिये हमने डिस्कन्टीन्यू कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : उस जजमेंट में यह नहीं है कि आगे के लिए बन्द कर दिया जावे। मैंने भी अच्छी तरह से फैसला देखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, क्षमा करें मै खड़ा हो गया हूं कुछ कहने के लिए। यह बिल दर असल लाया इसलिये गया है कि हाई कोर्ट ने पहले की व्यवस्था को गैर कानूनी करार दिया और इस बिल की मंशा भी सही है कि चाहे जिस किसी ने हाई कोर्ट में रिट की हो, या चाहे और कोई स्थिति हो, जो टैक्स लिया जा चुका है वह जमा रहेगा, वापिस नहीं किया जावेगा और इसको वेलिडेट करने के लिए यह बिल यहां लाया गया है।

मैं नहीं समझता कि दांता-रामगढ़ से, आई.एम सोरी, श्री माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई दलीलें दीं और बड़े-बड़े इसमें उसूल के सवाल खड़े किये, जनतन्त्र उसमें आया, न्यायाधीश और न्यायालय की प्रतिष्ठा का प्रश्न यहां आया, इससे इसमें क्या अन्तर आया? इन सारी बातों से जो उन्होंने कहीं, कोई इन्कार नहीं करता। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी प्रतिष्ठा हम सब स्वीकार करते हैं। पर इसके साथ साथ जिस चीज को हम उचित समझें उसके बारे में निर्णय करने का हमें पूर्ण अधिकार है, हमारे इस अधिकार से भी कोई इन्कार नहीं कर सकता।

इस बिल से यह बिलकुल स्पष्ट है कि आगे के लिये हम इस टैक्स को नहीं चालू रखना चाहते, अगर हम चाहते तो वैसा कानून भी बनाया जा सकता था, जैसे कई जगह अब भी है, कई पुलों पर टोल टैक्स लिया जाता है। पर हमने इस बारे में यह निश्चय किया कि आगे से इस व्यवस्था को चालू न रक्खा जाय। यह रिट्रोस्पेक्ट स्टेप होता इसलिए बन्द किया गया।

अब पीछे के बारे में यह निवेदन किया गया और मैं भी करना चाहता हूं कि दर असल जिन लोगों से यह टैक्स वसूल किया गया उनको यह वापिस नहीं हो सकेगा; जैसे एक बस ओनर है, उससे हमने टैक्स लिया और उसने पैसेन्जरों से वह टैक्स वसूल कर लिया होगा, अब उन पैसन्जरों को वापिस किया जाना चाहिये वास्तव में तो, पर यह व्यवहारिक नहीं। इसी तरह से एक ट्रक है उससे लोड पर टैक्स लिया गया और उसने लोड जिसका वह है उससे वसूल कर लिया होगा। जब वे वसूल कर चुके, जिनकी ज्यादातर सम्भावना इसमें है तो फिर मैं नहीं समझता कि उन बस वालों और ट्रक वालों को यह पैसा क्यों वापिस किया जाय, उनको दुबारा क्यों फायदा दिया जाय? वे तो दूसरों से यह टैक्स वसूल कर चुके इस खयाल से कि सरकार को टैक्स चुकाना है तो ऐसी स्थिति में उन्होंने तो अपने पास के मुनाफे में से सरकार को टैक्स दिया नहीं, अब वह टैक्स उनको दुबारा वापिस दिया जाकर दुबारा फायदा उनको देना यह कतई उचित नहीं है और दर असल में सोचने का मुद्दा तो यही है।

फिर एक माननीय सदस्य जो अजमेर से आये हैं उन्होंने इसे मासेज़ का और डाउन ट्रोडन का सवाल बताया। मैं नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

समझता कि इसमें कहां से मासेज़ और डाउन ट्रोडन आ गये और कहां से यह जनता का प्रश्न बन गया। एक मामूली से सवाल के वेलीडेशन का प्रश्न यह था, तो इस चर्चा में मैं ज्यादा नहीं पड़ना चाहता।

एक ने यह भी कहा कि मेरी उपस्थिति में कोई घोर अन्याय होने जारहा है और हम कोई बहुमत का बहुत बड़ा दुरुपयोग करने जा रहे हैं। मैं इस पर निवेदन करना चाहता हूं कि कोई दुरुपयोग का प्रश्न नहीं है, कोई अन्याय और अत्याचार का प्रश्न नहीं है। दर असल में जो रुपया दूसरों से प्राप्त किया हुआ है उससे दुबारा उन लोगों को लाभ न मिले और उस पैसे का दुबारा दुरुपयोग न हो जावे इसको रोकने के लिए आज की स्थिति में हमने यही रास्ता उपयुक्त समझा कि यह बिल लाया जावे और इतना स्पष्टीकरण हो चुकने के बाद मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि इस विधेयक को पारित किया जावे।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

२.१७ म० प०

अशासकीय संकल्प

अशासकीय कार्य होगा। संकल्प है, पहला संकल्प है श्री गिरधारीलाल का।

एक निवेदन कर दूं माननीय सदस्यों से कि अगर वे एक संकल्प पर ज्यादा समय नहीं लेंगे तो आज का और कल का दिन हमारे पास है उसमें हम अधिक से अधिक संकल्प ले सकेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संकल्प हो सकें तो यह मेरे खयाल से ठीक होगा। पहले देखा गया है कि एक ही संकल्प को लेकर पूरा समय व्यतीत कर दिया गया और अगले संकल्प नहीं लिये जा सके। इसलिये आप इस पर विचार करके कुछ समय को एडजस्ट कर लें तो ज्यादा से ज्याया संकल्प ले सकते हैं।

संकल्प

(क) जनता द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलनों में सरकार द्वारा बातचीत इत्यादि से समस्या सुलझाना।

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, 'कि इस सदन की सम्मति है कि सरकार, जनता द्वारा चलाये जाने वाले, आन्दोलन के समय केवल बातचीत, समझौता, बीच बचाव अथवा पंच फैसले से काम ले और जाब्ता फौजदारी कानून की धाराएं १०७ व १४४ का प्रयोग न करे।'

अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ साल पहले हमारे यहां अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेज लोगों ने अपने राज्य की नींव को दृढ़ बनाने के लिये अपनी स्थिति को मजबूत बनाये रखने के लिये कुछ ऐसे कानून बनाये जिनकी ओट में वह जनता का दमन कर सके, खुल्लमखुल्ला अत्याचार द्वारा उनकी इच्छाओं को जबर्दस्ती से दबा सके और पशु बल के आधार पर जनता को भयत्रस्त करके रख सके और उन लोगों ने ऐसा किया भी। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि आज दिन भी जब कि हम स्वतन्त्र हैं, हमारा देश आज

(श्री गिरधारीलाल)

ब्रिटिश शासन की गुलामी की बेड़ियां तोड़ चुका है, हम उन्हीं के पदचिन्हों पर चल रहे हैं। अंग्रेज चले गये, उनका शासन समाप्त हुआ, लेकिन हम लोग उनके बनाये हुए उन कानूनों का प्रयोग, जो हमें नहीं करना चाहिये, कर रहे हैं।

जब जब भी जनता की मांगों को लेकर आन्दोलन खड़ा होता है, जब जब जनता इन आन्दोलनों द्वारा अपनी मांगें सरकार के सामने रखती है, वह चाहे व्यक्ति के रूप में हो, चाहे जन समुदाय के रूप में हो; जनता अपनी मांगें सरकार के सामने रखती है और जब भी सरकार देखती है कि इसमें हमारी इज्जत का सवाल है, जब भी सरकार देखती है कि इसमें सरकार को नहीं झुकना चाहिए तब सरकार जाब्ता फौजदारी कानून की धारा १०७ और १४४ लागू कर जनता पर अत्याचार करती है।

माननीय अध्यक्ष, आजादी मिलने के पश्चात् हिन्दुस्तान की जनता ने काफी अन्दोलन चलाये होंगे और हमारे राजस्थान में भी काफी आन्दोलन जनता ने चलाये हैं। गंगानगर में किसानों ने आबियाने के सम्बन्ध में एक आन्दोलन चलाया था। तब भी सरकार ने हजारों निरपराध आदमियों को गिरफ्तार किया और बिना मतलब के उनको गिरफ्तार किया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, वे सरकारी सम्पत्ति का कोई नुक्सान नहीं कर रहे थे, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं कर रहे थे, किन्तु सरकार के सम्मुख अपनी मांगें रख रहे थे। उनकी मांगों के सिलसिले में उन पर तरह तरह के विलेम लगा कर गिरफ्तार किया। यही नहीं, घर बैठे लोगों को सरकार गिरफ्तार कर लेती है यह कह कर कि तुम्हारी वजह से अमन को खतरा है। एक व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति, यदि एक शहर से दूसरे शहर को जाता है, वह समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन चूंकि दूसरी जगह आन्दोलन चल रहा है इसलिए उसको सरकार यह कह कर रोक सकती है कि आप यहां गाड़ी से मत उतरो क्योंकि तुम्हारे यहां उतरने से अमन को खतरा है। इस प्रकार की राजस्थान में कई घटनायें घटी थीं और अध्यक्ष महोदय, अभी की एक ताजी घटना है। आज से कुछ महीने पहले राजस्थान में विद्यार्थी आन्दोलन चला था। यह आन्दोलन अलवर में सबसे पहले चला और बाद में जयपुर में। यहां के छात्र, जो बहुत बड़ी तादाद में थे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, मिलने सेक्रेटेरिएट गये थे। वहां पर मिटिंग करने के लिए कुछ देर तक बैठे रहे, उन्होंने वहां पर मिटिंग करने की इजाजत मांगी। उनको इजाजत पहले तो दे दी गई लेकिन बाद में उन पर लाठियां बरसाई गईं। वे वहां पर मुख्य मंत्री महोदय से मिलने गये थे, उनसे बात करने गये थे, लेकिन उनको मिला क्या? उन्होंने लाठियां खाई और कई पुलिस वालों के लगी। उन्होंने पहले चला कर पुलिस वालों को नहीं मारा, मैं वहा स्वयम् मौजूद था, पहले पुलिस वालों ने उन पर लाठियां चलाईं। पुलिस ने पहले तो ऑर्डर दिया कि पांच मिनिट ठहरो, नहीं तो लाठी चार्ज करेंगे। उन्होंने पांच मिनिट के अन्दर अन्दर लाठी चार्ज किया। राज्य सरकार यदि इस प्रकार के कानून को लागू करती है तो फिर उनके

(श्री गिरधारीलाल)

अधिकारों का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है और बड़ी तादाद में जिस व्यक्ति को भी सरकार चाहे उसको इस कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार कर सकती है। जहां चाहे धारा १४४ लागू कर सकती है। आज इस युग में इस प्रकार के कानून की जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय और दूसरी दलील सरकार यह देती है कि ऐसी धारायें तो गुन्डों को दबाने के लिए होती हैं। लेकिन यह वाहियात दलील है। आन्दोलन जब चलता है तो हमने यह देखा है कि आन्दोलन करने वाले जब पुलिस वालों को देखते हैं तो और उग्र हो जाते हैं, जब उनको नहीं देखते हैं तो उग्र नहीं होते हैं और यदि इस पर मनोवैज्ञानिक ढंग से सोचा जाय तो आन्दोलनकारी केवल पुलिस वालों को देखकर ही उत्तेजित होते हैं, यदि पुलिस वालों को नहीं देखते हैं तो उत्तेजित नहीं होते हैं। यही आज तक का इतिहास बताता है। सरकार की दलील है कि यह तो गुन्डों को दबाने के लिए है, जो सरकारी सम्पत्ति का नुक्सान करते हैं उनको दंड देने के लिए है और उनके लिए ही इस कानून का उपयोग किया जाता है और यह तो इस प्रकार की बात है कि जो ऊपर से दिखाने के लिए कोई कुछ बात है और भीतर से कुछ और ही। जब विद्यार्थी आन्दोलन चल रहा था तो मैंने खुद ने आंखों से देखा था कि पुलिस ने जौहरी बाजार और चौपड़ पर क्या अत्याचार किये थे, जो व्यक्ति साइकिल पर आता उसको पकड़ कर पुलिस वाले मिल कर लाठी मारने लग जाते, गलियों से बच्चों को पकड़ कर पुलिस ले जाती और उनको दो दिन तक कोतवाली में रखती। माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार के कानून की, जिसके द्वारा सरकार निर्दोष व्यक्तियों पर अत्याचार करे, कोई जरूरत नहीं है। सरकार यह दलील दे कि इन कानूनों को यूज़ में नहीं लाते हैं तो पुलिस निष्कर्य होजाती है। माननीय अध्यक्ष, आज इस प्रकार की शिकायतों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक तरफ तो हम जनतन्त्र की दुहाई देते हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि जनता का राज्य है और दूसरी ओर जनता मांगों को लेकर जब जाती है तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, गोलियां चलाई जाती हैं। यह कहां का जनतन्त्र है? उसी प्रकार की परिपाटी की आप स्थापना कर रहे हैं जिस परिपाटी का आगे चल कर विकास भी हो सकता है। आज एक तरह जनतन्त्र न होकर हम ऐसा देखते है कि सरकार ने पुलिस राज्य कायम कर रखा है। जब पांच व्यक्ति इक्ट्ठे होते हैं तो पुलिस वाले लाठी लेकर उनके पीछे पड़ जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। माननीय अध्यक्ष, मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई झगड़ा हो तो उसको बीच बचाव से प्रेम से और शान्तिपूर्वक हल किया जा सकता है। दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका बातचीत द्वारा हल न निकल सके। अगर हम डंडे के जोर पर राजस्थान में या देश में राज्य कायम रखना चाहेंगे तो न तो इस प्रकार अंग्रेज लोग हिन्दुस्तान में राज्य कायम रख सके थे और न ही दूसरे रख सकेंगे, चाहे वह कांग्रेस गवर्नमेन्ट हो, चाहे दूसरी गवर्नमेन्ट हो। आप राज्य कायम रखना चाहते हैं तो प्रेम से लोगों से मिलें, जो वे मांगें रखें उनको समझें। मेरा अनुभव है, माननीय अध्यक्ष,

(श्री गिरधारीलाल)

कि जिस दिन लड़के सेक्रेटेरियेट गये थे मुख्य मंत्री महोदय से मिलने के लिए, उस दिन यदि मुख्य मंत्री महोदय उनसे मिल लेते तो कोई न तो जयपुर में छात्रों पर लाठी चलती और न कोई झगड़ा फैलता न, निर्दोष व्यक्तियों पर अत्याचार होते। इससे सैकड़ों रुपयों का नुक्सान होता है और मुफ्त में जनता मारी जाती है। आज ये विचार, गुन्डों को दबाने के, अप्रजातान्त्रिक विचार हैं, ये जनतान्त्रिक विचार नहीं हैं। अगर गुन्डों को भी दबाना है तो उनको भाईचारे से और प्रेम से एवं बातचीत से दबा सकते हैं। अगर कोई आदमी सरकारी सम्पत्ति का नुक्सान करता है, सरकारी सम्पत्ति का नुक्सान कोई ईमानदार व्यक्ति तो नहीं कर सकता है, लेकिन यदि एक आदमी नुक्सान करता है और अगर उसके कारण आप सैकड़ों आदमियों का नुक्सान करते हैं, उनको दंड देते हैं तो यह तो कोई न्याय नहीं है, किन्तु अन्याय है, इसिलिए माननीय अध्यक्ष, मैं आपसे निवेदन करूंगा और साथ ही साथ सदन से भी निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव को सदन मंजूर कर ले।

श्री मोहरसिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारीलालजी के द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है....

श्री अध्यक्ष: इसमें कुछ संशोधन भी हैं। पहले संशोधन प्रस्तुत हो जायं फिर सपोर्ट कीजिये।

एक संशोधन है डा० चंद्रकला का। वे यहां नहीं हैं। दूसरा संशोधन है श्री बहादुरसिंह का। वे भी यहां नहीं हैं।

श्री मोहरसिंह (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री गिरधारीलाल के द्वारा जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, वह वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण संकल्प है। आज के जमाने में जब कि देश को आजाद हुए करीबन १० वर्ष हो चुके हैं, इस प्रकार की धाराएं जो कि प्रजातंत्र के खिलाफ हैं लागू रहती हैं तो वह हमारे लिए अशोभनीय है। किसी भी सरकार के लिए जो प्रजातन्त्र की डींग मारती है, अगर प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार चले उसके अन्दर प्रजातन्त्र के खिलाफ इस प्रकार के सेक्शन्स रहें कि जिनके तहत में जनता को प्रजातन्त्रीय अधिकारों का उपभोग करने में दिक्कत सामने आती हो तो वह प्रजातन्त्र की हामी सरकार नहीं कहला सकती। वास्तव में उस वक्त में विदेशी हुकूमत हिन्दुस्तान के अन्दर थी वे लोग आटोक्रेटिक, निरंकुशवादिता के तरीकों को हिन्दुस्तान की जनता को अपने चंगुल में फंसाये रखने के लिए इस प्रकार की दफाएं इस्तेमाल में लाते थे। लेकिन आज देश आजाद है उस वक्त में यह भारतीय संविधान के बिल्कुल खिलाफ होगा कि जन आन्दोलनों को ये धाराएं लगाकर दबाते रहें। भारत के संविधान के अन्दर पूरी तरह से कहा है कि लोगों को विचार व्यक्त करने का अधिकार है, संस्थाएं बनाने का अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। इस पर इस तरह से दफा १०७ और १४४ जन आन्दोलनों को कुचलने के लिए लगाई जाती हैं, जन आन्दोलनों पर कुठाराघात हो, इस जनतन्त्र के युग के अन्दर इस प्रकार की दफाएं जनता के ऊपर लगाते हैं तो यह गैर प्रजातान्त्रिक है। भारत के विधान के अन्दर हम लोगों को हम लोगों के लिए मताधिकार का सेक्शन जहां हैं यह धाराएं उसके खिलाफ पड़ती हैं। इसलिए इस चीज़ को लागू रखना आज के जमाने के बिल्कुल विपरीत है।

(श्री मोहरसिंह)

इसके अन्दर उल्टा उत्तर दिया जाता है सरकार की तरफ से कि जनता अगर हिंसा के अन्दर विश्वास करने लग जाय, अगर हिंसा कहीं पैदा हो जाय तो उसको दबाने के लिए इस प्रकार की धाराएं प्रयोग में लाई जाती हैं। मैं साफ तौर से बतला दूं कि किसी आन्दोलन में हिंसा अगर पैदा होती है हिंसा अगर दिखाई देती है तो गवर्नमेंट को पता लगाना चाहिए कि इसकी वजुहात क्या हैं ? जब कोई आन्दोलन खड़ा होता है तो उसकी शुरूआत की क्या वजह है। शुरू से लेकर आखिर तक जब जनता बिल्कुल उकता जाती है उसके बाद प्रदर्शन करने का मौका अख्त्यार करना पड़ता है। शुरू से लेकर आखिर तक दरख्वास्तें किसी मुताल्लिक दी जायं उसकी सुनाई न हो, उसके बाद मिलें तो सुनाई न हो, उसके बाद जनता उकता कर प्रदर्शन का सहारा लेती है, उस वक्त दफा १०७ और १४४ का बहाना लेकर, जनता को यह कह कर कि वह शान्तिवादी तरीकों को छोड़ कर हिंसा के अन्दर विश्वास करने लगी है, यह दफा लागू की जाती है।

आज तो समय बदल गया है। आज तो हिन्दुस्तान १० वर्ष से आजाद है, लेकिन आज भी पुलिस दमन और गुलामी की प्रतीक है। आजाद होने पर भी वह जनता की सेवक नहीं बनी है। आज भी वह गुलामी और दमन का प्रतीक है। जनता पर लाठी बरसाने में पुलिस, खाकी वर्दी वाले आगे रहे हैं, जब तक लोगों के दिलों में यह विश्वास रहेगा उस वक्त तक यह कहें कि शान्ति रखें लोग बाग, यह चीज़ अनहोनी है, यह हो नहीं सकता। यह उनके विचारों के खिलाफ जाती है। या तो उनमें भावना भरिये कि इस प्रकार से आप लोगों को जनतन्त्र के अन्दर इस प्रकार से, इस तरीके से, इस कायदे से, इन कदमों के अनुसार चलना चाहिए। जब तक आप लोग यह शिक्षण लोगों को नहीं देते हैं उस वक्त तक जनता पर यह दोष लगाना कि वह शान्ति को भंग करती है, वह हिंसा की नीति को अपना रही है, बिल्कुल गलत चीज़ होगी।

मैं आपको साफ तौर से बतला दूं कि आन्दोलन जिसको कहते हैं कि गंगानगर का आबियाना आन्दोलन, उसके पहले मेवाड़ का सुआना काण्ड हुआ जिसमें किस प्रकार से लोगों को कष्ट दिया गया और तरह तरह की दफाएं लागू कीं। चूरू का किसान आन्दोलन और उसके बाद में विद्यार्थी आन्दोलन हुआ, सीकर का झगड़ा चल तो लोगों को किस प्रकार से जेलों में बन्द कर दिया गया, उन पर लाठियां बरसाई गईं, अश्रु गैस बरसाया गया और गोलियों से भी नहीं बचे, यह आजाद सरकार के लिए शोभा की बात नहीं है। आज के जमाने में यह दफा गैर मौजूं हैं। वह समय के बिल्कुल अनुकुल नहीं है। यह खत्म करने लायक है। यह आटोक्रेटिक ढंग को, निरंकुशवाद जो था उसको प्रदर्शित करने वाली चीज़ है।

मैं आपको सुना दूं और एक छोटी सी चीज़ से साबित कर देता हूं कि अगर सरकार काबिल हो और जनता की आवाज पर चले तो झगड़ों की नौबत ही न आये। यह मैं साबित कर देता हूं कि हिन्दुस्तान में एक छोटा सा इलाका है जिसको कि केरल की सरकार कहते हैं। वहां पर सवा लाख आदमियों ने, रोमन केथोलिकों ने, एजुकेशन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया। सवा लाख आदमियों का जुलुस आया, उन्होंने प्रदर्शन किया तो उसके सामने चीफ मिनिस्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि यदि कोई समस्या है तो उसको हल

(श्री मोहरसिंह)

करने के लिए लाठी नहीं बरसायेंगे, आप लोग कह दें और आपसी बातचीत से हल कर लें आप लोग अगर केरल गवर्नमेंट को बदनाम करना चाहते हैं तो वह नहीं हो सकता है। एक तरफ तो यह है और एक और हमारे यहां मासूम बच्चे हैं, जिन्हें विद्यार्थी का नाम दिया जाता है, जो पढ़ने वाले थे, उन्होंने यह आन्दोलन उठाया कि फीस लागू नहीं होनी चाहिए, तो क्या कानून, क्या बात थी कि उनको किसी वाजिब चीज़ को दबाने के लिए तरह तरह की दफाएं लागू करके उनपर लाठियां क्या गोलियां तक चलाई, गईं तो यह आज की जनता की सरकार, महात्मा गांधी के अहिंसा के वसूलों के ऊपर चलने वाली सरकार के लिए अशोभनीय है, वह बहुत बुरी चीज़ है।

इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूं कि दफा १०७ और १४४ का प्रयोग हमारी सरकार यह कहती है कि सुरक्षा को कायम रखने के लिए, शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने के लिए करती है तो करे, लेकिन जन आन्दोलन पर यह चीज़ लागू नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि दफा १०७ और दफा १४४ का इस्तेमाल पुलिस जहां जरूरत होती है वहां नहीं कर रही है। अपने राज्य के अन्दर तरह तरह की गडबड़ियां हो रही हैं, कत्ल, डाके और चोरियां रोजाना बढ़ रही हैं, वहां तो इसकी शान्ति व्यवस्था और सुरक्षा खतरे में नहीं पड़ती है, वहां दफा १०७ और १४४ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

२. ३७ म० प०

(श्री निरन्जननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इन सारी चीजों पर विचार करके मैं बोलूं लेकिन जो टाइम दिया गया है वह थोड़ा सा है उसके अनुसार मैं आप लोगों के सामने चीजें प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। वास्तव में यह जमाने के विपरीत चीज़ है। किसी भी आन्दोलन को बढ़ाने का अधिकार है। हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि उसके अनुसार हम उसको आगे चला सकते हैं, शान्तिप्रिय तरीकों से, अहिंसा के तरीकों से। हिंसा का नाम लिया जाता है, लेकिन पुलिस की तरफ से उसको बढ़ावा दिया जाता है। इन सारी चीजों के लिए कितने ही उदाहरण मैं रख सकता हूं। मैं आपका ज्यादा वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं। किस प्रकार से गड़बड़ियां राजस्थान के अन्दर फैल रही हैं। किस तरह से लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं, किस प्रकार से लोग परेशान होते हैं, सेक्रेटेरियेट में पेशी के लिए लालायित रहते हैं, लेकिन उनकी बातों की सुनवाई नहीं होती। तरह तरह की खराबियां राजस्थान गवर्नमेंट में आज हैं। दस वर्षों का इतिहास सारे का सारा बतलाया जाय तो देर लगेगी। कत्ल हो जायं, राजगढ़ के स्टेशन पर, मैं नहीं कहता उस चीज़ को चाहे वह गलत आदमी था, समाज के खिलाफ चलने वाला आदमी था, दानसिंह का कत्ल किया गया, उसका अगर पता लगाया गया हो तो मेरे सामने पेश किया जाय। इसी तरह से हीरे के बास के अन्दर मारने वाले के लिए आज मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को रामजीलाल का पता है? राजगढ़ तहसील के हीरे वास में होने वाली चीज़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शान्ति और सुरक्षा की जिम्मेवार पुलिस वहां क्या कर रही है? वह देखती नहीं है कि क्या हो रहा है और आंखें मूंद कर बैठी हुई है। आज इस तरह के कितने ही उदाहरण और रख

(श्री मोहरसिंह)

सकता हूं । आज विरोधी पार्टी के आदमी गवर्नमेंट का शान्ति और सुरक्षा के मामले में साथ देना चाहते हैं और अपना बचाव भी करना चाहते हैं इन गड़बड़ियों और बदअमनी के मुखियाओं को पकड़वाने के लिए तो उनको सहूलियत और साथ नहीं दिया जाता है । मैं बतला दूं कि सूरजभान काण्ड के अन्दर जो लोग फंसे हुए हैं उनके प्राणों की हिफाजत करने के लिए आदमियों ने साल, डेढ़ साल से दरख्वास्तें दे रखी हैं, लेकिन उनको रिप्लाई नहीं दिया गया है । यह चीज़ हो रही है १० वर्षों से । कई बातें बतला सकता हूं, उन पर अफसोस होता है । उनमें टाइम ज्यादा लगेगा बतलाने में, इसलिए थोड़ी सी बातें रखी हैं । और भी कोई पूछना चाहता है तो पुलिस के सामने, चीफ मिनिस्टर साहब के सामने बतला दूं । लेकिन दोस्तों और साथियों, लायक सभा के सदस्यगण, आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि १०७ और दफा १४४ की यह चीज़ आज के जमाने के खिलाफ है, यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है । इस नाम के ऊपर मैं संविधान के अनुसार चलने वाली, प्रजातन्त्र के अधिकारों को प्रोत्साहित करने वाली, जनता के अधिकारों को बचाने वाली, महात्मा गांधी के अहिंसा के उसूलों की हिफाजत करने वाली सरकार से प्रार्थना करता हूं कि दफा १०७ और १४४ का जन आन्दोलनों के ऊपर इस्तेमाल न किया जाय । इन शब्दों के साथ ज्यादा वक्त न लेते हुए, ज्यादा देर न करते हुए उम्मीद करता हूं कि आज इस छोटे से प्रस्ताव को, कम से कम इस चीज़ को मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे । अगर आज आप इस दलील को स्वीकार नहीं करते हैं तो साफ बात है कि आप प्रजातन्त्रीय भावनाओं के खिलाफ चल रहे हैं, चाहे कागजों में या कहने में कितनी ही डींग मारते हों । इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सदन का ध्यान रूल १४९ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं इसमें भाषण का समय निर्धारित किया गया है, उसका पालन करें ।

"No speech on a resolution except with permission of the Speaker shall exceed fifteen minutes in duration."

श्री किशनसिंह (लक्ष्मणगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी बताया गया कि जन आन्दोलन को दबाने के लिये जो कानून का प्रयोग किया जा रहा है वह नहीं होना चाहिये; जन आन्दोलन हैं वे किस तरह से चलें और क्या करें इस बारे में कुछ भी बताया नहीं गया । उदाहरण यह दिया गया कि विद्यार्थियों को दबाया गया और फतहपुर के बीड़ में किसानों को गिरफ्तार किया गया और उनको दबाया गया और कई एजीटेशन्स को दबाया गया, इस तरह की बातें कही गईं । एक एजीटेसन तो कई दिनों तक लम्बा चला वह था भूस्वामी संघ का । हमेशा उसके जुलूस निकलते थे और इस तरह की अनैतिकतापूर्ण बातें कहीं जाती थीं और पुतले जलाये जाते थे । बाजार के बीच में मिनिस्टरों और हमारे प्राइम मिनिस्टर तक के पुतले जलाये जाते थे....

श्री भैरोंसिंह : प्राइम मिनिस्टर के पुतले कभी नहीं जलाये गये ।

श्री किशनसिंह : बराबर जलाया गया, सीकर में....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! मुख्य मंत्रीजी से संबंध है ।

श्री किशनसिंह : तो इस तरह की बातें होती रहीं और पुलिस देखती रही और फिर उनसे कहा कि इस तरह का काम मत करो, मान जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि कैसे मान–जावें । फतहपुर में हमने देखा कि १५०–२०० आदमी फतहपुर के बीड की ओर जा रहे थे। उनके हाथ में फर्से, लाठियें और बरछे थे और जा रहे थे जोड में सत्याग्रह करने के लिये । जब एस० डी० ओ०साहब को मालूम हुआ तो वे वहां गये और उन्होंने उनसे पूछा कि चाहते क्या हो यह बता दो ! इस तरह से लाठियें लेकर हमला करने जाते हैं उनको पहले भी समझाया गया और बाद में भी समझाया गया, उनसे कहा गया कि सत्याग्रह की बात कहते हो या तो लाठियें रख दें नहीं तो वैसी बात कह दो । दोनों में से एक बात पर आजाओ । तब उन्होंने लाठियें रखीं । जिसको गिरफ्तार करना था उसको बताया गया कि तुम को गिरफ्तार करते हैं तो कहा कि वह गिरफ्तार नहीं होगा । अंत में उसको लौरी में बैठाया गया तो कुछ आदमी लपके और उसको खोंस लिया । पुलिस ने देखा कि यह तो ठीक नहीं रहेगा तब उसको दुबारा गिरफ्तार किया गया। इस तरह का जहां झगड़ा होता है और समझाने पर नहीं मानते उनके बारे में आप कहते हैं कि उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिये । अगर नहीं होना चाहिये तो आप रास्ता बताओ दूसरा । ये चाहते हैं कि स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिये स्वच्छंदता देनी चाहिये ।

विद्यार्थियों का झगड़ा चला तब उनको समझाया गया, लेकिन उनके संचालक कैसे मानते । संचालक लोग चाहते हैं कि आज किसी तरह से गवर्नमेंट की इन्सल्ट हो और हर तरह से गवर्नमेन्ट बदनाम हो, तो वे लोग कैसे मानें । इसलिये विद्यार्थियों ने समझाने से नहीं माना । उन लोगों ने कइयों को पीटा । एक मास्टर को छात्रावास में बुलाया गया किसी का नाम लेकर कि अमुक आदमी बुला रहा है । उनको बुलाकर वहां बैठाया गया और पीछे से उन पर कंबल डालदी गई और विद्यार्थियों ने उसको पीटा । उनके उठने के बाद विद्यार्थी भाग गये । उसने कहा कि मैं विद्यार्थियों पर केस चलाऊंगा....

श्री भैरोंसिंह : आप मौजूद थे क्या वहां पर ?

श्री किशनसिंह : मैं मौजूद नहीं था लेकिन आप जरूर होंगे ।

तो इस तरह के जब कांड हों तो उनके समझाने की बात कहने पर भी नहीं समझते । यहां आकर हम कहते हैं कि गवर्नमेन्ट कानून काम में लाती है वह नहीं लाना चाहिये और स्वच्छंदता होनी चाहिये, तो मैं उसका विरोध करता हूं । इस तरह के एजीटेशन होते हैं उनको दबाने के लिये जिस कानून का प्रयोग हो वह करना पड़ेगा । आज के जमाने में हम नहीं समझते हैं कि किस तरह का एजीटेशन होना चाहिए, एजीटेशन किये भी हैं लेकिन ५-४ साल से देखा है कि जिस तरह से जलूस निकाले जाते हैं उनमें गालियें निकाली जाती हैं, क्या वे ठीक हैं ? मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि १५ मिनिट का समय ही दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी ५ ही मिनिट हुए हैं । लेकिन यदि समय बचेगा तो दूसरों के काम आयेगा ।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मित्रों ने इस सदन के सामने रखा है निस्संदेह उसमें एक गर्भ सन्धि है। गर्भ सन्धि से तात्पर्य इतना है कि भारत आजाद होने के बाद जो जन आन्दोलन की प्रवृत्ति और वृद्धि भारत में बढ़ी उसके प्रति एक सम्पूर्ण रूप से स्वच्छंदता का आदर और प्यार व्यक्त किया जाय। लेकिन इस संकल्प को रखते समय वे इस बात को भूल गये कि एक राज्य के संचालन में जहां जन आन्दोलन का संपर्क और जन-तंत्रीय ढांचे और प्रक्रिया पर असर होना चाहिये वहां निस्संदेह जन आन्दोलन के नाम पर की जानेवाली हिंसात्मक प्रवृत्तियों का निश्चितरूप से दमन किया जाना चाहिये।

केरल की बात कही गई। केरल में दूसरे ढंग का जनतंत्रीय प्रयोग हो रहा है, उससे भारत का अधिकतम हिस्सा सहमत नहीं है लेकिन यह मानते हैं कि नये प्रकार का राजनैतिक जनतंत्र का प्रयोग प्रारम्भ हुआ है और उस ओर भारत का प्रत्येक उत्तरदायी नागरिक संदेह से देख रहा है। लेकिन केरल में जो प्रयोग किया जा रहा है उसको आज राजस्थान में लागू करें तो मैं यह मानता हूं कि मेरे माननीय मित्र जो सदन में हैं आजादी में इस बात का निर्णय या इरादा करके नहीं चल सकते। केरल के बजाय दूसरे जनतंत्र के प्रयोग के बारे में भी संदेह से देखना होगा। केरल के प्रयोग से जो प्रेरणा मिलती है उससे मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूं और यदि आप सहमत हैं तो आपकी सहमति से मुझे ऐतराज नहीं है। लेकिन हम आज के संकल्प द्वारा राजस्थान की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि जब हम हिंसात्मक प्रयत्नों के द्वारा सत्याग्रह करते हैं और दुर्भि-संधियों को अपनाते हैं तो निर्ममता के साथ नहीं बल्कि संयम के साथ उसे दबाना चाहिये और जो कानून है उनका सबलता के साथ प्रयोग करना चाहिये। मेरे मित्र कहेंगे कि जन आन्दोलन के विरूद्ध कोई बात कह रहे हैं; मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि जन आन्दोलन के विरुद्ध कोई बात नही कह रहा हूं। सही तो यह है कि जिस जन आन्दोलन से आपका जन्म हुआ है, उसी जन आन्दोलन से, जन प्रवृत्तियों से, जन कार्यों से हम लोगों का भी जन्म हुआ है, इसलिए यह बात दोनों ओर सामान्य है। उपाध्यक्ष महोदय, हमें सोचना पड़ेगा कि जन आन्दोलन से हमारा मतलब क्या है ? क्या हम हिंसात्मक वृत्तियों से कार्य करने वाले जन समुदाय की जमावट को जन आन्दोलन कह सकते हैं ? जन आन्दोलन, मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, हमें उसे कहना चाहिए, जिसके पीछे कोई बात हो, कोई मकसद हो, कोई मांग हो और जिसकी व्यवस्था इस तरीके की हो, कि हमारे राष्ट्र ने संविधान के जरिये जो एक सक्रिय अहिंसात्मक और निष्पक्ष जन आन्दोलन के आधारभूत सिद्धान्त को स्वीकार किया है उससे मिलता हो। भारतीय संविधान में जन आन्दोलन के लिए, जन संगठन के लिए, जन-वाणी के लिए, जन प्रवृत्ति के लिए आजादी हमें दी गई है, लेकिन इस आजादी को हम यदि जन उच्छृंखलता के रूप में देखना चाहें तो मैं मानता हूं कि हम भारतीय संविधान में दिये गये अधिकारों के प्रति न्याय नहीं करेंगे, आदर नहीं करेंगे। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र को इस बात की स्मृति दिला दूं, कांग्रेस के अलावा हमारे देश में एक दूसरी पार्टी की हुकूमत हुई, उसके समक्ष कोई ऐसा प्रसंग आया और उस

(श्री जनार्दनराय नागर)

प्रसंग को लेकर, उस बात को लेकर उस राज्य के अन्दर जब हिंसात्मक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई, तो उस आन्दोलन का सरकार को दमन करना पड़ा। इस प्रश्न को लेकर वहां की राजनैतिक पार्टी में विवाद खड़ा हुआ, उसका जो परिणाम हुआ, उससे हमारा सम्बन्ध नहीं है लेकिन प्रशासन और जन समाज के संचालन की जिम्मेदारी सरकार की है, जो जनता का विश्वास लेकर राज्य का संचालन करती है और जनता के भरण-पोषण, उनकी प्रवृत्तियों के बारे में कार्यवाही करती है। इसलिए जब ऐसी स्थिति आती है कि सरकारी दफ्तरों में आग लगाने का प्रयत्न हो, सरकारी कर्मचारियों को मारने–पीटने का प्रयत्न हो, जब कि राहगीरों के साथ इस प्रकार की कार्यवाही की जाय जिससे उनके व्यक्तित्व का दमन हो, और हिंसात्मक कार्यवाही, तोड़ फोड़ बढ़ जाय, तब इन धाराओं को अमल में लाना चाहिए, यह हमें निश्चय करना है। मैं यह मानता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, यदि सरकार जन आन्दोलन के प्रति, जन विवेक के प्रति इन धाराओं का उपयोग नहीं करती है, तो सरकार का जो अपना कर्त्तव्य है, कि जो अवसर हो, स्थिति हो, उस पर काबू करे तो वह पूरा नहीं हो सकेगा। एक बात बड़ी मजेदार कही गई, उपाध्यक्ष महोदय, कि अंग्रेजों के जमाने में इस प्रकार की धाराओं का उपयोग कम होता था, या नहीं होता था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में स्वतंत्रता आन्दोलन का जितना दमन हुआ, उतना किसी आन्दोलन का दमन नहीं हुआ। मेरे सहयोगी उसके भुक्तभोगी हैं। आज १० वर्ष के बाद जनतंत्रीय प्रणाली से बनी सरकार के प्रति दोषारोपण करना कि इस प्रकार की धाराओं का प्रयोग करने का सरकार का निश्चित संकल्प है, मैं कहना चाहूंगा, हम इधर जन आन्दोलन के प्रति निश्चित रूप से, स्पष्टता के साथ चिन्ता करते हैं और उधर जनता की प्रतिक्रिया को, सरकार को बिना बताये हुए, चलाते हैं। सरकार जनता की राय से बनी है, सरकार जनता की राय का आदर करती है; जनता की राय से प्रभावित हो अपने में संशोधन और परिवर्तन करती है। सरकार के कुछ उसूल होते हैं, उन उसूलों को व्यवहार में लाने का प्रश्न खड़ा होता है। केरल के अन्दर प्रयोग किया जा रहा है कि जन आन्दोलन में पुलिस कुछ नहीं करेगी। हमें देखना यह है कि व्यापक तोड़-फोड़ होती है, उस वक्त सरकार क्या प्रतिक्रिया करती है? मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति होने पर, ऐसा प्रसंग आने पर केरल सरकार निश्चित रूप से यही प्रतिक्रिया करेगी। मैं केरल गया नहीं हूं और न उस सरकार के काम काज का मुझे अनुभव है, लेकिन समाचार पत्रों में उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है, उससे ज्ञात होता है कि वह एक प्रयोग की अवस्था में है। हम राजस्थान में आज कह दें कि १०७ और १४४ धाराएं हिंसात्मक प्रवृत्तियां करने वाले जन हजूमों पर सरकार प्रयोग नहीं करेगी और सरकार इन धाराओं का प्रयोग न करे, तो परिणाम क्या होगा? मैं माननीय सदस्य को सहानुभूति के साथ कहना चाहता हूं कि जब वे हिंसात्मक प्रवृत्तियों के इर्द-गिर्द आयेंगे, तो उन्हें, उपाध्यक्ष महोदय, इन धाराओं के प्रयोग के लिए, मैं समझता हूं, सरकार के पास जाना पड़ेगा। आज हमारा रात दिन का अनुभव है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति सामाजिक

(श्री जनार्दनराय नागर)

श्रेणियों में बढ़ती जा रही है और इस बारे में हमें जिम्मेदारी के साथ, गम्भीरता से सोचना पड़ेगा। विद्यार्थी आन्दोलन का जिक्र किया गया। सिद्धान्तों का मतभेद होते हुए भी, राज्य सरकार और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण में मतभेद होने के कारण जो आन्दोलन पैदा हुआ, फीस वृद्धि के कारण यह आन्दोलन हुआ, मैं मानता हूं कि सरकार ने जो फीस वृद्धि की, वह ठीक है। लेकिन परिस्थितियों के वश राज्य सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों में एक समझौता हुआ, उसके विवरण में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरी निश्चित मान्यता है कि राज्य सरकार द्वारा जो फीस बढ़ाई गई, उचित तरीके से बढ़ाई गई और वे बढ़ानी चाहिए थीं। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन आपने देखा होगा कि विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ, उसका विस्तार हुआ, इस विस्तार के कारण जो विभिन्न परिस्थितियां हमारे समक्ष आई, उनसे ज्ञात होता था कि उसमें हिंसात्मक तत्व था। इस तत्व के इस सदन में बैठे हुए सदस्य उत्तरदायित्व से इन्कार नहीं कर सकते। परन्तु हमको फैसला करना है कि विद्यार्थी फीस वृद्धि का विरोध करते हैं और साथ साथ जो तत्व इस संगठन का विस्तार करते चलते हैं, उनसे हिंसात्मक प्रवृत्तियां करवाते हैं, उनका दमन न किया जाय, विद्यार्थी फीस वृद्धि का विरोध करते हैं, यह उनका हक था, उन्होंने अपने हक का उपयोग करके प्रदर्शन किया, उन्होंने सरकार से बातचीत की, सरकार ने उनसे बातचीत की, लेकिन उनके पीछे ऐसे तत्व थे, जिन्हें असम्मानित तत्व कहना चाहिए, वे सरकार के फीस वृद्धि के कदम को लेकर एक प्रकार की राजनैतिक स्थिति इस राजस्थान में पैदा करना चाहते थे। उन तत्वों के प्रति हम जागरुक हैं। हमें मालूम है कि राजस्थान में जो आन्दोलन होते हैं, तो उनके साथ, उनके पीछे या अगल-बगल ऐसे तत्व लग जाते हैं, जो निश्चित रूप से राजस्थान में उथल-पुथल करना चाहते हैं। मेरा कहना है कि जन आन्दोलन की भावना के हक में रहते हुए, जनता से सरकार के निरन्तर बढ़ते हुए सम्पर्क को स्वीकार करते हुए, मेरी मान्यता है कि इस प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्तियों का, तोड़ फोड़ की प्रवृत्तियों का इन धाराओं के उपयोग से, इन जरियों से निश्चित रूप से दमन करें। हम यह नहीं कहते कि निर्मम दमन हो, निश्चित रूप से विधायक दमन करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कोई भी प्रशासन नहीं चला सकता यदि हिंसात्मक प्रवृत्तियों को खुला मार्ग दे दें। आज हमें सम्पूर्ण भारत की दृष्टि से फैसला करना है कि आया जनता में जो हिंसात्मक प्रवृत्तियां हैं, उनको रचनात्मक तरीके से, विधायक तरीके से अचल और अशक्त करें। एक अन्य विचार-धारा है, जो कहती है कि हिंसात्मक प्रतिक्रिया के जरिये, ऐसे संगठनों के जरिये समाज में इन्क्लाब लाना चाहिए। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष को महात्मा गांधी अपने नेतृत्व में हमेशा के लिए छोड़ गये हैं। भारत में संसार के सबसे बड़े जनतंत्र का प्रयोग हो रहा है, यही वजह है कि सारा संसार हमारी ओर आकर्षित दृष्टि से देख रहा है। संसार के बड़े बड़े नागरिक, राज्यवेत्ता, बड़े बड़े मनीषी और संचालक भारत में आते हैं, वे यहां के वातावरण को देख कर कहते हैं कि यहां मानव जाति की सभ्यता के इतिहास में नवीनतम प्रयोग हो रहा है। इसलिए हमें गम्भीरता के साथ सोचना पड़ेगा कि जहां हिंसात्मक प्रवृत्तियां हों, जहां पर तोड़ फोड़ हो,

(श्री जनार्दनराय नागर)

व्यक्ति या राष्ट्र की सम्पत्ति को खत्म करने का प्रयत्न हो, वहां सरकार का क्या कर्त्तव्य होगा? मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से राज्य सरकार ऐसी प्रवृत्ति का संयत दमन करेगी। अब यह सवाल उठाया जाता है कि व्यक्तिगत सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिए, राज्य की सम्पत्ति की रक्षा होनी चाहिये, हर एक के व्यक्तित्व का आदर होना चाहिए और हर एक व्यक्ति को न्याय पाने का हक होना चाहिए। मान लीजिये कि एक प्रकार का संगठन मांग करता है, कोई दूसरा संगठन पैदा हो सकता है, जो उस मांग के प्रति दूसरी राय रखता है। उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर का मेरा अनुभव है, विद्यार्थी आन्दोलन के जमाने में ऐसा वातावरण बन गया था कि लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का मौका नहीं आया। वहां ऐसा वातावरण बन गया कि जो निष्पक्ष होकर अपनी राय व्यक्त करते, वे अपनी राय व्यक्त करने से वन्चित रहे। जो मूल सवाल है, आज जन आन्दोलन के नाम पर कहना चाहते हैं, कि हिंसात्मक प्रवृत्तियों, ऐसे जन आन्दोलनों का दमन करने के लिए सरकार कार्यवाही न करे और सरकार इस बात को मान लेती है, तो मैं मानता हूं कि सरकार का अपनी जनता का भरण पोषण करने का मूलभूत कर्त्तव्य है, उससे पीछे हटती है। अगर केरल के माफिक राजस्थान में प्रयोग करना चाहते हैं, उसके लिऐ जरूरी है कि वह राह देखनी पड़ेगी जहां से आज केरल की सरकार को प्रेरणा मिलती है। उस देश में भी जमाना काफी बदल गया है। वहां अब जनमत का राज कार्यों में, इस दशा के विरुद्ध ग्रामीणों में रवैया है सम्पर्क रहा है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि इसके जरिये वे कोई कार्यवाही नहीं करें। मैं समझता हूं रूस की विचार धारा से जो प्रयोग हो रहा है, संगठन हो रहा है उनसे हम अब परिणामात्मक निर्णय लेकर चलें, यह स्थिति वहां नहीं है।

मैं मानता हूं कि पुलिस की जो शक्ति है उसका जनता की मांगों के संयोजन-नियोजन में उपयोग नहीं होना चाहिये, सिद्धान्ततः मैं यह मानकर चलता हूं, पर १० वर्षों में हमने नई अन्तरात्मा नहीं प्राप्त की है कि सामाजिक रचना के कामों में शान्ति से काम काज आज हम कर सकें। हमारे देश में इस बात का प्रयत्न हो रहा है, शान्ति से, निर्भीकता से, साहस से किसी भी समस्या पर विचार करने की कोशिश करें, फिर सदन में कोई कहे कि यहां तोड़ फोड़ की प्रवृत्ति से निर्णय किया जाना चाहिये तो वे माननीय सदस्य जिन्होंने कि यह संकल्प रखा है, वे भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष, आपके जरिये निवेदन है कि जन आन्दोलनों के प्रति अति विवेक का विश्वास प्रकट करके सरकार को कह दें कि आप पुलिस के द्वारा प्राप्त शक्ति का तोड़ फोड़ की प्रवृत्तियों को रोकने में प्रयोग न करें, तोड़ फोड़ की प्रवृत्तियों को सरकार खत्म नहीं करे तो यह अनुचित होगा। हमें हमेशा सरकार का इस मामले में विश्वास करना चाहिये कि सरकार संवेदना से, विवेक से पुलिस के द्वारा, दी गई शक्तियों का प्रयोग करेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से यह उचित नहीं मानता कि जनता की भीड़ पर लाठियां चलाई जांय, गोलियां चलाई जांय पर जिस ओर हम आज जा रहे हैं, उनको देखते हुए पुलिस को दी हुई शक्तियों का सरकार को उस समय उपयोग करना चाहिये जब कि सरकारी दफ्तरों में आग लगाने का प्रयास किया जा रहा हो, हमारे मुख्य मंत्री के व्यक्तित्व का

(श्री जनार्दनराय नागर)

हिंसात्मक रीति से अपमान किया जा रहा हो। चाहे कोई किसी भी विचार धारा को रखते हों पर जब राज्य के मुख्य मंत्री का हिंसात्मक रीति से अपमान करने का प्रयत्न किया जा रहा हो तो मैं नहीं समझता कि उस समय वे कहेंगे कि इसे रोकने के लिये पुलिस की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाय। अन्त में मैं यही कहूंगा कि एक ऐसा वातावरण अखबारों में पैदा करने के लिये यह संकल्प लाया गया है कि राजस्थान सरकार आज जन आन्दोलनों के प्रति कोई आदर नहीं रखती, पुलिस की शक्तियों के द्वारा जन आन्दोलनों का दमन करना चाहती है और इसके लिए विद्यार्थियों के आन्दोलन का उदाहरण दिया गया। फीस बढ़ाने के विरोध में वे साफ ओपोज़ कर सकते थे, पर बात यह है कि विद्यार्थियों को आगे करके अपना राजनैतिक मकसद पूरा करना चाहते थे, या राजस्थान में निश्चित रूप से तोड़ फोड़ करना चाहते थे, उनका राजस्थान सरकार ने पुलिस द्वारा प्राप्त शक्तियों से दमन किया। वह प्रक्रिया जनमत संगत है तो विवेक के साथ रखनी पड़ेगी। आप विद्यार्थियों की फीस बढ़ाने के विरोध में हैं तो साफ कहिये। हम फीस बढ़ाने के पक्षपाती थे तो हमने कहा कि फीस बढ़ानी चाहिये। विद्यार्थियों के साथ सरकार ने समझौता किया उसमें कई बातों में मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं·········

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सरकार ने दमन किया है, आप यह नहीं समझें कि जन आन्दोलनों का आदर करने वाले आप ही हैं, हम नहीं हैं। जन आन्दोलनों की शुरुआत, जनता को स्वतन्त्रता दिलाने की शुरुआत इधर से हुई है और उधर से जन आन्दोलनों के प्रति अति विवेक, अति विश्वास जैसा कि मौजूदा संकल्प में प्रकट किया गया है उसे हम स्वीकार नहीं कर सकते, इस तोड़ फोड़ को हम स्वीकार नहीं कर सकते, हम सत्य और अहिंसा के उसूलों को लेकर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि इस तरह की तोड़ फोड़ को सहन किया जाय, और रोका नहीं जाय। हमारी अन्तरात्मा साफ है, हमारी दृष्टि साफ है, आप कुछ भी कहें। आप कुछ ऐसे प्रसंग रखें, कुछ ऐसे प्रसंग जिनसे हम सबक सीख रहे हैं, उनको हम स्वीकार करके चलते हैं, हमारी व्यवहारिक दृष्टि बहुत साफ है। उन्हें जन आन्दोलनों के प्रति बौद्धिक निष्ठा नहीं, जनता केवल भाषणों से साथ नहीं आती, जनता को साथ में लेने के लिये जनता के साथ आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा और जनता का आदर तादात्म्यक वृत्ति से करेंगे। हमारा विश्वास है कि जनता हमारे साथ है, हम बहुमत में हैं और सरकार बहुमत की है।

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा और श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल के एक साथ बोलने खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल श्री अग्रवाल।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, अभी एक संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उस पर अपने विचार प्रकट करते हुए मावली से आये हुए माननीय सदस्य ने जो कुछ बातें सिद्धान्ततः संकल्प को स्वीकार करते हुए, परन्तु मन में न जाने किसी अनजान भय को महसूस करते हुए, इस संकल्प का विरोध करते हुए विचार प्रकट किये :

माननीय उपाध्यक्ष, जहां तक जन जीवन में हिंसा का प्रश्न है, जन आन्दोलनों में हिंसा-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

त्मक प्रवृत्तियों का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि हममें से कोई भी सदस्य और मेरी पार्टी और आज देश का हर एक सभ्य नागरिक जो देश को आगे ले जाना चाहता है, इसका समर्थन नहीं करेगा । उन्होंने दो चार उदाहरण दिये पर मूल प्रश्न हमारे सामने विचार के लिये है वह यह है कि जन आन्दोलनों के लिये, जब जनता सरकार के सामने अपने विचार रखना चाहे और उसके सभी मार्ग अवरुद्ध हो जायं तब अगर उस आन्दोलन को सत्याग्रह का रूप दिया जाय और सरकार उसकी सुनवाई नहीं करे तो क्या यह जरूरी है कि उसको दबाने के लिये धारा १४४ लागू की जाय ? मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जन आन्दोलनों को, सत्याग्रहों को उन्होंने प्रारम्भ किया, उन्होंने रूप रेखाएं डालीं और आज हम इस बात का आह्वान करते हैं कि अंग्रेजों के राज्य के अन्दर किया करते थे वही हम कर रहे हैं । माननीय उपाध्यक्ष, निराधार मिथ्या आरोप लगाने में आनन्द की बात नहीं होती, गत कुछ सालों की बातें इस बात की साक्षी हैं कि राजस्थान में जितने आन्दोलन हुए मैं समझता हूं, उनमें राजस्थान की सरकार ने जनता की भावना को सही रूप में समझने की कोशिश नहीं की, ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं । हो सकता है कि उनके हाथों में सत्ता है, गांधीजी की अहिंसा का नारा आज लगाते हैं, गांधीजी ने यह कभी नहीं सिखाया था कि राज्य के मुख्य मन्त्री के पास विद्यार्थी मिलने जाय और अपनी मागों को शान्तिपूर्ण ढंग से रखने जायं और मुख्य मंत्री उन्हें समय न दें । होना तो यह चाहिये था कि उनकी मांगों को सुनने के लिये, उनकी मांगों पर विचार करने के लिये हमारे राज्य के मुख्य मंत्री उनसे मिलते, उनकी मांगों को सुनते और मांगें पूछने के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो दो दिन का समय दे सकते थे, चार दिन का समय दे सकते थे, विद्यार्थियों से मिलने के लिए । लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटना बहुत पुरानी नही है........

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I rise on a point of order whether this is the point in issue which is going to be discussed ? Is it the resolution ?

श्री अर्जुनदास : Another point of order, Sir, यह बात उनको कड़वी लग रही है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : Hon'ble Member to continue his speech.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की परिस्थितियां आज राजस्थान में कोई नई उत्पन्न नहीं हुई । हमें याद है वह चार साल पुराना जयपुर का किस्सा । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जयपुर नगर का चार साल पुराना किस्सा निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर की चुनी हुई नगरपालिका ने जो चुंगी लगाई थी उस चुंगी को वापिस लेने के लिए जयपुर की जनता ने, जयपुर के लोगों ने अपनी आवाज बुलन्द की और कहा कि जयपुर की जनता पर चुंगी नहीं लगेगी । उसके सिलसिले में शहर में मीटिंगें हुईं और उस जयपुर नगरपालिका के ४० चुने हुए प्रतिनिधियों ने उस चुंगी कर को वापिस ले लिया । तो उसका क्या निष्कर्ष निकला, कि सरकार ने उस म्युनिसिपल्टी को भंग कर दिया । उस समय जयपुर की जनता में आन्दो-

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

लन जाग उठा और फिर क्या हुआ ? १३ दिन की जयपुर में हड़ताल हुई और उस हड़ताल ने कितना उग्र रूप धारण किया इसको सभी जानते हैं। वह हड़ताल हमारी सरकार से भी छिपी हुई नहीं है। उस १३ दिन की हड़ताल में क्या हालत हुई ? वह हड़ताल तो हो गई और इसी से सारी बातें खत्म हो जाती तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातें आज सदन के सामने नहीं आतीं और इस प्रकार का संकल्प लाने की आवश्यकता नहीं होती और राजस्थान सरकार दो साल के बाद अप्रैल, १९५५ को फिर एक अध्यादेश जारी करती है कि सेल्स टैक्स लागू करेंगे। तो उसके अनुसार सेल्स टैक्स लगाया गया। कानून जो लगता है उसको हमारी सरकार समझती नहीं है कि वह कैसे लागू होना चाहिए, किस रूप से लगना चाहिए, किस आधार पर लगना चाहिए, किन किन चीजों पर लगना चाहिए और किन किन सिद्धान्तों पर लगना चाहिए ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे उन बातों में जाने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की जनता के ऊपर बिक्री कर लागू हुआ और नगर में पुनः वह क्षुब्ध वातावरण उत्पन्न हो गया जिसके लिए कि कभी आशा नहीं की जा सकती थी। १३ दिन का बवण्डर फिर खड़ा हो गया और राजस्थान सरकार के सामने फिर समस्या आई कि आखिर इस कानून में ऐसी कौन सी खामी है ? तो जब इन बातों में सरकार गई तो उपाध्यक्ष महोदय, यह मालूम पड़ा कि इस सेल्स टैक्स का कानून जिन अधिकारियों ने बनाया है, वह बाहर से बुलाये गये एक्सपर्ट्स थे। जब सरकार और भी गहराई में गई तो मालूम हुआ कि इस कानून को बनाने वाले सेल्स टैक्स के एक्सपर्ट्स नहीं थे बल्कि इन्कम टैक्स के एक्सपर्ट्स थे। जनता के जीवन के साथ खेलने के बाद, चारों तरफ त्राहि त्राहि मचाने के बाद, लोगों को सीखचों में बन्द करने के बाद और जन आन्दोलन को शक्ति से कुचलने के बाद यह पता लगा कि यह गलती उन लोगों की थी क्योंकि वह सेल्स टैक्स के एक्सपर्ट्स नहीं थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यदि ऐसी हालत में जनता आन्दोलन करे, यदि ऐसी परिस्थिति के अन्दर जनता के लोग आवाज बुलन्द करें, ऐसी परिस्थिति के अन्दर जन-आन्दोलन हो तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सी बात हो सकती है जिसके लिए राजस्थान सरकार को फिर फिर धारा १४४ लगानी पड़ी। जनता के सत्याग्रह को दबाने के लिए, जनता की आवाज को दबाने के लिए धारा १४४ लगाई। लोगों को गिरफ्तार किया, उनको पीटा गया और जेलों की सींखचों के पीछे बन्द किया। जनता का आन्दोलन प्रबल हुआ, उसने और भी उग्र रूप लिया। आखिर सरकार को जनता के साथ समझौता करना पड़ा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह घटनायें कोई ५३ या ५५ की ही रही हों, ऐसी बात नहीं है। ताजी-ताजी घटनायें हैं जो कि हमारे सामने और भी विकट रूप और उग्र रूप लेकर आई हैं। मैं राजस्थान के बाकी नगरों का हवाला न देकर केवल राजस्थान की राजधानी का ही थोड़ा सा करुण दृश्य बताऊंगा। जहां तक जयपुर नगर का ताल्लुक है जयपुर के अन्दर जिन्होंने उस समय का दृश्य देखा होगा, जो माननीय सदस्य उन दिनों यहां जयपुर में उपस्थित होंगे, उन्होने वह दृश्य देखा होगा, जो अगस्त के महीने

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में आये होंगे उन्होंने वह दृश्य देखा होगा, ५, ६, ७ और ८ अगस्त का दिन देखा होगा। इन दिनों में १४४ धारा प्रोमलगेट की, मैं समझता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने वह दृश्य देखा होगा, हो सकता है वह सदस्य इस पार्टी के हों या उस पार्टी के हों। उन्होंने देखा होगा वह वातावरण जैसा कि आज से दस साल पहले अंग्रेजों के जमाने का वातावरण था, उस समय लोगों को अंग्रेजों का वह जमाना याद आया होगा जिस समय कि सन् १६४२ में आन्दोलन हुआ था। अंग्रेजों की सत्ता के खिलाफ देश ने आवाज बुलन्द की थी, जन जागृति आई थी, देश में चारों तरफ कुहराम मचा हुआ था; ठीक वैसा ही वातावरण उस अगस्त के महीने में जयपुर शहर में था। मैं समझता हूं कि जिस तरह की परिस्थिति सन् ४२ में हुई थी ठीक उसी प्रकार की परिस्थिति यहां जयपुर में थी। उस समय का वातावरण जो सन् ४२ में था और जयपुर में जो अगस्त महीने में हो रहा था उसको देखकर कोई भी माननीय सदस्य यह नहीं कह सकता कि उनमें कोई अन्तर हो सकता है। आज यह संकल्प इसीलिए आया है कि सरकार द्वारा मनचाहे धारा १४४ लागू कर दी जाती है। हमें पता है कि १४४ धारा जयपुर के अन्दर ३१ जुलाई को लागू हुई। बड़े आश्चर्य की बात है कि ३१ तारीख को धारा लगी। सरकारी रेकार्ड के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा इस प्रकार की पुष्टि की जा सकती है कि इस प्रकार से उस समय यह १४४ धारा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, ३० जुलाई तक जयपुर के अन्दर इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी जिसके कारण हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई कि ३१ जुलाई को धारा १४४ लगानी पड़ी। तारीख ३० जुलाई की रात के १२॥ बजे तक ऐसी कोई खास बात नहीं थी और ३१ जुलाई को यह धारा १४४ लगा दी जाती है और कहा गया कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई जिसके कारण यह धारा लगानी पड़ी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको बताऊं कि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी जिसके कारण कि यह धारा लगानी पड़ती। सिटी मजिस्ट्रेट को हुकम दिया। इस धारा को किस तरह लगाया गया, मैं आपको बताता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सिटी मजिस्ट्रेट ने जो आर्डर्स प्रोमलगेट किये उनके अन्दर जो इस धारा को लागू करने के लिए कारण देने चाहिए वह नहीं दिये। उसमें कहा गया, "some section of the students, with the air of political parties........" माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जहां तक हमारी जुडिशियरी का ताल्लुक है हमारे सिटी मजिस्ट्रेट को हक है कि कोई ऐसी परिस्थिति अगर आ जाय तो वह इस धारा का प्रयोग कर सकता है। मैं समझता हूं कि राजनैतिक पार्टी कोई गुण्डों की पार्टी नहीं होती है, वह कोई लुटेरों की पार्टी नहीं होती है और इसलिए केवल इस आधार पर क्योंकि विद्यार्थियों का जन-आन्दोलन प्रबल रूप धारण कर चुका है, हिंसात्मक कार्यवाहियां बढ़ती जा रही हैं, हाहाकार मच रहा है, शहर में कुहराम मच रहा है इसलिए जयपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने धारा १४४ को ३१ जुलाई से लागू कर दिया। यह चीज़ मुझे जयपुर के नागरिकों को बताने की आवश्यकता नहीं है, जो उस समय यहां उपस्थित होंगे, जो समाचार पत्रों को पढ़ते होंगे, उनको बताने की आवश्यता नहीं है। जयपुर का वातावरण जो ३० जुलाई तक शांत था उसी जयपुर के वातावरण

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में ३१ जुलाई की प्रातःकाल से गर्मी आ गई, जयपुर के बाजारों में कुहराम मच गया । पुलिस की लारियां पुलिस के नौजवान सिरों पर लोहे के टोप पहने हुए, बूट पहने हुए जयपुर में चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। उस समय कोई नहीं कह सकता कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है, टूरिस्ट्स का सेन्टर है। लोग समझते थे कि यहां पर पुलिस स्टेट हो गई, यहां पुलिस का राज्य हो गया। क्योंकि चारों तरफ पुलिस दिखाई देती थी। इस दौरान में एक दो दिन लग गए। हमने माननीय मुख्य मंत्री को निवेदन किया, उनसे ४ तारीख को एक शिष्ट मण्डल मिला। जहां तक फीस में वृद्धि का मतलब है, हो सकता है कि उसमें दो मत हों। परन्तु जहां तक १४४ धारा का मतलब है जयपुर के वातावरण में जो गर्मी आई, जयपुर के वातावरण में जो कटुता आई है वह धारा १४४ के कारण थी। उनसे इस बात के लिए कहा गया कि आप कम से कम इस धारा को तो हटाइये। इसका जवाब उन्होंने यह दिया कि हम धारा १४४ बदलेंगे लेकिन परिस्थिति इस प्रकार की निर्माण होनी चाहिए कि इस धारा को हटा सकें और सम्पूर्ण शहर में पूर्णतया शांति होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सारे उत्तर से ऐसा लगता था कि धारा १४४ उन्होंने ही लगाई है। सिटी मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई होना चाहिए कि परिस्थिति इस धारा के लगाने के अनुकूल चल रही है। लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी उत्तर देते हैं कि हम तो इसको उठाने के लिए तैयार हैं, माना कि उनके सेटिस्फेक्शन का सवाल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो इस प्रकार का उत्तर माननीय गृह मंत्री जी ने दिया वह संतोषजनक नहीं था। हमने ४ तारीख को आन्दोलन प्रारम्भ करने से पहले फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी से जाकर भेंट की और उनसे निवेदन किया कि आप फीस वृद्धि के बारे में कुछ भी निर्णय ले सकते हो, यह राजनैतिक पार्टी के लोग आपसे इस फीस वृद्धि के बारे में मिलने नहीं आये हैं, मगर हम यह कहने आये हैं कि धारा १४४ को हटा देनी चाहिए। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि समस्त राजनैतिक पार्टियों के कहने के बावजूद मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी लाचारी जाहिर की। उसका क्या कारण था? कारण तो मैं जानता हूं। लेकिन क्या हुआ, ५ तारीख को आन्दोलन हुआ। ५, ६, ७ और ८ तारीख को सत्याग्रह आन्दोलन जयपुर की सभी पार्टियों ने, जयपुर के सभी नागरिकों ने प्रारम्भ किया। चार दिन के अन्दर अनेक आदमी जेलों में गये, विद्यार्थियों को पकडा गया और इस प्रकार से लाठीचार्ज पांच तारीख को शुरू हो गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि उन घटनाओं की जब याद आती है तो एक बार तो सारा शरीर रोमांचित हो जाता है। उस समय को देखकर अंग्रेजों का जमाना याद आता है, जब कि अंग्रेज लोग, उस समय के आन्दोलन को कुचलने के लिए, जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ा जा रहा था, उन क्रूर और बर्बर हथियारों को काम में लेते थे। इसी प्रकार से उस रोज भी उस आन्दोलन को दबाने के लिए किया। उन्होंने जनता के ऊपर लाठी चार्ज किया। चाहे कोई दुकान में बैठा हो, चाहे कोई दूध लेने जा रहा हो, चाहे दही लेने जा रहा हो, चाहे कोई ऑफिस जा रहा हो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ, इतना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

ही नहीं लाठी चार्ज किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, बाहर से आने वाले और बाजारों में शाक-भाजी लाने के लिये जाने वाले लोगों पर भी लाठी चार्ज किया गया। जयपुर के प्रमुख बाजारों को उन दिनों देखा गया होता तो ऐसा लगता था कि जर्मनी ने रूस पर हमला कर दिया है, ऐसा दर्दनाक दृश्य जयपुर के प्रमुख बाजारों में दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि सरकार को पलटने के लिये बाहर से लोग आ गये। विद्यार्थियों के नेता आ गये जो सुखाड़िया जी की कुर्सी को पलट देंगे, ऐसा भयानक रूप उस समय इस आन्दोलन ने धारण कर रखा था। उस समय केवल लाठी चार्ज करके ही हमारी सरकार ने संन्तोष नहीं लिया, लोगों की हडि्डयां तोडी गईं, उनकी कमरों को तोडा गया और यहां तक कि पुलिस ने अपने बूटों से लोगों को मारा। उस समय का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखूं उपाध्यक्ष महोदय, एक मुनीश नाम का लड़का जो बी० ए० में पढ़ने वाला था उसको होस्पिटल में एडमिट किया गया, उसके लिए जो मेडिकल जुरिस्ट ने रिपोर्ट दी है उसको देखने का अवसर मुझे मिला, उस मेडिकल जुरिस्ट ने लिखा कि उस लड़के को जो चोट आयी है वह किसी पुलिस अधिकारी के बूट से आयी है अतः उस पुलिस अधिकारी का स्टेटमेन्ट लिया जाय। उसने बूट को सामने मारा जिसके कारण उस लड़के का २४ घंटे तक पेशाब बन्द रहा। इसी प्रकार कई लड़कों के पानी पीने के लिये मांगने पर उनको पीटा गया। धारा १४४ के अन्तर्गत राजस्थान सरकार ने लाठी चार्ज किया हो, यही बात नहीं, उतने में ही सन्तोष नहीं हुआ, अश्रु गैस का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। आज कहा यह जाता है कि आन्दोलन ने हिंसात्मक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया था, इसलिये सरकार को मजबूर होकर इन हथियारों का प्रयोग करना पड़ा। इतना ही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, कमरों में बैठे हुए लोगों पर, खिड़कियों में बैठे हुए लोगों पर अश्रु गैस के सेल्स छोडे गये। पुलिस का यह कर्तव्य था कि वे अश्रु गैस के सेल्स उन पर छोडे जो आन्दोलन कर रहे थे, लेकिन यह नहीं हुआ उन्होंने घरों में बैठे हुए लोगों पर ये सेल्स छोडे। नतीजा उसका क्या हुआ? माननीय मंत्री महोदय भी इस बात को नहीं भूल सकते जब लोगों के घरों में सेल्स छोडे गये। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं यह जो सेल मैं लाया हूं वह लोगों के घरों से बरामद किया गया है, तीसरे मन्जिल पर बैठे हुए लोगों पर छोड़ा गया और उससे होता क्या है उस घर में आग लग जाती है जिसके फोटोज़ भी मैं अपने साथ लाया हूं। उस समय एक घटना होती है, एक १२ साल का लडका अपनी बहिन से मिलने आया हुआ था जो पास ही खड़ा हुआ था। आस पास के लोगों पर लाठी चार्ज किया गया और अश्रु गैस के सेल्स भी छोडे गये, उस सेल में से एक सेल जाकर उस लड़के के आंख पर लगा उसकी एक आंख फूट गई, लेकिन राजस्थान सरकार ने आज तक उसको मुआवजा नहीं दिया। यही गनीमत रही कि उस लड़के की जान बच गयी..

श्री उपाध्यक्ष : आपके पास दर असल सेल है क्या ?

श्री सतीशचंद अग्रवाल : यह सेल वही है जो जाकर उस घर में गिरा था। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने धारा १४४ का सहारा लेकर, धारा १४४ का कवच पहन कर जयपुर जन के जीवन से खिलवाड़ करने की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कोशिश उन अगस्त के दिनों में की । वह दिन भुलाया नहीं जा सकता । उस समय लोगों का कारोबार ठप्प हो रहा था, लोग जो भी समझौता करने के लिए जाते थे उनसे बात तक नहीं की जाती थी । मुझे अच्छी तरह से याद है कि अंग्रेजों के जमाने में भी यही बातें हुआ करती थीं, आज कहा यह जाता है कि हिंसात्मक कार्यवाही होने का डर था। क्या राजस्थान सरकार को यह डर था कि विद्यार्थी जो आन्दोलन कर रहे हैं, वह हिंसात्मक है ? जिस समय कांग्रेसी आन्दोलन करते थे उस समय भी अंग्रेज लोग यह कहा करते थे कि कांग्रेसी लोग हिंसात्मक आन्दोलन करने पर उतारू हैं । उस समय महात्मा गांधी इस प्रकार का वक्तव्य निकालते थे कि हमारा उन हिंसात्मक कार्यवाहियों से कोई संबन्ध नहीं । लेकिन जहां तक जन आन्दोलन का संबन्ध है हम कभी भी हिंसात्मक कार्यवाहियों का समर्थन नही करेंगे, लेकिन साथ में यह भी है कि राजस्थान सरकार ने धारा १४४ के अन्तर्गत जो जन आन्दोलन को कुचलने की कोशिश की है उस संबन्ध में मेरा निवेदन है कि इस प्रकार हरेक जन आन्दोलन पर इस प्रकार धारा १४४ का प्रहार कर उसको कुचलने की जो प्रवृत्ति गवर्नमेन्ट अपना रही है वह कतई न्याय संगत नहीं कही जा सकती । इसलिये जो संकल्प आया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जन आन्दोलन पर लागू होने वाली इस धारा १४४ के लिये जो संकल्प रखा गया है उसको पारित करें ।

श्री बृजमोहनलाल शर्मा (ब्यावर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो बहस चल रही है उससे मुझे ऐसा मालूम होता है कि हम संकल्प जो प्रस्तुत किया गया है उसके विषय से बिल्कुल दूर जा रहे हैं, मालूम ऐसा हो रहा था कि सदन में जन आन्दोलन के नाम पर विद्यार्थी आन्दोलन की चर्चा हो रही है । अगर माननीय सदस्यों को विद्यार्थी आन्दोलन के बारे में ही चर्चा करनी थी तो नियमित ढंग से दूसरा संकल्प इस विषय का ला सकते थे । रूल्स ऑफ प्रोसीजर में उसके लिये प्रोवीज़न था । लेकिन यह न करके जो बहस चल रही थी उससे ऐसा पता होने लगा कि प्रस्ताव की या संकल्प की जो भाषा है वह इस प्रकार है :

'इस सदन की सम्मति है कि सरकार, जनता द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन के समय केवल बातचीत, समझौता, बीच बचाव अथवा पंच फैसले से काम ले और जाब्ता फौजदारी कानून की धारायें १०७ व १४४ का प्रयोग न करे ।'

सदस्य लोग, जो बोलने वाले थे और जो विरोधी पक्ष वाले हैं उन्होंने कहा कि जाब्ता फौजदारी की दफा १०७ व १४४ का प्रयोग उस स्थान पर न किया जाय जहां पर जन आन्दोलन होता हो । इसमें बात यह है कि धारा १०७ व १४४ का प्रयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहां किसी विशेष परिस्थिति का निर्माण हो गया हो, उसको रोकने के लिये प्रिवेन्टिव मेज़र के तौर पर इस क्लॉज़ का प्रयोग किया जाता है, जहां शान्ति भंग होने का अंदेशा हो वहां इसका प्रयोग होता है । क्या माननीय सदस्य, जो प्रस्तावक हैं यह चाहते हैं कि ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा हो जाय, शान्ति भंग होने का डर हो, उस पर भी किसी प्रकार की कार्यवाही न

(श्री बृजमोहनलाल शर्मा)

की जाय ! मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन कर दूं कि यह धारा सरकार नहीं लगाती यह तो जो जिलाधीश होते हैं जो एस० डी० एम० होते हैं उनके द्वारा यह लगायी जाती है। वे प्रीवेन्टिव मेज़र्स लेने के लिये इस धारा का प्रयोग करते हैं। आप यदि यह चाहते हैं कि इस प्रकार की धाराएं न लगें, आप यह सोचते हैं कि जनता इस धारा को नहीं चाहती तो इसके लिये आपके पास मौके हैं। आप प्रचार करके जनता का समर्थन प्राप्त कर सकते हैं। अभी साल भर हुए चुनाव हुए उसमें आप लोगों को रखना चाहिये था और जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहिये था। यह होता भी है जो काम किया जाता है वह जनता के सामने रखते हैं चुनाव के दिनों में और जनता उन कामों को देख कर ही अपना मत देती है। कोई भी पार्टी उस समय चूकती नहीं है, सब बातें कहीं जाती हैं। लेकिन जनता जिनकी बातों को ठीक समझती है उन्हीं को अपना मत देती है। आप हर काम को जन आन्दोलन का नाम देकर धाराएं १०७ व १४४ का प्रयोग न किया जाय, इस बात की वकालात करते हैं। अगर मान लीजिये सरकार ने किसी प्रकार के इन्स्ट्रक्शन निकाल दिये उनको अगर क्रियान्वित नहीं किया जाता है तो सरकार के पास ऐसा कोई हथियार तो होना ही चाहिये जिसके द्वारा वह उन आदेशों को क्रियान्वित करा सके। आज, मान लीजिये, किसी व्यक्ति को किसी भी रास्ते से जाने का अधिकार है अगर उसको उस रास्ते से जाने से कोई रोकता है और वह एस० डी० ओ० के पास आवेदन करता है कि मुझे फलां फलां लोग उस रास्ते से जाने से मना करते हैं, अगर सरकार की तरफ से एस० डी० ओ० काम नहीं करता है, एक नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं उनका उपयोग यदि कोई नहीं करने देता है तो एस० डी० ओ० का कर्तव्य है कि उसके जो नागरिक अधिकार हैं उसको प्राप्त करने दे।

श्री उपाध्यक्ष : एस० डी० ओ० नहीं, एस० डी० एम० होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: S D.O. has no scope in the Criminal Procedure, it is S. D. M.

श्री बृजमोहनलाल : (जारी) एस. डी. एम. हो सकता है। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

श्री अर्जुनदास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच चार सालों से वे प्रैक्टिस करना भूल गये हैं, इसलिये उनको मालूम नहीं एस. डी. ओ. और एस. डी. एम. क्या होते हैं।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : No direct hint.

(विराम)

You were preaching sermons before I could occupy this chair.

श्री अर्जुनदास : वे पढ़ रहे थे क्या ?

श्री बृजमोहनलाल : (जारी) तो मैं बताना चाहता था कि यदि उस आदमी ने ऐसी परिस्थिति में कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग का हवाला देकर दरख्वास्त दी तो इससे प्रशासन नहीं चल सकेगा।

(श्री बृजमोहनलाल)

इसकी दूसरी परिस्थिति और है। संविधान में इस क्रिमिनल प्रोसिजर की धाराएं हैं और उस संविधान के द्वारा असेम्बली को और पार्लियामेन्ट को अधिकार है कि वे उनके अन्तर्गत रहकर कोई कानून बनावें। उनके बाहर जाकर कोई कानून वे नहीं बना सकते।

कहा गया कि केरल सरकार ने इस प्रकार का आदेश दिया है। यह सही हो सकता है कि ऐसे अवसर आने पर पंच फैसले द्वारा, आपसी बातचीत द्वारा कोई हल निकाल लिया जावे। यह तरीका, तरीके के तौर पर सही है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं, अगर बिना इन धाराओं का प्रयोग किये काम निकालने की स्थिति रहती है तो बहुत अच्छा पर इसके माने यह नहीं कि हिंसा का अवसर आने पर और, और कोई रास्ता न रहने पर भी इन धाराओं का प्रयोग न किया जाय। इससे अधिक नुकसान हो सकता है।

फिर जन आन्दोलन की भी क्या परिभाषा होगी। यह किसानों की तरफ से भी हो सकता है, इस्तमुरारदारों की ओर से भी हो सकता है, पूंजीपतियों और कम्युनिस्टों की ओर से भी हो सकता है तो ये सभी भी तो जनता के ही हिस्से हैं, उसी परिभाषा में आते हैं। अब आप नहीं कह सकते कि कौनसा आन्दोलन जन आन्दोलन है और कौनसा नहीं। यह इतना वेग शब्द हैं कि मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसे, जिस रूप में यह प्रस्ताव है, यहां उपस्थित किये जाने की इजाजत ही नहीं मिलनी चाहिये थी। अतः मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी जो भाषा है, इसके जो शब्द हैं उनसे बाहर बहस को नहीं जाने दें। फिर प्रिवेन्टिव मेज़र्स से क्या आपका यह मतलब है कि एक आदमी को हिंसा करने की इजाजत होनी चाहिये और दूसरा आदमी खड़ा रहे। तो श्रीमान् यह आश्चर्यजनक चीज होगी। श्रीमान् को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिये।

मावली से आने वाले मेरे माननीय सदस्य ने कहा था। मैं तो कह सकता हूं कि यदि भारतवर्ष को किसी दूसरे देश से लड़ना पड़ा, ऐसी स्थिति हो सकती है और तब इस सदन की तरफ से या कुछ सदन के सदस्यों की तरफ से यह दलील दी जावे कि हम युद्ध न करें और वहां भी शान्ति से काम लें, गांधीजी के उपदेशों की हमें दुहाई दी जावे तो इससे हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिये। हमें इन स्थितियों के लिये भी तैयार रहना चाहिये। परमात्मा न करे वैसा युद्ध का समय आए। पर यदि आए तो हमें इन दलीलों से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है।

तो श्रीमान्, मैं कह रहा था कि अगर उनका मतलब यह हो कि प्रिवेन्टिव मेज़र्स नहीं लेने चाहिये तो यह कोई भी सरकार, आज कांग्रेस की है, कल किसी और की आ सकती है, स्वीकार नहीं कर सकती। ये मेज़र्स तो उसे आवश्यक परिस्थितियों में लेने ही पड़ेंगे।

अब जन आन्दोलन को भी अगर आप डिफाइन करना चाहें तो यह भी आसान नहीं है। कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाया गया आन्दोलन होगा, कम्युनिस्टों द्वारा या जनसंघ द्वारा चलाया जाने वाला आन्दोलन जन आन्दोलन गिना जावेगा, यह आप डिफाइन नहीं कर सकते। इस्तमुरारदारों द्वारा और पूंजीपतियों की तरफ से भी आन्दोलन हो सकते हैं और उनको आप जन आन्दोलन

(श्री बृजमोहनलाल)

नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। वे भी जनता के एक अंग हैं, भारत के नागरिक हैं। फिर आप यह भी डिफाइन नहीं कर सकते कि इतने हजार आदमी जो आन्दोलन चलावें वह जन आन्दोलन गिना जावेगा, दो हजार, दस हजार या बीस हजार आदमी चलावे वह जन आन्दोलन गिना जावेगा। एक हजार से कम वालों के आन्दोलन को जन आन्दोलन नहीं गिना जावेगा। दो आदमी भी आन्दोलन खड़ा कर सकते हैं। तो यह भी आप नहीं कर सकते।

फिर श्रीमान् मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जहां तक, जो शब्द इस प्रस्ताव के, सदन के सामने हैं वहीं तक माननीय सदस्यों को कन्फाइन रक्खा जावे। हमें शब्दों के अनुसार चलना होगा।

इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोवजी (बांसवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संकल्प सदन के सामने माननीय सदस्य ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

पुलिस हमारे जान माल और देश की रक्षा के लिये है। देश पर या हमारे जान माल पर ऐसी कोई असाधारण स्थिति में हमला हो जावे तो उस हालत में इस क्लॉज़ १४४ और १०७ के अधिकार पुलिस को दिये गये हैं, न कि किन्हीं जन आन्दोलनों को कुचलने के लिये।

अंग्रेजों के जमाने में पुलिस इन धाराओं को हर किसी के साथ लागू करके लोगों को परेशान किया करती थी। पर आज आजादी मिलने के बाद हर इन्सान को बराबर का हक मिला है, बराबर की सुरक्षा की गारन्टी मिली है तो ऐसी स्थिति में अब पुलिस को ये अधिकार नहीं दिये जाने चाहिये कि वह उसी तरह अब भी लोगों को परेशान करती रहे।

अब कई समस्याएं देश के सामने हैं, महंगाई की समस्या है, टैक्सों की समस्या है, विद्यार्थियों की समस्या है, मकानों की समस्या है, लगान की समस्या है और इनके बारे में सरकार की जो बद-इन्तजामी है उसके विरोध में अगर जनता महात्मा गांधी के अहिंसात्मक रास्ते को अपना कर उसी रास्ते कर चल कर शान्त तरीके से अपनी मांगें, अपना सुझाव सरकार के सामने रखने की कोशिश करे तो उसके माने यह नहीं कि वे कोई गुन्डे हों और उनको गुंडा मानकर आप धारा १४४ और १०७ लगाकर उनको परेशान करने लगें।

तो यह सरकार का फर्ज है कि अपनी व्यवस्था करे। यदि सरकार गफलत करे, लोगों की सुनवाई न करे, यदि जनता के सामने कठिनाइयां आ जायं तो कोई आन्दोलन करे, सत्याग्रह करे और जनता की मांगे पूरी कराने के लिए प्रतिनिधि आवें तो उसके क्या माने यह हैं कि उनको इस प्रकार सरकार १४४ धारा लगा कर जेलों में डाले और उनके साथ बुरी तरह मारपीट करके उनको परेशान करे? यह तो आजादी के माने नहीं हैं। आजादी के माने तो ये हैं कि जब देश आजाद हो गया है तो अगर किसान मजदूर मंहगाई के अकाल पड़ने के कारण भूखे मरते हैं और अगर ऐसे समय वे लोग सरकार के सामने अपनी समस्या रखते हैं और जब सरकार सुनवाई नहीं करती है तब तो एक ही रास्ता उनके सामने है कि सरकार के सामने आन्दो-

(श्री मोधजी)

लन करें। जब वे आन्दोलन करें तो उसको गैर कानून बना कर, असफल बनाना जनता के साथ एक अनुचित कार्यवाही करना है। प्रजातन्त्र के युग में इस प्रकार के कानून की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब यह भी कहा गया कि हम किसी वक्त पर, कभी ऐसा समय आ सकता है कि जब धारा १०७ और १४४ लगा कर जनता की सम्पत्ति की रक्षा करते हैं। लेकिन यह भी मौका आता है कि जब लोग अकाल ग्रस्त हों, लोग भूखे मर रहे हों और उस वक्त में सरकार नहीं सुनती है तो वे लोग आन्दोलन करके अपनी मांगे रखते हैं। इसीलिए, इस प्रकार की बातों के लिए माननीय सदस्य ने यह संकल्प रखा है कि ऐसी समस्या हो तो हम आपस में, पंच फैसले से, बातचीत द्वारा उसे सुलझा सकते हैं। इसमें ऐसी कोई गुन्जाइश नहीं है कि जिससे पुलिस द्वारा १४४ धारा लगा कर जनता को परेशान किया जाय और उनकी मांगों को मंजूर नहीं किया जाय।

अभी सत्तारूढ दल की ओर से कहा जा रहा था कि पुलिस के लिए ऐसे कानून का प्रोविज़न रखना जरूरी है जब कि किसी भी समय देश की रक्षा करने का सवाल उत्पन्न हो सकता है जब देश रक्षा का सवाल हो, देश और जनता की रक्षा का सवाल हो तो उस वक्त के लिए ऐसे कानूनों को रखना आवश्यक है। लेकिन जहां अकाल की स्थिति हो, एक महान संकट हो और सरकार ध्यान न दे फिर अगर जनता आन्दोलन करे, या मांग रखे, आज के इस प्रजातन्त्र के युग में कोई दल हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई मांग रखे चाहे वह मांग विद्यार्थियों की हो, चाहे किसान की हो, चाहे मजदूरों की हो, तो इस प्रकार के कानून लागू करके उसकी मांगों को मंजूर नहीं करना, समस्या को हल नहीं करना कहां तक न्यायोचित है? यह तो फिर प्रजातन्त्र का युग नहीं कहा जा सकता है क्योंकि प्रजातन्त्र के युग में तो सब को समान अधिकार हैं और संविधान द्वारा उनकी गारन्टी है। देश में चाहे किसान हो, मजदूर हो, कोई भी हो सभी की शिक्षा के लिए, मकानों के लिए पूरी व्यवस्था करना सरकार का एक दायित्व है। इस प्रकार की कोई मांग यदि सरकार के सामने आये और उस समय ऐसा कानून लागू करके अंग्रेजों के जमाने के अत्याचार आज के जमाने में किये जांय तो यह सही माने में प्रजातन्त्रीय युग नहीं कहा जा सकता है। कोई माननीय सदस्य, सत्तारूढ पार्टी के, ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रकार का प्रोवीज़न और कानून रखना जरूरी है। सरकार, द्वारा छोटे मोटे हिमायती इस कानून के कायम रख कर, देश के किसान और मजदूरों को, उनकी समस्या हल करने के लिए, उनको कुचला जाय और फिर यह कहें कि हम प्रजातन्त्र के हिमायती हैं, समाजवाद की व्यवस्था करने वाले हैं, हम सब को समान रूप से अधिकार देने की व्यवस्था कर रहे हैं यह कहां तक उचित है। इस प्रकार की दलीलें देकर किसी को कुचलना एक सही माने में हम सही नहीं मान सकते क्योंकि कोई दल जो इस प्रकार अत्याचार करने का हिमायती हो, इसमें, इस प्रजातन्त्र के युग में कायम नहीं रह सकता है।

मेरा यह कहना है कि इस प्रजातन्त्र के युग में १४४ व १०७ धारायें किसी व्यक्ति विशेष अथवा दल विशेष द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत मांगों को नामंजूर करने व उनमें एक प्रकार की अड़चन पैदा करने के लिये हैं।

(श्री मोधजी)

इसलिए मैं चाहता और मेरा यह निवेदन है कि हमारे विधान से ऐसी धारायें हटा कर सही व्यवस्था की जाय। क्या अहिंसात्मक कानून यह है कि प्रजातन्त्र के युग में हमारी जनता के ऊपर सरकार के हिमायती अन्धा-धुन्ध गोलियां चलायें, लाठियां चलायें ? यह कहां का न्याय है ?

श्री अर्जुनदास (अजमेर सिटी पश्चिम): Mr. Deputy Speaker, when I heard the Hon'ble Member from Beawar as also from Udaipur I thought that probably they were not trying to understand the difference between a Resolution and a Bill. If they had just tried to take a little pain, they would not have spoken in the manner in which they did. The difference is obvious. Even if we accept this resolution, section 144 is not going te be removed from the Statute Book at all, Section 144 shall continue to be there, whether we like it or not. But the way they were trying to argue, the way they were speaking manifests that probably they thought that this House was about to repeal section 144 from the Code of Criminal Procedure at all. But that is not the position. All that we suggest, the underlying idea, the idea underlying this Resolution is that whenever there is an agitation in the State of Raiasthan, Government should not jump to section 144 as they always do, They should try to take other measures, conciliation, mediation and all these things. But unfortunately what have seen here is that the Rajasthan Government does not surrender at the time when it is wise to surrender; it becomes wiser after the show is over. They first try to oppose, strike, beat and do all that was within their power. But when there is a little trouble, they immediately surrender like a lamb. I believe nobody would relish this charge, but this is what we have seen in this Rajasthan. If the thing is acceptable to you, why do you not accept it straightaway ? If the thing is debatable, why do you not accept some arbitrator or some other person who might intervene and bring about a compromise ? But unfortunately for us our Government's attitude is always to say 'No'. Whatever we suggest, whether it is good, bad or indifferent they hear it or not, understand it or not, they must say 'No'.

Probably their disctionary consists of only one word and that is 'No', Probably this Resolution also will meet the same face. The word be 'No'.

So, then, Sir, if any agitation takes place, if the Government thinks that it will have to surrender in one shape or the other, then the first course that they must adopt is that it should try to bring about conciliation, try to understand the thing, rather than jump

(श्री अर्जनदास)

to section 144 or 107 of the Criminal Procedure Code. As I understand Sir, in this State, section 144 is being used as if it were the devil's resort. Like a devil when it cannot find way, as a last weapon it uses section 144. I have myself been a victim of this section of the Hon'ble Members who used section 144 or 107, and it is only probably- I could not say whether this was why the Hon'ble Member from Beawar opposed this resolution, for ought we know he must have been a party to these atrocities while they were in Ajmer and he was in the Cabinet of the Ajmer Government...

श्री उपाध्यक्ष : You may refrain from personal aspersions.

श्री अर्जनदास : It is a matter of fact. He was a Member...

श्री उपाध्यक्ष : I expect you to be a little careful in the choice of the expressions.

श्री अर्जनदास : I think the expression was not unparliamentary. If you find me unparliamentary it is all right, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : You will continue.

श्री अर्जनदास : Thank you, Sir. because I really expected that I was going unparliamentary and because you did not show me any thing unparliamentary; thank you for that also, Sir.

So then, Sir, I was suggesting that the Government should not use Section 144 in this State more as a devil's resort rather than any thing also. We want the Government to be humane. We expect the Members that this section might be used as a last resort but not as a first resort. But unfortunately for us the Governmeot uses it is as the first resort rather than as the last resort. I believe, if the Hon'ble Memers...

श्री किशनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, आप बहुत बोलते है खुशी होती है, मगर हम लोगों को पता नहीं कि क्या बोलते हैं !

श्री अर्जनदास : मेरी भी बद किस्मती है कि उनकी बात मेरी समझ में नहीं आती हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

(विराम)

The Hon'ble Member should resume the debate.

श्री किशनसिंह : आप हिन्दी बोलना जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता हूं। माननीय सदस्य खुद जानते हैं कि वे किस तरह की हिन्दी बोलते हैं।

(श्री अर्जनदास से)

You will please resume teh debate.

श्री अर्जुनदास : हिन्दी में बोलूंगा तो दो-तीन गाली निकल जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : We will prefer your English version rather than Hindi.

श्री अर्जुनदास : So, then I was only suggesting that if we request the Hon'ble Member on this side, specially on this subject, after this amendment, whether they want section 144 to be used as the first resort or as the last resort, I believe they will be one with me, I believe all will agree with me that it should not be used in the first instance but in the last instance only. If so, please accept the resolution with a little modification. But if you do not accept this, it reflects that you say one thing and mean another thing; you mean one thing and do another thing. Please do not expose yourself.

(ट्रेज़री बेन्चेज़ की ओर से बाधा उपस्थित होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order! Order!! No interruption in the debate.

श्री अर्जुनदास : He is not unlively. I do relish it also, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : That is only if you stand for the debate.

श्री अर्जुनदास : So, then, Sir, I believe, if they oppose it, probably after this suggestion of mine, they would accept the Resolution with one or two minor verbal amendments. But unfortunately as I have already said their dictionary consists of one word and that is "No" and they use it because they do not know of any other word.

He possibly agreed with me that this should not be used as a first resort but as a last resort and he also agreed with me that whenever even as a last resort if it happens to be used, Government must take precaution to see that the actions are not so unhappy or when the people might have certain grievances, the Government should not do something for which it itself would be sorry for having done it, and if necessary Government would hold a Committee, that if any suggestion is made that a particular officer or official has exceeded in the performance of his illegalities, then probably the Geverment would also agree with us and hold a committee to find out what has happended and what has not happened. With these remarks I think the Members should agree with me and accept this Resolution, Sir.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : माननीय उपाध्यक्ष, श्री गिरधारीलालजी ने जो संशोधन रखा है उसका मैं विरोध करता हूं। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि हम ज्यादातर 'नो' कहना ही पसन्द करते हैं, लेकिन यह बात नहीं है। जब

(श्री सोहनलाल भटनागर)

हम 'नो' कहते हैं तो कभी कभी 'हां' भी कहते हैं। मेरे ख्याल से वे इस चीज़ से भली प्रकार से परिचित हैं।

दूसरी बात जो है वह यह है कि प्रजातन्त्र के नाम पर आज कई बातें यहां पर कही जाती हैं, प्रगति के नाम पर कही जाती हैं, जन आन्दोलन के नाम पर कही जाती हैं, लेकिन हमें वस्तुस्थिति को नहीं भूलना चाहिए।

सबसे पहले यह है कि हरेक जो समझदार व्यक्ति है वे मान सकते हैं कि कम से कम शक्ति का उपयोग किया जाय सरकार द्वारा। लेकिन जो संकल्प और जिन शब्दों से यह संकल्प आया है उनको हम देखें तो विदित होगा कि वह बहुत ही ऐसा है कि आज के युग में प्रभाव में नहीं लाया जा सकता है। सबसे पहली बात जन आन्दोलन की है। जन आन्दोलन किसे कहें और किसे न कहें यह सरकार के लिए सबसे बड़ी और सबसे वेग (vague) परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। एक व्यक्ति और कुछ वर्ग किसी चीज़ को जन आन्दोलन कह सकता है और सरकार और दूसरे समझदार व्यक्ति उसको जन-आन्दोलन नहीं कह सकते हैं। जैसा कि जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर जो ऑक्ट्रॉय लगाई गई उस वक्त की बात को उन्होंने एक जन-आन्दोलन के रूप में बताया, लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह कहना पसन्द नहीं करता कि जयपुर शहर के निवासियों के लिए किसानों और किसानों से उत्पन्न टैक्स को उनसे वसूल करके यहां की खुशहाली की जाय, यहां की सड़कों के लिए काम में लायी जायं, और किसान इस बात के लिए दबता रहे और उन पर नये नये टैक्स लगें और यहां के रहने वाले व्यक्ति टैक्स न दें। दूसरे शहरों में ऑक्ट्रॉय लगे हुए हैं जिसका कि मापदण्ड ज्यादा है। उससे ज्यादा ऑक्ट्रॉय यहां नहीं लगी है। जन आन्दोलन इसको नहीं कह सकते हैं जिससे कि कुछ व्यक्ति यह स्वरूप देदें और बाद में जन-आन्दोलन कहने लगें।

इसके साथ ही दूसरा उदाहरण और हो सकता है कि जब किसानों को राहत देने के लिए, किसानों पर जो भार बढ़ रहे हैं उनको उतारने के लिए प्रयत्न किया जाय और उसके बाद कुछ व्यक्ति जिनके कि हितों पर आघात पहुंचता है और उस आघात से बचने के लिए आन्दोलन खड़ा करते हैं और यह कहने लगते हैं कि यह जन-आन्दोलन है और उस जन-आन्दोलन को दबाने के लिए पुलिस की आवश्यकता को काम में न लाया जाय। मैं मानता हूं कि जितना हो सके सरकार को चाहिए कि शक्ति को काम में नहीं लेना चाहिए, दफा १०७ और १४४ को काम में न लाया जाय। आज हमारे यहा संविधान का राज्य है, तो जो संविधान के अन्दर अपने को हक दिये हुए हैं, जो स्वतन्त्रता दी हुई है उसके लिए हमें भरपूर प्रयत्न करना चाहिए। उसके बारे में मैं कहूंगा कि उसका दुरुपयोग किया जाता है। आज जन-आन्दोलन के नाम पर जो समझदार व्यक्ति हैं उनको परेशान किया जाता है। जो अपने काम धन्धे के अन्दर लगे हुए १०० में से ६० प्रतिशत, १०० में से ६५ प्रतिशत आदमी हैं वे अपने धन्धे में लगे रहना चाहते हैं, उनको नहीं लगने दिया जाता है और जन-आन्दोलन के नाम पर कुछ शैतान कुछ समाज-विरोधी तत्व आते हैं और इस तरह से समाज के ढांचे को प्रस्तुत करते हैं जिसके कारण जो शान्तिप्रिय व्यक्ति हैं उनको अपना काम खत्म करना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी

(श्री सोहनलाल भटनागर)

अच्छी भावना हो सकती है लेकिन हम आजादी, इस स्वतन्त्रता और जो संविधान में संरक्षण दिये हुए हैं उनका दुरुपयोग करके समाज में ऐसी व्यवस्था न लायें कि आज जो कुछ भी आन्दोलन खड़ा किया जा रहा है उसको विदेशी आकर देखते हैं तो हंसी करते हैं कि किस तरह का प्रजातन्त्र चल रहा है ! प्रजातन्त्र के अन्दर सरकार को बदलने का तरीका रखा हुआ है, अपनी आवाज को बुलन्द करने का तरीका रखा हुआ है, वह अहिंसात्मक तरीका है, उसको अपनाते नहीं हैं और हिंसात्मक कार्य करते हैं । सेक्शन खुद कहते हैं कि जब तक हिन्सा न हो और शान्ति भंग का समय नहीं आता है, तब तक उसका कभी भी उपयोग नहीं किया जाय । लेकिन जब शान्ति भंग हो, जब कि सरकारी–भवन हैं वहां के ऑफिस की फाइलों की बरबादी हो और हम लोगों को जो कि शान्तिप्रिय हैं, शान्ति को खतरा उपस्थित हो तब भी जन-आन्दोलन के नाम से इन सेक्शनों को काम में नहीं लाया जाय, यह मेरे ख्याल से किसी भी समझदार व्यक्ति की समझ के बूते के बाहर है ।

इसलिये मैं, माननीय सदस्य जिसने यह संकल्प रखा है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी भावना ठीक हो सकती है लेकिन वस्तु स्थिति और समाज की हालत को देखते हुए वे इस संकल्प को जरूर वापिस लेंगे । कानून में तरमीम करने का जो सवाल खड़ा किया उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि संकल्प में यह चीज़ नहीं है कि इस कानून में तरमीम की जाय । लेकिन भारत में जितने कानून हैं उनके लिये कमीशन बैठा है वह कमीशन यदि उचित समझेगा कि समाज की आजकल की परिस्थिति के माफिक धाराएं ठीक नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि समय दूर नहीं है, तब्दीली करने के लिये या रिपील करने के लिये । समाज ढांचे के साथ समन्वय करने वाली धारा अवश्य रखी जायगी । मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने संकल्प को वापिस ले लें ।

४.११ म.प.

श्री रामनन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री गिरधारीलाल जी ने सदन के सम्मुख एक संकल्प रखकर दो-तीन घंटे से एक वाद विवाद का प्रश्न खड़ा कर दिया है । इस संकल्प का मैं घोर विरोध करता हूं·······

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : घोर नही, घनघोर करें ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़ ! वे अपने शब्द का सिलेक्शन स्वयं ही कर लेंगे ।

श्री रामचंद्र (डग) : संकल्प की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि सरकार जनता द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन के समय केवल बातचीत, समझौता, बीच बचाव तथा पंच-फैसले से काम ले और जाब्ता फौजदारी कानून की धाराएं १०७ और १४४ का प्रयोग नहीं करे । मैं सदन को यह बताना उचित समझता हूं कि सरकार जनता द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन के समय कभी भी १०७ और १४४ धाराओं का प्रयोग नहीं करना चाहती है । जनता के द्वारा ये आन्दोलन नहीं होते हैं । आरम्भ में ये आन्दोलन चाहे किसी रूप में हों, लेकिन कुछ समय पश्चात् वे आन्दोलन जनता के होकर पार्टी के आन्दोलन हो जाते हैं और पार्टीज़ का यह ध्येय हो जाता है कि किसी प्रकार से सरकार के शासन को बदनाम करके कहीं न कहीं ऐसा

(श्री रामचन्द्र)

आन्दोलन शुरू करवा दिया जाय जिससे सरकार को विवश होकर धारा १०७ और १४४ लगाने को मजबूर होना पड़े। तब ही सरकार इन धाराओं का प्रयोग करती है। वास्तव में सरकार जनता के आन्दोलन के समय १०७ और १४४ धाराओं का प्रयोग नहीं करती है और हमेशा बीच-बचाव और आपसी समझौते से काम लेना चाहती है। राजस्थान सरकार की सदा से यह नीति रही है कि जब कोई मांग जनता की तरफ से आये हमेशा पहले आपसी समझौते से निपटाने की कोशिश करें। मैं यह कहूंगा कि यही नीति राजस्थान सरकार की ही नहीं, बल्कि मैं यह कह सकता हूं कि आज यह नीति हमारे भारत सरकार की भी है जिसने आज विश्व के कोने कोने में अपनी नीति का पालन करके यह दिखलाया है कि भारत सरकार शान्ति के उपायों द्वारा बड़ा से बड़े मसला तय करना चाहती है। यदि भारत सरकार की नीति भी १०७ और १४४ दफा या इसी के अनुसार और दफाओं का अनुकरण करके विश्व के आन्दोलनों को दबाने का प्रयत्न करती है तो मैं कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार की भी ऐसी ही नीति है। इसी के कारण भारत में जन-आन्दोलन करने वाले ही नहीं बल्कि भारत के विरोधी देश भी भारत के प्रति श्रद्धा भरी भावना रखते हैं। सरकार उनकी बुरी कामनाओं को दबाने के लिये कभी भी ऐसे कठोर कानूनों का प्रयोग नहीं करती बल्कि सदा यही प्रयास करती आई है कि जहां तक हो आपसी बीच-बचाव और समझौते से किसी बात को तय कर लें। इसलिये राजस्थान सरकार की आरम्भ में यह कभी नीति नहीं रहती कि १४४ और १०७ धाराओं के द्वारा किसी भी आन्दोलन को दबाया जाय। ये धारायें तो उस समय प्रयोग में ली जाती हैं जब सरकार विवश हो जाती हैं, जनता की रक्षा करने के लिये, जो कि सरकार का मुख्य कर्त्तव्य है, उसका पालन करने के लिये विवश होती है, तब उसको इन धाराओं का प्रयोग करना पड़ता है। सरकार कभी अपने कर्त्तव्य का पालन करने में विफल न हो जाय, इस वजह से धारा १०७ और १४४ का प्रयोग किया जाता है।

अब यहां पर सवाल यह भी आता है कि हमारा जनतंत्र दो प्रकार की विचारधारा रखने वाला है। एक है जिम्मेवार विचारधारा वाला और दूसरा गैर जिम्मेवार, जो कि सरकार की नाव या सरकार की गाड़ी को चलाने वाले हैं ....

श्री रामकरणसिंह : On a point of Order, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने, अभी कुछ माननीय सदस्यों को गैर जिम्मेवार बताया। क्या यह पार्लियामेन्टी शब्द है ? यदि नहीं है तो उन्हें विद्ड्रॉ करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : It concerns with those who are outside the House. It is not unparliamentary. The Hon'ble member should continue his speech.

श्री रामचन्द्र: उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी यह कह रहा था कि सरकार को चलाने वाले जो महानुभाव होते हैं उन पर देश में शान्ति रखने का भार होता है और उन्हें हर पहलू और हर पोइन्ट पर गंभीरता से विचार करना पड़ता है कि हमने जो जिम्मेवारी जनता की रक्षा करने की ली है उसको निभाते रहें। इस लिये अपनी जिम्मेवारी महसूस करते हुए

(श्री रामचन्द्र)

उनको कानून के किसी भी उपायों और धाराओं का सहारा लेना पड़ता है। इसलिये समय पर यदि परिस्थिति काबू से बाहर निकल रही हो तो उनके लिये यह आवश्यक है कि वे कानून की किसी भी धारा का सहारा लेकर जनता की रक्षा करना अपना परम धर्म और कर्त्तव्य समझें। यदि सरकार इसका पालन नहीं करती है तो मैं कहूंगा कि वह सरकार अपने वायदे के प्रति वफादार नहीं है। इसलिये अपने वायदों के प्रति वफादार रहने के लिये कानून की किसी न किसी धारा का प्रयोग करना सरकार का कर्त्तव्य है।

श्री तनसिंह : आप थक गये होंगे।

श्री रामचन्द्र : इसलिए मैं अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करके जोरदार शब्दों में यही अपील करूंगा कि राजस्थान सरकार ने कभी भी जन-आन्दोलन के मामले में १०७ और १४४ धाराओं का प्रयोग बिला वजह नहीं किया है, सदा उसने आपसी व्यवहार और आपसी बातों से निपटाने का प्रयत्न किया है। अभी जो विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ उसको ही ले लीजिये।

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने घंटी लगा दी।

श्री रामचंद्र : १ मिनिट और दीजिये। सरकार ने दफा १४४ और १०७ धाराओं का प्रयोग बिना वजह नहीं किया। सरकार सदा आपसी समझौता और बातचीत से मामला निपटाना चाहती है और यदि समय आ पड़े तो १०७ और १४४ धाराओं का सहारा लेना सरकार के लिये अनुचित भी नहीं है।

श्री भैरवलाल कालाबादल (अकलेरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी विरोधी दल के एक माननीय सदस्य ने एक संकल्प सदन के सामने रखा और उन्होंने यह बताया कि जन-आन्दोलन को दबाने के लिए धारा १०७ और १४४ का प्रयोग न किया जाय। मैं यह समझता हूं और इस संकल्प का विरोध करते हुए सदन का ध्यान दिला देना चाहता हूं कि जन-आन्दोलन कहते किस को हैं, आज गरीबों के नाम पर, गरीबों का शोषण करने वाले बड़े बड़े अमीर गरीबों के नाम पर मौज उड़ा रहे हैं। आज रेल के डिब्बे में एक अमीर आदमी सफर करता है, तो पूरी सीट पर लेट जाता है और गरीब आदमी....

श्री उपाध्यक्ष: हम कहीं संकल्प के इधर उधर निकल रहे हैं। माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वापिस संकल्प के अन्तर्गत आ जायं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : में उसके अन्तर्गत बोल रहा हूं। गरीब अपने सिर पर गांठ रखे खड़ा रहता है, मगर जनता की आड़ लेकर सीट पर सोया हुआ आदमी कहता है, कैसी सरकार है, कैसा प्रजातंत्र है, कैसा स्वराज्य है कि ये लोग आराम से सोने भी नहीं देते। आज गरीब आदमी परेशान है, डिब्बे में जगह नहीं मिलती, लेकिन यह चीज वह कह रहा है, जो अमीर पूरी सीट पर सो रहा है। इसलिए आज वे लोग जनता का आन्दोलन बता कर कुछ अपने स्वार्थों के वशीभूत हो यह कहना चाहते हैं कि यह जनता का आन्दोलन है। मैं समझता हूं आज गांवों में इस तरह की हवा फैलाई जाती है। अगर बड़े बड़े आदमियों पर टैक्स लगाता है, दुकान पर बैठा हुआ

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

सेठ कहता है कैसी सरकार है, मुर्दे पर टैक्स लगाती है, पेशाब करने पर टैक्स लगाती है, यह कह कर भय पैदा करते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मुर्दे पर कोई आपति नहीं होती ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मुर्दे पर टैक्स लगा देने की बात सीधे सादे गरीब लोगों से कह कर उनके दिमाग में फितूर पैदा कर जन-आन्दोलन बताया जाता है । मैं नहीं समझता कि यह जन-आन्दोलन है या स्वार्थों का आन्दोलन है । ऐसे स्वार्थियों के द्वारा जो आन्दोलन चलाया जाता है, उसको दबाने के लिए इस प्रकार की धाराओं का काम में लाना अनिवार्य है । मैं संकल्प का विरोध करते हुए बताऊं कि जनता कब आन्दोलन चलाती है, गरीब जनता गांवों में बैठी रहती है, शहर वाले आन्दोलन करते हैं । शहर वाले लोग आन्दोलन चला कर जनता का आन्दोलन बता देते हैं । ऐसी अवस्था में इन धाराओं का उपयोग करना अनिवार्य है ।

श्री तनसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह तो वाक्‌चातुरी की बात है, चलने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि प्रारम्भ में बहुत अधिक समय सदस्य अपने भाषणों में लिया करते हैं । अन्त में सदन को परेशानी मालूम होती है विषय पर स्पीचेज़ समाप्त करने में । मेरा निवेदन है कि भाषणों का समय सीमित रखा तो दूसरे संकल्प आसानी से लिये जायेंगे ।

श्री तनसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: (मुख्य मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा करें, मैं जानना चाहता हूं कि अगर इस पर डिबेट और चलने वाली है, जो जो चीजें यहां उठाई गई हैं, उनका जवाब देने में ज्यादा समय लगेगा । इसीलिए यह साफ हो जाय, यदि ज्यादा बोलने वाले हैं, तो कल पर छोड़ें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं श्री तनसिंह जी से निवेदन करूंगा कि भाषण समाप्त करें जिससे मुख्य मंत्रीजी जवाब आरम्भ करें तो अच्छा होगा ।

श्री तनसिंह : मुझे पांच मिनिट का समय दे दें, सात मिनिट दे दें, इससे ज्यदा बोलने वाला नहीं हूं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरी तरफ से कोई इन्कार नहीं । भले ही कल शांम तक डिस्कस करें ।

श्री तनसिंह : हमारी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष: मैं उधर वाले सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं । आप पांच मिनिट के लिए फर्मा रहे हैं, वे ले लीजिए, लेकिन बहाव में मुश्किल हो जाता है रोकना ।

श्री तनसिंह: मैं तो बहाव में जाता ही नहीं ।

माननीय उपाध्यक्ष, जो प्रस्ताव हमारे सामने विचारार्थ रखा गया है, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि उसका कई लोग विरोध कर रहे हैं । यह कोई ऐसी बात....

एक माननीय सदस्य: लोग नहीं, माननीय सदस्य ।

Page No.94

श्री उपाध्यक्ष : उधर से एक आवाज आई है कि लोग नहीं, माननीय सदस्य।

श्री तनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष, मुझे लोगों में शुमार कर लीजिये, इससे कई मतलब हो सकते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप लोगों में शुमार होंगे, हम नहीं होने देंगे।

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय उपाध्यक्ष, यदि 'लोग' शब्द के अन्दर लिंग का प्रयोग हो, मुझे लोगों में मिलवायें।

खैर, उधर से ऐसी बातें बताई गई कि जनता बैठी रहती है गावों में और यहां (शहर) आकर कुछ स्वार्थी लोग जनता के नाम पर आन्दोलन करते हैं, इसलिए कौनसा आन्दोलन जन-आन्दोलन कहा जाय ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार जनता की सरकार है, पर यह चीज़ लागू हो सकती है कि जनता गांवों में बैठी रहती है, और कुछ स्वार्थी, स्वार्थी क्यों कहें, नास्वार्थी जनता के नाम पर राज्य कर रहे हैं। मैं कहूंगा इस राज्य में आन्दोलन करना बेकार है, समझौता करना बेकार है, बात करना बेकार है और फिर १०७ और १४४ की बात क्यों ....

एक माननीय सदस्य : असेम्बली में आना बेकार नहीं है ?

श्री तनसिंह : बिल्कुल। हमें बता दीजिये, लगातार प्रयास करने से आपके अन्दर कोई गुड विल क्रियेट होगी, अगर आपके दिमाग में सद्भावना पैदा होगी, तो हम कह देंगे कि हमारा असेम्बली में आना सार्थक हुआ। आप कहें कि आप आते क्यों हैं ? आते इसलिए हैं कि आपने परिपाटी बना दी है, आज परिपाटी नहीं होती तो संकल्प लाने की जरूरत नहीं होती। आपने परिपाटी बनाई है, एक रास्ता बनाया है, आप चाहते हैं कि रास्ते का पालन होगा तो जनतंत्र सफल होगा। वास्तव में यह होता है कि संकल्प रखते हैं लेकिन उसका फायदा नहीं होता, आन्दोलन करने से फायदा क्या, पहले तो सरकार अकड़ी रहती है, जोर से भाषण होते हैं, जोर से बातें कहीं जाती हैं, प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हैं, लेकिन बाद में मानते हैं, मान कर समझौता होता है, समझौता करके वापिस कर लेते हैं, उस समझौते की परवाह नहीं करते। ऐसे उदाहरण हुए हैं, जब समझौता हुआ, लेकिन टूट गया। अब बातचीत की बात आप समझ लीजिए, वह भी बिल्कुल बेकार है। वे बहुत चतुर होकर बात करना चाहते हैं, जितनी चतुराई सवाल के जवाब में मिलती है, कि सवालों के जवाब गोल-माल दिये जाते हैं, टालने की कोशिश की जाती है। इसी प्रकार बातचीत में होता है, बात करने वाले आते हैं, और सोचते हैं कि चीज अब मिले, अब मिले और हमेशा एक चीज लटकती रहती है। तलवे में गुड़ लगा लिया जाता है। तो बातचीत करने से क्या फायदा, समझौते करने से क्या फायदा ? और यदि कह दें कि संकल्प रखें, तो इससे भी क्या फायदा ? अभी देखिये इतनी सारी बातें रखी हैं, सदन के माननीय नेता कहेंगे, बेकार की बात है, राज्य चलाना पड़ता है। मैं १०७ और १४४ धारा की बात नहीं करता। मैं उदाहरण देता हूं कि धारा १२४ है, जो कि कलंक है जनतंत्र के जमाने में। सी आर. पी. सी. की १२४ ए धारा मुझ पर लगाई गई एक आन्दोलन के सिलसिले में। उस आन्दोलन का राज्य सरकार से ताल्लुक था। उस धारा

(श्री तनसिंह)

का मतलब है कि कोई तख्ता राज्य सरकार का उलटना चाहे तो उस पर यह धारा लगाई जाय। मुझे जेल में डाल दिया गया और मुझे बिना पूछे, बिना मुकद्दमे के मुझे छोड़ दिया गया। मैंने सरकार से इजाजत मांगी मुकद्दमा चलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के खिलाफ, जिसके बिना सरकार की मंजूरी के मुझे जेल में रख दिया। मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि वह काम गुड फेथ में हुआ था, इसलिए मुझे इजाजत नही मिल सकती है। अब माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जनतंत्र के जमाने में, जिसमें आन्दोलन करके अपनी आवाज को पहुंचाने का अधिकार है, जिसमें साधारण से चलते तांगे में बैठे हुए आदमी को अधिकार है, कि वह अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा सकता है, वह अगर पेम्फलेट बेचता है, उससे सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं होता है, तो वह नारा लगाता है और नारा भी सरकार नहीं सुनती है, तो वह ढोल बजा कर कहता है और इससे भी उसकी आवाज नहीं पहुंचती तो वह मंत्री महोदय के दरवाजे पर धरना देकर कहता है। पत्थर फेंकने या आग लगाने की बात जब होती है तब इतने पर भी मंत्री महोदय सोते रहते हैं। इन्द्र का सिंहासन है, यह तभी डोलता है जब भक्त चिल्लाते २ डूब जाता है, पसीने से तर हो जाता है, उसके बाद जब ६ महीने तक भूखा रहता है तब इन्द्रासन डोलता है। मंत्रियों का इन्द्रासन भी तब डोलता है, जब कि परिस्थिति उस हद तक पहुंचती है, जो कि कन्ट्रोल के बाहर पहुंच जाती है। यदि प्रजातंत्र में आवाज पहुंचाने का कोई एक सरल रास्ता हो, तो आन्दोलन खड़े नहीं हो सकते। मुझे निवेदन करना है कि परिस्थिति इस प्रकार की बनाई जाती है, उसके बाद में जब परिस्थिति विपरीत होती है, तब धारा १०७ और १४४ लगाते हैं।

मैं तो यह भी कह दूं कि यदि आपने यह संकल्प स्वीकार भी कर लिया कि १०७ और १४४ धाराएं नहीं लागू की जायंगी जन आन्दोलनों को कुचलने के लिये, तो भी मैं तो यही कहूंगा कि आपने बहुत ही साधारण सी क्लॉजेज़ का जिक्र किया है। इस संकल्प के अन्तर्गत प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट का जिक्र नहीं किया। १०७ और १४४ ये तो साधारण सी धाराएं हैं, इनकी अपील होती है, रिविजन होता है, फैसला भी सुना दिया तो उसके विरूद्ध अपील हो सकती है, पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट में किसी को उठा कर धर दिया जाय तो ३ महीने तक की तो छुट्टी हुई, मिलने की बात करने की आवश्यकता नहीं। माननीय उपाध्यक्ष, हममें से, इधर वालों में से कइयों को इस कृपा दृष्टि का भाजन होना पड़ा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं, घर का आटा खावो घर के पैसे से। यह और मुसीबत की बात है कि अगर घर में वह एक ही कमाने वाला है तो पीछे वाले भूखों मरो, इसके लिये सरकार की सहायता नही। इस प्रकार की स्थिति है जनतन्त्र के जमाने में। नोखा से आने वाले मित्र ने कहा कि धारा १४४ और १०७ को काम में नहीं लिया जाय। मैं चाहता हूं कि यह तो करें पर प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट की धारा को हटाया जाय। एक मिनिस्टर महोदय को, चीफ मिनिस्टर को टौंक से मैंने पत्र लिखा वह पहुंचा ११ दिन में, यह हालत है यहां के एडमिनिस्ट्रेशन की, यह हालत है आन्दोलनों की विशेष स्थितियों की! मेरा निवेदन है कि....

श्री उपाध्यक्ष : कठिन कैसे बनाया जाय, आपने संशोधन तो रखा ही नहीं, प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट कैसे लागू किया जाय ?

श्री तनसिंह : मैं प्रिवेन्टिव डिटेन्शन एक्ट के लिये भीख नहीं मांगूगा, मैं तो चाहता हूं सरकार की मंशा हो तो और भेज दियां जाय। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो संकल्प रखा गया है वह तो सरल है फिर भी इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि इस मौजूदा सरकार में आन्दोलन करना, समझौता करना, बीच-बचाहट करना बेकार है, और इस प्रकार का प्रस्ताव रखना बेकार है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको सिद्ध कर दें, let us conclude.

श्री तनसिंह : इतना कह कर मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि वे प्रकाश डालें कि भविष्य में होने वाले जन आन्दोलनों में, मैं यह नहीं कहता कि हम आन्दोलन करें तो कृपा कीजिये, अकृपा रख लीजिये पर मनुष्य जैसा दृष्टिकोण होना चाहिये। आपका कोई विरोधी आता है तो मनुष्य की भांति ट्रीट कीजिये ताकि हम भी समझेंगे कि हमारे सामने जो राजनैतिक दुश्मन है वह मनुष्य के रूप में है हमारे साथ दुर्व्यवहार किया जाता है मनुष्य की तरह नहीं ट्रीट किया जाता, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष, इस संकल्प को लाकर एक प्रकार से विद्यार्थी आन्दोलन की चर्चा हुई, यहां पर विस्तार के साथ, ऐसा मालूम पड़ता है और इसलिये दूसरी बातों पर ज्यादा न कह कर मैं भी इसी विषय पर, हालांकि मेरे पास अभी कागजात नहीं हैं जिनसे मैं तारीखवार ब्यौरा बता सकूं, फिर भी जितनी मेरी स्मृति है उसके आधार पर इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति न रहे।

इस संकल्प को लाने के अन्दर यह कहा गया कि सरकार जन-आन्दोलनों के समय बात-चीत के जरिये, समझौते द्वारा, आर्बीट्रेशन के द्वारा निर्णय करे और १४४ का १०७ धारा का उपयोग नहीं करे और इसके साथ विद्यार्थी-आन्दोलन को जोड़ा गया। मैं इस बात को लेकर निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर शहर के बारे में यहीं से आने वाले माननीय सदस्य ने काफी तेजी से इस प्रकार की बातें रखनी चाहीं कि जैसे कहीं रूस-जर्मनी का युद्ध पहले जयपुर में हुआ और फिर इस सदन में वैसा वातावरण हो गया हो, इस तरह का भाषण माननीय सदस्य ने दिया।

मैं निवेदन करूं कि जयपुर में यहां महाराजा कॉलेज और कॉमर्स कॉलेज के इलेक्टेड प्रेसीडेन्ट, सेक्रेटरी और दूसरे यहां के विद्यार्थी थे, उनके साथ कॉलेज खुलने के बाद तुरन्त ही मेरे पास आये और बात चीत हुई, बातचीत चलती रही और मैं नहीं भूलता हूं तो २१ तारीख की बात है, २१ के दिन कालेज के प्रिंसिपल्स, रिप्रेज़ेन्टेटिव्ज़ स्टुडेन्ट्स के, उन्होंने मिलकर आपस में तय किया और बतलाया कि अगर फीस बढ़ाते हैं तो इतना तय कर दिया जाय कि जो फीस नहीं दे सकते हैं उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये। मैंने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

साफ तौर से इसको माना। उन्होंने कहा, अच्छा है नोटिस बोर्ड पर इस बात को लगा दें कि जो विद्यार्थी फीस देने में असमर्थ होंगे उन्हें फ्री शिप, हाफ फ्री शिप होगी। यह उसी दिन नोटिस बोर्ड पर लगा दिया। कॉलेज १५ तारीख से शुरू हुआ, १५ से २१ के बीच में कोई आन्दोलन नहीं था। जैसा कि दोहराया गया कि आन्दोलन शुरू होने के बाद सरकार की ओर से समझौता या बात चीत की जाती है, उस वख्त कोई आन्दोलन राजस्थान में नही था। इसके बाद फिर २१ तारीख को नोटिस लगाने के बाद, मैं उदयपुर की तरफ गया, वहां विद्यार्थियों से बात की इसी आधार पर, वहां के विद्यार्थियों ने समझा और कहा कि जो दे सकते हैं वे बढ़ी हुई फीस दें तो एतराज नहीं।

२७ तारीख के आस-पास ट्रेन लेट होने से यहां पहुंचता हूं, घर पहुंचते ही समाचार मिलते हैं कि सेक्रेटेरियेट के अन्दर झगड़ा हो गया, लाठी चार्ज हुआ और भगवानदास स्ट्रीट के सब के सब लैंप तोड़ दिये गये, मैंने सम्बन्धित अधिकारियों को बुलाया। आगे कहा गया कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को नीचे आ जाना चाहिये था, तो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि मैं जयपुर में नहीं था। अब एक और चीज सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चहता हूं; उस मौके पर जब २७ तारीख को विद्यार्थी सेक्रेटेरियेट पहुंचे, महाराजा कॉलेज में और कॉमर्स कॉलेज में १५ से २७ तक क्लासें लगी रहीं। १ तारीख को यूनियन को सहन नहीं होता है, बहुत सों को बुरा लगा कि इस तरह से तो आन्दोलन खत्म हो जायगा। १५ से २७ तक आन्दोलन नहीं चलता, २१ तारीख को बात तय हुई, फिर नोटिस बोर्ड पर लग जाय, २७ को कुछ नहीं। २७ को आने के बाद सेक्रेटेरियेट में पत्थर पड़े हुए थे बताये गये, लोगों के चोटें आई थीं वह बताई गईं, वह सब साफ है सब को विदित है, मैं इस वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता।

२७ को इतनी घटना हो जाने के बाद ३१ तक इस जयपुर में कोई १४४ धारा नहीं लगाई गई, हालांकि २७ की उस घटना के बाद स्वाभाविक तौर से उसी रोज, हर जगह, हर वख्त १४४ धारा लग जाती है। पर हमने कहा कि १४४ धारा नहीं लगावें और मौका दें। तारीख ३० के रोज एक जुलूस आया और पुलिस वालों ने सामने जाकर कहा कि आगे नहीं बढ़ें, सेक्रेटेरियेट के कम्पाउन्ड में पहुंचता है। जिन माननीय सदस्य ने यह प्रस्ताव रखा है उनकी भी यह मंशा नहीं होगी कि कोई जलूस आये, सैक्रेटेरियेट की फाइलें फेंक दें, जला दें तब तक जनता का आन्दोलन चलने देना चाहिये। उनको रोका, आई. जी. पी. डी. आई. जी. पी, और सभी सीनियर ओफीसर खड़े हो गये कि आगे नहीं जाओ। परिणाम यह हुआ कि एक ट्रक के अन्दर कुछ लोग बैठकर आये। पत्थर फेंके गए, कीचड़ फेंकी गई, गालियां दी गईं। फिर भी हमारे पुलिस के लोग ज्यों के त्यों खड़े रहे, तीन-चार घंटे तक खड़े रहे। उसके बाद में फिर सड़क की लैम्प्स तोड़ी गई, फिर गड़बड़ियां हुई। उस रोज ३१ तारीख को १४४ धारा लगाई गई। जिस प्रकार से समझा जाता है कि विद्यार्थी आन्दोलन के अन्दर हमने १४४ धारा लगाने के लिए पहले ही कदम उठा लिया हो। मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि यह गलत बात है।

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

मैं आगे अर्ज करूं कि फिर बीच में जो घटनायें हुई उनका बाद में जिक्र करूंगा, अभी तो मैं धारा १४४ की बात कहना चाहता हूं। फिर धीरे धीरे यहां पर शुरूआत हुई। मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में कहीं ऐसी बातें नहीं हुई होंगी जैसी यहां हुई। एक तरफ पत्थर फेंके जाते हैं और वह नागरिकों पर लगते हैं, पुलिस वालों पर लगते हैं और यहां पर बराबर डिसआॅर्डर है, उसके बीच में जब धारा १४४ थी तो कुछ पोलीटिकल पार्टीज़ ने सभायें कीं, उस समय हमने उनसे कहा कि शांति स्थापित होनी चाहिए। उसके बाद में यह कहते हैं कि क्योंकि आन्दोलन शांत होने लगा तो वह पोलिटीकल पार्टीज़ प्रस्ताव पास करती हैं कि १४४ धारा को तोड़ने के लिए आन्दोलन करें। फिर आंदोलन हुआ और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। बहुत से लोगों ने उस समय कहा कि धारा हटा दी जाये तो शांति स्थापित हो जायेगी। १ तारीख के आसपास इस को हटाया गया और १५ अगस्त सन् १९५७ के दिन इस जयपुर शहर के अन्दर, जो कि जनता के आन्दोलन, राष्ट्रीय आन्दोलन, राष्ट्र की प्रतिष्ठा के नाम पर बात करना चाहते हैं उस दिन जब हमारे लोकनायक व्यासजी माणकचौक पर भाषण देने गये तो धक्कामुक्का किया गया, उस समय बदइन्तजामी पैदा की गई, उसके बाद में काले झन्डे लेकर सारे जयपुर शहर में घूमा गया। १५ अगस्त की सुबह जो कि राष्ट्र का स्वातंत्र्य दिवस था, पुलिस परेड थी क्या उस मौके पर यह कहा जाय कि स्वतंत्रता का मतलब है कि यह सब गड़बड़ियां चलनी चाहिए। अगर कोई राष्ट्र के लिए ध्वजवन्दना करना चाहता है तो यह उसको नहीं करने दिया जाय! कोई आदमी स्वतंत्रतापूर्वक ध्वज फहराना चाहता है उसको फहराने नहीं दिया जाय! तो मैं समझता हूं कि इसके लिए सामने बैठने वाले सदस्य हैं वह भी सहमत नहीं होंगे कि इस प्रकार कार्यवाहियां १५ अगस्त के दिन जो कि हमारा स्वतंत्र दिवस है उस दिन करने दी जायें। मैं माननीय सदस्यों को बताऊं कि १५ अगस्त को एक एक चोराहे के ऊपर, एक एक नागरिक ने आकर कहा कि यह क्या हो रहा है। एक एक चौराहे के ऊपर जयपुर शहर में उस दिन आग का ढेर जल रहा था। क्या इस चीज के लिए कोई इन्कार करना चाहता है। १५ अगस्त और १६ अगस्त, जिस दिन की हमारे स्वातंत्र्य संग्राम की शताब्दी पूरी होती थी, को सभी खुशी से मनाना चाहते थे। क्या किसी ने इन दिनों को ठीक तरह से मनाया, मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन जो कि हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि रूस और जर्मनी की यहां लड़ाई हो रही थी। तो वास्तव में यहां पर यहां की जनता स्वतंत्रता दिवस नहीं मना पाई। अब यह सब कुछ वाजिब था या नहीं, उसका अन्दाजा किया जा सकता है।

दूसरी ओर मैं माननीय उपाध्यक्षजी, याद दिलाऊं कि अलवर के अन्दर धारा १४४ उस रोज तक नहीं लगाई जब कि यहां के आंदोलन करने वालों ने श्री शोभारामजी के मकान को और जिला कांग्रेस कमेटी के मकान को आग के भेंट नहीं कर दिया। आखिर धारा १४४ के लिए आप क्या सीमा रखना चाहते हैं? फिर बाद में यह होने से वहां धारा १४४ लगी। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बातचीत के लिए आप फरमाते हैं, विद्यार्थियों के १५ तारीख को कॉलेज

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

खुलते हैं, उनसे बात की गई, सेक्रेटरी और प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनसे बात हुई। वहां कॉलेज में नोटिस लगवा दिया। एक आन्दोलन शुरू हुआ। जो कि राजनैतिक फायदा उठाना चाहते थे उन्होंने विद्यार्थियों को कहा कि इनके साथ मत जाओ। इस प्रकार से लोगों को उभारने का प्रयत्न किया गया और फिर भी हमें दोष दिया जाय कि बात नहीं करते, कहां तक इसमें सचावट है। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस प्रकार की बातचीत की और समझौते की कीमत क्या है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमने एक बार बातचीत की। हम एक बार समझौते के लिए पंडितजी के पास गए और आखिर परिणाम यह हुआ कि हमसे कहा गया कि पंडितजी को हम मध्यस्थ मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो यह बातचीत और समझौता आपने तोड़ा या हमने तोड़ा? बराबर सरकार के ऊपर आरोप लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन हमने बराबर इस बात का प्रयत्न किया कि वातावरण किसी प्रकार से ठीक हो और किसी तरह से हम इस मामले में आगे बढ़ पायें। मैं कहता हूं कि समझौता जब हुआ कि जब विद्यार्थियों से कहा जाता था कि आप आकर के बात कर लीजिए। आप देखिये किस तरह से समझौता तोड़ा जाता है? हमारे जो वर्तमान राज्यपाल महोदय हैं उनके पास एक नन्दा जी नाम के विद्यार्थी परिषद् के अध्यक्ष हिन्दुस्तान भर के आये थे। विद्यार्थियों ने दस्तखत करके, कुछ प्रतिनिधियों ने फैसला किया कि हम इस प्रकार से करेंगे और फैसला करने के बाद एक कमेटी बना कर आगे काम होने को था। मैं, फिर बीच में मणिभाई शाह आ गये थे, उनके साथ एक दिन के लिए बाहर चला गया और मेरे पीछे से फिर आन्दोलन शुरू हो गया। आखिर आप ही बतायें कि हमने क्या समझौता भंग कर दिया? लेकिन यह कहना चाहिए कि कुछ व्यक्तियों की दिलचस्पी इसमें थी कि हम विद्यार्थियों को आगे करके परिस्थिति का लाभ उठायें। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक वक्त आयेगा कि राजस्थान के अन्दर विद्यार्थी यह अनुभव करेंगे कि जिन्होंने उस मौके पर आगे बढ़कर भड़काया उन्होंने उनका अहित किया है और वह हम लोगों के ज्यादा नज़दीक होंगे।

(करतल-ध्वनि)

आज भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विद्यार्थियों के दिलों में इस बात का ख्याल है नहीं, तो और आखिर आन्दोलन किस चीज के लिए था? समझौते की बात कही जाती है! मैं यह निवेदन करता हूं कि जो व्यक्ति ३१ तारीख को यह कह दे, हर तरह से पार्टी बनाकरके कह दे कि फैसला, वह तो वही हुआ कि जो व्यक्ति इनकम टैक्स देता है उसको फीस देनी होगी और जो इन्कम टैक्स नहीं देता है वह बढ़ी हुई फीस नहीं दे। एक बात कह दी गई, लेकिन मुश्किल यह थी कि एक तरफ से एक पार्टी खेंचती थी और दूसरी तरफ से दूसरी। अगर वह समझौता करके आ जाय तो उनको डर था कि दूसरों का नेतृत्व कायम न हो जाय और विद्यार्थी बीच में उलझे हुए थे। विद्यार्थियों के लिए ऐसा मौका आया कि उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई और गैस का प्रयोग किया गया, बल का प्रयोग करना पड़ा। उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा कौन दुखी नहीं होगा? जिन विद्यार्थियों को मैं पिछले पांच सालों से और तीन सालों से बहुत निकट

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

से देखता रहा हूं उनके शरीर पर एक एक चोट लगती थी तो मुझे ऐसा अनुभव होता था कि मुझे चोट लग रही थी। उसका हमारे ऊपर भी असर था। लेकिन दूसरी पार्टियों को तो स्थिति का लाभ उठाना चाहिए था! फिर उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आम तौर से मालूम है कि गांवों के अन्दर जहां कि २५-५० की तादाद में हाईस्कूल्स हैं वे चलते रहे, जहां कालेज हैं वहां कालेज चलते रहे और इस जयपुर शहर खास के अन्दर गड़बड़ मची हुई थी। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जिसको जन-आन्दोलन और दूसरा कहा जाता है उस आन्दोलन के अन्दर ८०-८५ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ने जाते थे। उस वक्त कुछ मां-बापों ने भी अपने लड़कों को नहीं भेजा डर की वजह से कि कोई स्थिति पैदा न हो जाये! सुबह–शाम शुरु में कितने लड़के और कितनी लड़कियां आईं और उनकी क्लासेज़ कब खत्म हुईं और खत्म होते समय कितने मौजूद थे, उसके आंकड़े मैंने रखे थे और जो मुझसे उस समय मिलते थे मैंने उनको वह आंकड़े बताये थे......

तो मैं उपाध्यक्ष जी निवेदन करूं, विद्यार्थी आन्दोलन के सम्बन्ध में ज्यादा अच्छा यह होता, विद्यार्थियों तक ही इस प्रश्न को छोड़ दिया जाता तो उसके हल होने में बहुत आसानी होती। आपसी बात-चीत द्वारा जो समस्या का हल हो सकता था, आखिर विद्यार्थियों के साथ हमारा क्या झगड़ा हो सकता है, पहले भी इस प्रकार के फैसले हुए लेकिन कुछ राजनैतिक रूप दे दिया गया और कुछ व्यक्तियों के हस्तक्षेप के कारण कुछ स्थितियां उलझीं। कुछ देर पहले जो माननीय सदस्य बोले उन्होंने कहा कि फीस जो बढ़ाई गई उस वजह से यह आन्दोलन हुआ। इस सम्बन्ध में भी मैं दो शब्द कह देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं आज भारतवर्ष के अन्दर सब से ज्यादा शिक्षा का प्रसार केरल प्रान्त में है और केरल की आर्थिक स्थिति कुल मिलाकर राजस्थान से अच्छी नहीं है, यह करीब-करीब सब जानते हैं। शिक्षा की दृष्टि से हमारा पिछड़ा हुआ प्रान्त है, हम इसे सामाजिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ कह सकते हैं। उस प्रान्त में ज्यादा पैसा होते हुए, कम्युनिस्ट गवर्नमेन्ट के होते हुए भी वहां शिक्षा का प्रसार हुआ। मेरा हमेशा यह मत रहा है और मैं समझता हूं आने वाले समय में जनता भी यह सोचेगी, जन-आन्दोलन के कारण ही हमारे प्रान्त में शिक्षा का विस्तार हुआ है, मेरी हमेशा यही धारणा रही है कि राजस्थान में शिक्षा का विस्तार हो, राजस्थान में प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं का प्रसार हो; तो निश्चित मानकर चलिये कि यह केवल सरकार के आश्रित रह कर कभी भी नहीं हो सकता। आज राजस्थान में शिक्षा के लिये राजस्थान सरकार छः-सात करोड़ रुपया खर्च कर रही है। एक समय ऐसा आयगा जब राजस्थान के अन्दर हम इतना भी खर्च नहीं कर पायेंगे, तो क्या स्थिति होगी? जहां शिक्षा का प्रसार हम करने जा रहे हैं वहां हम शिक्षा का ज्यादा प्रसार न करके शिक्षा को पीछे डालेंगे, यह मेरी निश्चित भावना रही है। अगर आप शिक्षा को महत्वपूर्ण समझते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों और कालेजों में पढ़ने भेजना चाहते हैं, तो यह हमारा इन्वेस्टमेन्ट है हमारे बच्चों पर। अगर हम उन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

पर ज्यादा खर्च करते हैं, शिक्षा पर तो वह यह समझ कर कि आगे उनका भविष्य सुधरेगा। अगर उसको सुधारने में रुपया आठ आने अगर किसी पर ज्यादा खर्च आता है तो वह बरदाश्त करना होगा। अगर हम शिक्षा की फीस को लेते हैं तो हमें अपने पड़ौसी प्रदेश अजमेर की ओर भी ध्यान करना पड़ेगा। वहां के स्कूलों और कालेजों की फीस ज्यादा है। वहां शिक्षा का प्रसार हमारे यहां से बहुत ज्यादा है, आखिर क्या कारण है कि वहां शिक्षा का प्रसार ज्यादा है ? इस शिक्षा के विस्तार के सारे प्रश्न का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना होगा। हमें देखना होगा कि दर असल में हम चाहते क्या हैं, यदि हम यह चाहते हैं कि वास्तव में शिक्षा बढ़े तो हमें फीसों में वृद्धि करनी होगी। दूसरा उपाध्यक्ष महोदय, जब फीस वृद्धि के सिलसिले में आन्दोलन हुआ उस समय जो भी मुझसे मिलने आये उनसे निवेदन किया कि शिक्षा पर फीस लगाने की क्यों चेष्टा होती है। जब राजस्थान बना था उस समय मुझे याद आता है ७०-८० हाई स्कूलें थीं, मिडिल स्कूलों की भी संख्या बहुत कम थी। उस समय यह था कि हाई स्कूल पास करने के लिये लोगों को बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। कई जगह तो मिडिल स्कूलें भी नहीं थीं मिडिल पास करने के लिये भी बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। उसके बजाय आज हम यह कर रहे हैं, हर दस मील के एरिया के अन्दर एक हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो।

आज हम देखते हैं कि अजमेर के अन्दर गैर सरकारी संस्थायें बहुत हैं, वहां की संथाओं द्वारा यह सवाल बार बार उठाया जा रहा है कि हमारी संस्थाओं का चलाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि राजस्थान में जो शिक्षा शुल्क है वह बहुत कम है। उसको देखते हुए हमारा काम चलना मुश्किल हो गया है। अब ऐसी स्थिति उनके सामने आगई है कि या तो वे बन्द कर दें उन स्कूलों को, ये सरकार अपने हाथ में लेले। अगर हम उसका भार उठाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि जो बजट में हमने रुपया अन्य कामों के लिये रख छोड़ा है उसको रोक दें।

यह गहराई से सोचने का प्रश्न है। इतना ही नहीं आज किसी पर एक रुपया या आठ आने फीस के इधर उधर हो जाते हैं तो इससे फर्क क्या पड़ने वाला है ? इस चीज को लेकर विद्यार्थियों ने आन्दोलन शुरू किया, उसका असर लॉ एन्ड ऑर्डर पर पड़ा उसके कारण इन धाराओं का उपयोग करना पड़ा। इन चीजों के बारे में यहां जो कहा गया उससे ऐसा पता लगता था कि हमने समझौते का किसी प्रकार प्रयत्न नहीं किया। हमने बिना आन्दोलन के भी समझौते के प्रयत्न किये। विद्यार्थी मुझसे मिलने आये, उनसे बातें कीं जब भी वे लोग आये, दिन में आये मैं उनसे मिला, शाम को आये मैंने उनसे बातचीत की। लेकिन हमने यह देखा कि जब भी कभी वे किसी को लेकर आये तो उनके साथ भी समझौते में अड़चनें आयीं, सारी उलझनों का हल कर देना हमारे लिये मुश्किल था। आखिर समझौते का भंग हुआ। एक समय ऐसा भी आया जिस समय केवल विद्यार्थी ही मुझसे मिलने आये, यहां तक कि एक माननीय सदस्य भी उनके साथ आना चाहते थे; उन्होंने, विद्यार्थियों ने उनको साथ लेने से इन्कार कर दिया। जब विद्यार्थियों ने

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अपने आप मिलने का प्रयत्न किया और वे मुझसे मिले तो हमने आपस में बातचीत की और उसका परिणाम निकल आया, अगर किसी को लेकर वे आते तो हमारे सामने दिक्कतें रहतीं । मैं आशा करता हूं कि जो मैंने बातें कही हैं उनसे स्थिति स्पष्ट हो जायगी ।

एक बात और कही गई । राजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमको यह करना चाहिये कि जन आन्दोलन के सम्बन्ध में कोई भी बल का प्रयोग न करें । मैं समझता हूं शायद माननीय सदस्य को इस बात का पता होगा कि केरल के अन्दर, अभी अखबारों में पढ़ा भी होगा; वहां दो चार रोज पहले की बात है लाठी चार्ज हुआ और वहां छः सात व्यक्ति घायल भी हो गये । घटना हुई है, यदि यह वास्तव में ठीक है जो हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा, तो मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि भारतवर्ष के अलग अलग प्रान्तों में अलग अलग सरकारें हैं, वहां पर भी एक पार्टी की सरकार है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता; लेकिन मैं इतना अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूं कई बार ऐसी परिस्थितियां आजाती हैं जब हमको मजबूर होकर इसका प्रयोग करना पड़ता है । यह भी कहा गया कि सरकार जान बूझ कर लाठी चार्ज और अश्रु गैस का प्रयोग करती है । मैं सरकार की ओर से यह स्पष्ट कर दूं, हम कभी नहीं चाहते कि लाठी चार्ज और अश्रु गैस का प्रयोग हो, लेकिन परिस्थितियों से मजबूर होकर हमें करना पड़ता है उसके लिये हम मजबूर हैं ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा ऑक्ट्रोय के बारे में जब आन्दोलन हुआ तब जाकर यह प्रश्न रुका । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन कर देना चाहता हूं, आन्दोलन हुआ, ऑक्ट्रोय में कमी हुई यह भी सही बात है । लेकिन आप एक बार अच्छी तरह से सोच कर देखें कि इसका असर क्या हुआ ? शहर की सफाई पर, उसकी प्रगति पर इसका क्या असर पड़ा कुल मिला कर ? आज राजस्थान के अन्दर दूसरे कस्बे भी ऐसे हैं जो ज्यादा ऑक्ट्रोय देते हैं, हमारे पड़ौसी राज्य अजमेर को लीजिये, जहां कि म्युनिसिपैलिटी की आमदनी ३० लाख वार्षिक है वहां पर प्रत्येक व्यक्ति दो रुपया टेक्स देता है । हो सकता है उपाध्यक्ष महोदय, जो आन्दोलन इस प्रकार के करवाते हैं वे गौरव का अनुभव करते हैं, लेकिन कुल मिला कर वे सोचें कि आखिर में यह गौरव की बात कहां तक है ? आज हम देखते हैं, जो जयपुर शहर इतना प्रसिद्ध है उसकी गलियों को देखें, उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हो रहा है । दूसरी जगह बिजली की रोशनी, सड़कों की सफाई हमारे यहां से कहीं ज्यादा है, इसलिये सोचा था कि कुछ ऑक्ट्रोय लगाकर हम जयपुर की सफाई की ओर ज्यादा ध्यान देते, कुछ उसमें सरकार सहयोग देती और कुछ ऑक्ट्रोय से आमदनी हो जाती, लेकिन जन-आन्दोलन ने हमारी इस इच्छा को रोक दिया । आप यह सोचें, सही मायने में सोचें कि जो जन-आन्दोलन हुआ, उससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ ? यह आप अच्छी तरह अनुभव करेंगे कि जन आन्दोलन के कारण ही हम इस जयपुर के विकास को नहीं कर पाये ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : अब तो ऑक्ट्रोय लग गया है, अब भी जयपुर साफ नहीं ।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : Please do'nt interrupt me, कितने ही टैक्स ऐसे होते हैं जिनका लगना आवश्यक होता है, लेकिन जन-आन्दोलन के कारण उन पर कुठाराघात होता है। हमें देखना यह होगा इस मौके पर दर असल जो मुद्दा है उसमें वास्तविकता कहां तक है और किस तरह इसको करना चाहिये?

जिन माननीय सदस्य ने इस संकल्प को रखा है मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि धारा १४४ व १०७ के होते हुए भी हमने इस बात का प्रयत्न किया, जो भी मामला हो सहूलियत के साथ निपट जाय; ताकि हमें इन बातों में न पड़ना पड़े। हम जिन परिस्थितियों में इन धाराओं का प्रयोग करते हैं, अगर हमारी जगह कोई भी सरकार होती वह भी इन धाराओं का प्रयोग करती, शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिये। हम यह हमेशा चाहते कि जहां तक हो शान्ति से कार्य सम्पन्न हो जाय।

तो यह अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है। पर आम तौर से जहां इस प्रकार की बातें हों कि आपस की बातचीत के जरिये प्रश्न का हल हो सकता है तो उसके लिये कभी भी हमने इन्कार नहीं किया। हमने बात चीत की है। दोनों मौकों की बात को मैंने आपके सामने रक्खा। एक मौके पर बातचीत द्वारा हल करने का प्रयत्न जवाहरलालजी के द्वारा कराया गया और दूसरे मौके पर विद्यार्थी आन्दोलन के अवसर पर स्वयं मैंने इसी तरह से बातचीत द्वारा हल करने का प्रयत्न किया।

फतहपुर बीड के बारे में भी पहले ज्यादा जमीन दे रहे थे। पर वहां के किसान भाई आये। इस जमीन को कम करके फैसला किया गया। पर बाद में भी आन्दोलन हो, शाला के लिये जमीन दी जावे और उसे तोड़-मरोड़ कर मामले को लिया जावे और फिर गड़बड़ी की जावे, तो हमारे सामने भी कुछ मुश्किलें होती ही हैं। हम भी अनावश्यक स्थिति को रोकने के लिये कुछ करते हैं।

दूसरा पक्ष और है। १४४ धारा आखिर लगाते क्यों हैं? इसलिये कि आम तौर से बड़ा बल प्रयोग न करना पड़े। इसका खास कारण यह होता है, एक बार एक बड़ा हुजूम इक्ट्ठा होता है और इसके बाद जो घटनाएं होती हैं, जैसा सेक्रेटरियट में हुआ, अथवा तारीख ३१ को सम्भव था, दस हजार का हुजूम था, आउट ऑफ आर्डर हो जाए, उस अवसर पर पुलिस को जो बल प्रयोग करना पड़ा, जिसकी कि टीका आज यहां होती है, उसके लिये मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि अगर वक्त पर १४४ धारा नहीं लगाई जाती तो फाइरिंग की नौबत आती और मैं इस बात को आसानी से कह सकता हूं कि इन पिछले तीन वर्षों के अन्दर हमने एक भी फाइरिंग सारे प्रान्त में कहीं नहीं किया चाहे; किसी भी प्रकार के प्रोवोकेशन का मौका सरकार के सामने आया हो।

(राज्य पक्ष की ओर से करतल-ध्वनि)

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : तीन साल से पहले या बाद में?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पुरानी गवर्नमेन्ट की मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपनी बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज़।

श्री अर्जुनदास : सभी हो गया, बाकी इसी एक बात की कसर रह गई।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! Order please !! The Hon'ble Member will not disturb the speech.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) तो मैंने अर्ज किया कि वास्तव में हमारे सामने मौके पर लॉ और ऑर्डर मेन्टेन करने की जिम्मेदारी होती है और इसके लिये हमें सिटी मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात के अधिकार देने होते हैं कि वे उस मौके के उपयुक्त इन धाराओं का जैसा आवश्यक समझें वैसा उपयोग करें । पर इतना हम हमेशा मानकर चलते हैं कि बिना किसी आवश्यकता के इन धाराओं का दुरुपयोग न होना चाहिये और मैंने आपके सामने उदाहरण रखकर इस बात को स्पष्ट किया है । जैसा कि मैंने बतलाया आपको कि जयपुर में २७ को घटना हुई और ३१ को फिर घटना हुई; तब इसके बाद हमने यह धारा लगाई है । अलवर में आन्दोलन चलता रहा, हमने कुछ नहीं किया, पर जब आग लगी तो इसके बाद वहां भी धारा १४४ लगाई गई; पहले नहीं ।

तो आशा करता हूं कि मेरे इस स्पष्टीकरण के बाद, इन बातों का ख्याल रखते हुए कि ऐसी मजबूर स्थितियां हो सकती हैं जब कि अधिक बल प्रयोग न करना पड़े, हमारे लिये इन धाराओं का प्रयोग करना आवश्यक हो सकता है, वे अपना प्रस्ताव वापिस ले लेंगे ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : ऑन ए पोइन्ट आफ इन्फोर्मेशन, सर, ३१ जुलाई को धारा १४४ लगाने के बाद सात दिन में परिस्थिति काबू में रही या ६ तारीख को शान्त रही या खराब रही, इस पर आप थोड़ा और गौर फरमा दें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ६ तारीख को धारा उठाने पर १५ तारीख की तैयारी में शान्ति रही । यह पांच छः रोज तक, ६ तारीख से १५ तारीख तक जो कुछ करना था उसकी तैयारी में समय लगा ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन पूछा ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! order please !! No point of clarification.

श्री गिरधारीलाल (नोखा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह था कि राजस्थान के अन्दर जन-आन्दोलन के वक्त सरकार धारा १४४ व १०७ प्रयोग में न ले । मुझे ऐसी आशा थी कि उधर से मुझे ऐसा जवाब मिलेगा जिससे कि मैं मेरा प्रस्ताव वापिस ले लूं । लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने मेरे प्रस्ताव का जवाब न देकर केवल जयपुर के विद्यार्थी आन्दोलन पर या ऐसी ही और एक दो बातों पर अपनी सारी की सारी स्पीच खत्म कर दी ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि यह प्रस्ताव जयपुर के विद्यार्थी आन्दोलन, या राजस्थान के विद्यार्थी आन्दोलन के विषय में नहीं रक्खा था । मैंने यह प्रस्ताव रक्खा था जनरली; कोई भी जन-आन्दोलन के भीतर सरकार इन दफाओं को प्रयोग में न लावे । पर मुझे आश्चर्य इस बात का है कि मुझे उस ओर से कोई यथोचित उत्तर नहीं मिला । हां, कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने, उदयपुर से आने वाले सदस्य ने काफी लम्बी-चौड़ी स्पीच दी और उन्होंने यह बताया कि जब भी हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जब भी कुछ

(श्री गिरधारीलाल)

हिंसात्मक तत्व सरकार के सामने आन्दोलन करते हैं तब हम इस प्रकार की धाराओं को प्रयोग में लाते हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह नहीं समझ सका कि आप हिंसा किसको कहते हैं, क्या सौ दो सौ या हजार किसान अपना लगान कम करवाने के विषय में आपके सामने मांग लेकर आते हैं तो क्या आप उसको हिंसा कहेंगे ? क्या विद्यार्थी लोग अपनी फीस कम करवाने के लिये कोई मांग लेकर आपके पास आते हैं तो क्या उसको आप हिंसा कहेंगे ? क्या मजदूर अपनी मांगे लेकर आपके पास आते हैं तो क्या आप उसको हिंसा कहेंगे ? वह हिंसा नहीं है । हिंसा और चीज होती है। हिंसा वह होती है जब कि कोई सरकारी सम्पत्ति को एक व्यक्ति या जन-समुदाय नुकसान पहुंचाये । उस वक्त हिंसा की संज्ञा उसको दी जा सकती है। पर मुझे दुख इस बात का है कि हिंसा होती है लेकिन हिंसा कब होती है, जब कि जो बात करते हैं अहिंसा की वे हिंसा को बढ़ावा देते हैं। जब आपने लाठी चार्ज पहले किया विद्यार्थियों पर, फिर उन्होंने पत्थर बरसाये । इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता । पहले आप लाठी चलाते हैं। टीयर गैस छोड़ते हैं यहां तक कि फायरिंग करते हैं तब छात्र लोग या कोई भी जन आन्दोलन जिनमें कि व्यक्ति शामिल होते हैं वे पत्थर या और चीज कीचड़ आदि फैंकते हैं। उनके पास इसके अलावा और कोई शस्त्र नहीं होता। आपके पास तो बन्दूकें हैं, टीयर गैस है, लाठी है; सभी कुछ हैं।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की जो उन्होंने दलीलें दीं कि हम हिंसा के समय ही इस प्रकार के कानूनों का प्रयोग करते हैं तो यह बोगस दलील है । आप हर वक्त हिंसा और राजनीति की बात करने लगते हैं जब भी कोई आन्दोलन खड़ा होता है जनता का और अपनी मांग लेकर जब भी जनता सरकार के पास जाती है तब राजनैतिक लोग, राजनैतिक तत्व अपनी टांग अड़ा देते हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ सका अभी तक कि आप राजनैतिक व्यक्तियों से डरते क्यों हैं ? मायनीय मुख्य मंत्री ने यह बताया कि जब एक माननीय सदस्य जो नोन कांग्रेसी हैं विद्यार्थी आन्दोलन के सिलसिले में उनसे बात करने के लिये गये तो माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने खुदने यह माना है, मुझे क्षमा करें, मैं उनकी हाजिरी में छात्रों से बात नहीं कर सका और नहीं मैंने करनी चाही । मैं समझ नहीं सका....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने यह नहीं कहा, उन विद्यार्थियों ने यह पसन्द नहीं किया ।

श्री गिरधारीलाल : आपने कहा तो यही है। आप अब न मानें तो आपकी मरजी । तो फिर आप लोग नोन कांग्रेसी से चिढ़ते जरूर हैं ।

(हंसी)

इसमें शक नहीं है। जब जब भी लोग आन्दोलन करते हैं तब उनको इस प्रकार से राजनैतिक रूप आप देना चाहते हैं, जिससे कि जनता की सिम्पेथी उस ओर न रहे; लेकिन जनता के आन्दोलन में....

एक माननीय सदस्य : समय हो गया है ।

५ म० प०

श्री गिरधारीलाल : उपाध्यक्ष महोदय, टाइम हो गया है, लेकिन मैं अभी बोलना चाहता हूं लम्बा–चौड़ा । आप आज्ञा दें तो बोलूं, या फिर कल के लिए रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : अभी यह समाप्त हो सकता है ।

एक माननीय सदस्य : टाइम हो गया है ।

श्री गिरधारीलाल : टाइम हो गया है, बोल दूंगा आध घंटे ।

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा है आप आसन ग्रहण करें ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूंगा कि कल सदन की कार्यवाही ६ बजे प्रातः से आरम्भ होकर १ बजे तक होगी ।

माननीय सदस्य यदि थोडे समय और ठहर सकें तो यह डिबेट पूर्ण हो सकती है ।

श्री सोहनलाल भटनागर : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आध घंटा और लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं लेने वाले हैं और वे इसी मत पर आ रहे हैं ।

श्री हरिदेव जोशी : फिर यदि उनको समय ही देना चाहते हैं तो अच्छा है कि उनको अपने उद्गार प्रकट करने दिये जायँ और कल के लिए इसको रख लिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : यदि यही मुनासिब समझते हैं कि उनको पर्याप्त समय दिया जाय तो अच्छा है ।

We now adjourn to meet tomorrow at 9. 00 A. M.

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५. २ बजे, कल, दिनांक २०–११–५७ के ६ बजे प्रातः के लिए स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार १६, नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर २२२३

जुलाई, १९५७ से सिरोही डिप्टी इन्सपैक्टर द्वारा अध्यापकों के स्थानान्तरण।

चक १५ ई० इ० ए० का मुरब्बा नं० १६ का काश्त करने वाला व्यक्ति।

गत ५ वर्षों में केन्द्रीय सरकार प्राप्त धनराशि का उपयोग।

सीकर रावाराजा द्वारा व्यक्तिगत सम्पत्ति के तौर पर कुछ तोपों की मांग।

विभिन्न जिलों की हासिल की दरें।

रूपवास तहसील के कुछ गांवों में गम्भीर नदी की बाढ़ से भूमि को क्षति।

सन् १९५४ से १९५७ तक भरतपुर में लघु उद्योगों हेतु दिया गया शासकीय ऋण।

जिला भीलवाड़ा में आगामी वित्तीय वर्ष में प्रशासनिक भवनों हेतु ? व्यय होने वाली धनराशि।

भारत सरकार से ऋण रूप प्राप्त रुपये की अदायगी।

चक ३९ आर० बी० (त० पद्मपुर) में सन् १९५४ से कृषकों में जमा शासकीय धन-राशि।

भू धारण विधेयक की धारा १६ के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में झालावाड़ जिले के विकास में व्यय की गई धनराशि।

स्कम्भ

मुख्य मंत्री द्वारा उद्घाटन इत्यादि अवसरों पर दिये गये भाषणों पर व्यय।

जागीर कलेक्टर्स द्वारा जागीरदारों को तंग करने की शिकायतें।

रिफ्यूजी वेलफेयर कमेटी, गंगापुर, द्वारा भूमि का अलौटमेन्ट न करने के कारण।

सन् १९५० व अब ट्रैंड मिडिल अध्यापकों की संख्या।

सन् १९५६—५७ में जिला सवाई माधोपुर में स्थापित प्राइमरी स्कूल्स।

एक विभाग के एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को विभिन्न वेतन।

हरीशिरोमनजी, वृन्दावन, के मंदिर के कर्मचारियों का वेतन।

उतरलाई (त० बाड़मेर) हवाई मैदान के लिये अभिग्रहीत भूमि।

हाई स्कूल लालसोट में अधिक छात्रों हेतु अधिक अध्यापकों की आवश्यकता।

राजस्थान में अभाव की स्थिति एवं अभाव ग्रस्त घोषित ग्राम।

सवाई माधोपुर में डिग्री कॉलेज खोलने की मांग।

राजस्थान कॉलेज स्थापित करने की आवश्यकता।

सरगांव (त० किशनगढ़) में कुछ कृषकों से डूब रकबे की लगान वसूली।

Page No.108

स्कम्भ

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति २२७०

निम्नांकित सदस्यों को सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की गई:—

श्री मोहब्बतसिंह १८ से २० नव., १९५७
श्री शंकरलाल ११ से २० नव., १९५७
श्री दलपतसिंह १८ नवम्बर, १९५७ से सत्र के अन्त तक
रावल श्री नरेन्द्रसिंह १८ से २१ नव., १९५७

विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक २२७१

१. राजस्थान रेवेन्यु लॉज (एक्सटेन्शन) विधेयक, १९५७ प्रथम अनुसूची भाग ए व बी.

इस पर संशोधन प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये वे श्री अनोपसिंह के संशोधन के अतिरिक्त या तो वापस ले लिये गये या अस्वीकृत हुए। श्री अनोपसिंह के संशोधन पर विचार कल तक के लिये स्थगित रहा।

२. फ्रंजर पुल पथकर (वैधकरण) विधेयक, १९५७ २३२०

उपरोक्त विधेयक पर श्री तनसिंह द्वारा उठाई गई वैधानिक आपत्ति को दूर किये जाने पर श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मन्त्री, द्वारा प्रस्तावित उक्त विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तत्पश्चात् विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

स्कम्भ

अशासकीय सदस्य कार्य संकल्प २३४७

श्री गिरधारीलाल (४७) ने निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत किया:—

"इस सदन की सम्मति है कि सरकार जनता द्वारा चलाये जाने वाले आन्दोलन के समय केवल बातचीत, समझौता, बीच-बचाव अथवा पंच फैसले से काम ले और जाब्ता फौजदारी कानून की धारायें १०७ व १४४ का प्रयोग न करे।"

उक्त संकल्प पर किये गये वाद-विवाद में प्रस्तावक के अतिरिक्त निम्नांकित सदस्यों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए:—

१. श्री मोहरसिंह
२. श्री किशनसिह
३. श्री जनार्दनराय नागर
४. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
५. श्री बृजमोहनलाल शर्मा
६. श्री हीरा भाई
७. श्री अर्जुनदास
८. श्री सोहनलाल भटनागर
९. श्री रामचन्द्र
१०. श्री भैरवलाल
११. श्री तनसिंह

श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मंत्री, द्वारा बहस का उत्तर दिया गया। श्री गिरधारीलाल अपना प्रत्युत्तर दे रहे थे कि सदन की बैठक ५ बजकर ३ मिनिट पर स्थगित हो गई।

बुधवार, दिनांक २० नवम्बर, १९५७ की कार्य सूची

अशासकीय सदस्य कार्य

[redacted]

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या ३१३ का उत्तर देखिये)

List showing the amounts of loan and grant sanctioned by the Government of India during the last 5 years.

Name of scheme	Amount sanctioned (In lacs)	
	Loan	Grant
1. Grow More Food Scheme	327.93	16.56
2. Bhakra Nangal Project	2002.43	-
3. Irrigation schemes.)		
4. Road Schemes)	687.61	150.00
5. Power Schemes (Thermal))		
6. Minor Irrigation schemes (Financed by the Ministry of Agriculture and executed by the Chief Engineer, Irrigation).	120.00	-
7. Chambal Project.	274.97	-
8. Irrigation works of Permanent Improvement in scarcity areas.	190.00	-
9. Expansion of Power Facilities for increasing employment opportunities.	16.41	-
10. C. D. & N. E. S.	117.95	114.58
11. Low Income Group Housing Scheme.	95.00	-
12. Subsidised Industrial Housing Scheme.	17.99	-
13. Industrial Estate.	4.75	-
14. Educational Development purposes.	-	109.11
15. Key village scheme.	-	0.11
16. Forest.	1.22	-
17. Cotton Extension scheme	5.60	-
18. Urban Water Supply and Drainage.	37.33	-
19. Cottage, Small scale and Handloom In dustries.	15.15	4.27
20. M. B. M. Engineering Hostel.	3.80	-
21. Backward classes etc.	-	84.38
22. Local Development Works.	-	53.32
23. Under F. F. I. Agreement for Development Schemes.	-	105.00
24. Rural Water supply.	-	20.60
25. Miscellaneous for Plan schemes.	-	8.51
26. Roads of Economic and inter Statel Importance.	-	44.59

२५४०

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या ३१६ का उत्तर देखिये)

उन तोपों की सूची जो विभिन्न स्थानों पर थी

११ तोपें पुलिस लाइन्स सीकर में थी ।
२ ,, कल्याण निवासी में ।
६ ,, देवीपुरा पेलेस में ।
२ ,, रामगढ फोर्ट में ।
७ ,, फतहपुर फोर्ट में ।
४ ,, लक्ष्मणगढ़ फोर्ट में ।
२ ,, देवगढ़ फोर्ट में ।
१ ,, रामगढ़ फोर्ट में ।
१ ,, नेछवा फोर्ट में ।
१ ,, रींगस फोर्ट में ।
१ ,, सिंगरावट फोर्ट में ।
३ ,, भीवली फोर्ट में ।
२ ,, गिरनी फोर्ट में ।
१ ,, रुगनाथ गढ़ गांव ।
१ ,, गुरडा ।

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या ३२१ का उत्तर देखिये)

LOANS GIVEN FOR DEVELOPMENT OF INDUSTRIES IN BHARATPUR DISTT.

Year.	S. No.	Name of the party.	Amount.	Nature of Industry.
1	2	3	4	5
1954	X	Nil.	Nil.	Nil.
1955.	X	Nil.	Nil.	Nil
1956.	1	Shri Anand Shanker Mittal, Prop. Mittal Chemicals Industry, Bharatpur.	3,000/-	Ink Industry.
	2	„ Kashinath Gupta, prop. Navyug press, Bharatpur.	5,000/-	Press.
	3*	„ Rambharose Lal Verma, Bharatpur.	3,000/-	Agriculture Implements
	4	„ Kanahyalal, prop. Krishikal Karkhana, Bharatpur.	3,000/-	-do-
	5	„ Tulsiram Mittal prop. Agarwal Printing Press, Bharatpur.	4,000/-	Press.
	6.	„ Nandlal Sharma, Anah Gate, Bharatpur.	3,000/-	Flour Mill
	7	„ Gaurishanker Mittal, Bptr.	5,000/-	Press.
	8*	„ Bharatsingh Prop. for Bharat Tyre Retreading & Varnishing Co., Bharatpur.	8,000/-	Tyre Retreading & Varnishing Co.
	9	„ Rameshchandra Garg N. Printing Press, Bharatpur.	2,500/-	Press.
1957.	1*	„ Rameshchandra Agarwal C/o Mangalram Bheshwar Distt. Bptr.	3,000/-	Mfg. of Sewing Machines
	2*	„ Deshraj Kalra S/o Mangal Das, Bharatpur.	2,000/-	Saw Machine
	3.	„ N.L. Stone Prop. Mission Indian Home Industry, Bptr.	1,500/-	Mission Indian Home Industry.
	4.	„ Poosiya Ram S/O Chare Ram Jatan, Bharatpur.	750/-	Shoe Making Industry.
	5.	„ Ram Swaroop S/O Sukhiram Jatan Bharatput	500/-	-do-

1	2	3	4	5
	6. „	Misrilal S/O Umraosingh Sharma, Bharatpur.	1,000/-	Electric Works.
	7* „	Babu Singh S/O Devi Singh & Latha pd. S/O Mutrelal Bansi Paharpur Distt. Bharatpur.	1,000/-	Chaff cutting Uttam Machine.
	8. „	Yadram S/O Channa Jatan Deeg Distt.. Bharatpur.	750/-	Shoe Making Industry.
	9. „	Moolchand S/O Chukharam Jatan Bharatpur.	750/-	-do-
	10. „	Bhagwandas Narajndas S/o Jaganath Pd. Deeg.	1,500/-	Dev. of Iron & Steel Industry.
	11. „	Bhikkimal S/O Ganeshilal, Prop. Ghisaram, Deeg.	2,000/-	Dev. of Iron & Steel Industry.
	12. „	Phool chand Girraj Pd. S/O Sanwaldas, Deeg.	1,000/-	-do-
	13. „	Bhanduram S/O Bhikiram Jatan, Bharatpur.	1,000/-	Shoe Making Industry.
	14. „	Gopilal S/O Khemram Jatan Bharatpur.	500/-	-do-
	15. „	Ramjilal S/O Gangadhar Jatan, Bharatpur.	750/-	-do-
	16. „	Baluram S/O Sanwalram Jatan, Deeg Distt. Bptr.	750/-	-do-
	17. „	Chhitria S/O Hansaji Jatan, Deeg.	750/-	-do-
	18. „	Parsadilal Geyasiram S/O Mirchuram, Deeg.	1,000/-	-do-
	19. „	Kishanlal S/O Mansharam, Bharatpur.	1,000/-	-do-
	20. „	Kanahyalal Pyarelal Regar, Deeg.	1,000/-	-do-
	21. „	Chiranjilal S/O Tankharam, Jatan, Deeg.	750/-	-do-
	22. „	Purshottem Das prop. Raj. Agriculture Implements Works, Bharatpur.	3,000/-	Agriculture Implements Works.

1	2	3	4	5
23.	,,	Sobharam S/O Laluram Jatan, Bharatpur.	750/-	Shoe Making Industry.
24.	,,	Roshanlal Hari Narain Jatan, Bharatpur.	1,000/-	-do-
25.	,,	Manoharlal S/O Ganeshilal (Carpentry) Bharatpur.	2,000/-	Carpentry.
26.	,,	Gopichand Ramlal, Dholpur.	2,500/-	Saw Machine.
27.	,,	Manoharlal S/O Batumal, Dholpur Distt. Bharatpur.	3,000/-	Soap Works.
28.	,,	Hembux S/O Asha Ram Jatan, Deeg.	500/-	Shoe Making Industry.

Note*—Industries to be started.

परिशिष्ट ४

(कृपया प्रश्न संख्या ३३१ का उत्तर देखिये)

LIST OF IMPORTANT ROADS & IRRIGATION WORKS.

ROADS.

1. Bitumen treatment to the remaining miles of Kotah-Durrah-Jhalawar Road.
2. Jhalawar-Khanpur-Baram Road (Metalled).
3. Metalling Pachpahar-Dag-Gangadhar Road.
4. Gravelled Road from Richwa to Bhlata via Ratlai.
5. Metalling Chaumehala-Sitamau Road.
6. Metalling Soyat-Pirawa Road.
7. Conatruction of Gravelled road from Dhulet to Khanpur via Kanwas.
8. Constructing approach road fram Rapla to Bakani.
9. Constructing road from Post Office to Jin Kabristan road.
10. Metalling Aklera-Manohar thana Road.
11. Metalling Rooparail-Mandawar Road.
12. Painting of Roads :-
    - (a) Batan to Tindhar Road.
    - (b) Post Office to Jhalrapatan.
    - (c) Jhalawar City Road.
    - (d) Jhalawar-Shri Chatarpur Road.
    - (e) Jhalahar-Khanpur Road.
    - (f) Chaumehla town Rood.
    - (g) Akera town Road.

IRRIGATION WORKS (Minor).

1. Jolpa Tank.
2. Bhimlisagar Pickup weir.
3. Kadila Bund.
4. Naka Sarna Tank.
5. Pumping Set near Bhenrasa village.
6. Bhimsagar Project.

शुद्धि—पत्र

(कार्य-विवरण, मंगलवार, १६ नवम्बर, १९५७)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२२२६	१४	हासिल की रद	हासिल की दर
२२५०	१२	उसी पर जान बूझ कर	उसी पर जान बूझकर
२२५२	५	श्री ब्रिजेन्द्रपाल की अनुपस्थित में	श्री बृजेन्द्रपाल की अनुपस्थिति में
२२५४	२१–२२	वर्तमान वेतन शृंखला रोशने-लाइज़्ड पे स्केल रूल्स एन्ड सिड्यूल्स में	वर्तमान वेतन शृंखला रेशने-लाइज़्ड पे स्केल रूल्स एन्ड शिड्यूल्स में
२२५६	१६	मैने देखी है	मैने देखा है
२२६४	११	डिग्री कलेज खोलने की मांग	डिग्री कॉलेज़ खोलने की मांग
२२६४	२४	सम्बन्ध में निश्श्चित तौर से	सम्बन्ध में निश्चित तौर से
२२७२–२२८५	शीर्ष	रेवन्यू लॉज़ विधेयक	रेवेन्यू लॉज़ विधेयक
२२७७	३	'In any part of thet State'	'In any part of that State'
२२८०	११–१२	after the words 'a porson'	after the words 'a person'
२२८०	३१	बम्बई में । मध्यभारत	बम्बई में, मध्यभारत
२२८३	३३	..'Khdekasht' shall mean any	..'Khudkasht' shall mean any
२२८४	१२	पर में दावे के साथ,	पर मैं दावे के साथ,
२२८७	१०–११	mischief has already been done, the why repeat it ?	the mischief has already been done, why repeat it ?
२२९०	३	हो तो में समझता हूं कि	हो तो मैं समझता हूं कि
२२९८	२१–२२	'Shall' & be 'deemed'	'Shall' & 'be deemed'
२२९९	२२	थे कि हम खातेदारी की डेफीनि-शन में पर्सनल	थे कि खातेदारी की डेफीनिशन में पर्सनल
२३०२	२८	तो यह एक इन्नेसेन्ट संशोधन	तो यह एक इन्नोसेन्ट संशोधन
२३१७	अन्तिम	इन्सर्ट करने में दिक्क	इन्सर्ट करने में दिक्कत
२३३४	२९	Name of Justice nnd democracy,	Name of Justice and democracy,
२३४२	१०–११	I had raised or reberred in may reply.	I had raised or referred in my reply.
२३४७		फ्रेज़र ब्रिल विधेयक	फ्रेज़र ब्रिज विधेयक
२३८२	अन्तिम	जयपुर जन के जीवन से खिल-वाड़ करने की	जयपुर के जन जीवन से खिल-वाड़ करने की

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
२३६४	अन्तिम से १०	also will meet the same face	also will meet the same fate
२३६८	३०	happended and what	happened and what
२४०२	६	श्री रामनन्द्र :	श्री रामचन्द्र :
२४२७	अन्तिम	पर बाद में भी आन्दोलन हो, शाला	पर बाद में भी आन्दोलन हो, गोशाला
२४३२	९	आन्दोलन संबंधी संकल्प	आन्दोलनों सम्बन्धी संकल्प